खण्ड-156, अंक-2
मंगलवार, 22 भाद्रपद, शक संवत् 1877
(13 सितम्बर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 156 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतप, सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले-
उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र, सिंह श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री

घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाउदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देव दत्त शर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहमद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री

मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री

राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूपगुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लतीफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री

सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

मझोलिया बांध का निर्माण कार्य

*१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मझरिया बांध (बड़हलगंज के पास जिला गोरखपुर) के निर्माण हेतु सरकार ने कुल कितना रुपया मंजूर किया है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—मझरिया नाम का कोई बांध सिंचाई विभाग द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। तहसील बांस गांव में बड़हलगंज से लगभग १० मील की दूरी पर मझोलिया नाम का एक बांध बनाया गया है इस बांध की लागत लगभग ४५,००० रु० है।

*२—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त गांव के निर्माण में कितना-कितना क्या-क्या काम हो चुका है ?

श्री राममूर्ति—मझोलिया बांध का निर्माण कार्य समाप्त हो गया है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को इस बात की सूचना है कि इस बांध का निर्माण पहले वहां की ग्राम जनता ने अपने आप शुरू किया ? यदि हां, तो जनता ने जो श्रम किया उसका पारिश्रमिक सरकार का देने का विचार है ?

श्री राममूर्ति—इस समय तो इसकी कोई सूचना है नहीं। अगर आप लिख कर दें तो उसकी जांच करा लेंगे और अगर उन्होंने कोई काम किया है तो उसके बारे में भी विचार कर लेंगे कि उनको कुछ रुपया देना चाहिये या नहीं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस बाढ़ में उस बांध को कोई क्षति पहुंची है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी नहीं, बिल्कुल नहीं।

जिलों में सूचनाधिकारियों की नियुक्तियां

*३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह जिलों में सूचनाधिकारियों की नियुक्तियां कर रहीं है ? यदि हां, तो कितने पदों पर और किस-किस जिले में ?

सूचनामंत्री के सभासचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—जी हां। दस पदों पर नियुक्तियां विचाराधीन हैं। किन-किन जिलों में नई नियुक्तियां करना पड़ेगा यह बतलाना अभी सम्भव नहीं है।

*४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इस सम्बन्ध में कोई विज्ञापन निकाला गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—जी हां, विज्ञापन छपवाया गया है।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलों का चुनाव किस आधार पर होगा ?

श्री कमला पति त्रिपाठी—जिलों का चुनाव, बात कुछ समझ में नहीं आयी। ऐसे तो ५१ जिले हैं हमारे यहां और हर जिले में एक-एक सूचना अधिकारी रहेगा।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो कैंडिडेट्स इसमें आयेंगे उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन्स क्या होंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे तो ग्रेजुएट रखी गयी है और यह भी है कि हिन्दी भी उनका एक सब्जेक्ट हो। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन का आदमी नहीं है लेकिन सूचना अधिकारी के पद के योग्य है, पत्रकार है, बहुत दिनों का उसको अनुभव है तो फिर गवर्नमेंट उस पर विचार कर लेती है। आन मेरिट अगर किसी को एग्जेम्शन देना हो तो दे भी देती है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी इस चुनाव में राजनीतिक पीड़ितों को विशेष रूप से लेने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह तो विज्ञापन में लिखा ही हुआ है कि अगर पोलिटिकल सफरर्स हों और अदरवाइज पूरी तरह से क्वालिफाइड हों तो प्रिफ़रेन्स उनको मिलता है थोड़ा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनका एप्वाइंमेंट किन लोगों के द्वारा होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उसका एक सेलेक्शन बोर्ड बना हुआ है। उसके सामने इंटरव्यू होगा इन लोगों का और तब सेलेक्शन होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि यह पद पोलिटिकल एप्वाइंटमेंट का नहीं रहा तो ऐसी हालत में इनका चुनाव पब्लिक सर्विस कमीशन से क्यों नहीं कराया जाता ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी किसी घोषणा का मुझे स्मरण नहीं है लेकिन यह पोलिटिकल एप्वाइंटमेंट हो या न हो यह सारा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और यदि पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजना आवश्यक होगा तो उनको भेजा जायगा। अभी तो ये टेम्पोरेरी एप्वाइंमेंटस हैं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना अधिकारी किस के अधीन काम करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे तो यह सूचना विभाग के अधीन हैं लेकिन जिले में कलेक्टर होता है और अधिकारी होते हैं, उनके साथ काम करना होता है जैसे और विभाग काम करते हैं।

***५—६—श्री चित्तर सिंह निरंजन** (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—[१४ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ४२–४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आंवरा नाला तथा चंवर ताल, जिला आजमगढ़ से पानी के निकास की योजना

***७—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत आंवरा नाला और चंवर ताल से पानी का निकास न होने के कारण प्रति वर्ष सैकड़ों एकड़ फसल बरसात में डूब जाया करती है ?

श्री राममूर्ति—घोसी तहसील के आंवरा नाला तथा चंवर ताल के आसपास की जमीन में पानी का उचित निकास न होने के कारण प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है तथा उससे फसल इत्यादि को क्षति पहुंचती है। आंवरा नाला के पानी के निकास में एक निजी तौर पर बनवाये हुए बांध से बाधा पहुंच रही है।

***८—श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंवरा नाले का पानी निकालने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—पानी के निकास की एक योजना स्वीकृत की जा चुकी है।

***९—श्री रामसुन्दर पांडेय**—यदि हां, तो यह योजना कब लागू होगी और इस योजना पर कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति—इस योजना पर लगभग २२ हजार रुपया खर्च होगा। अब तक करीब ५०० रुपया खर्च हो चुका है। योजना पर काम मई, १९५५ में शुरू हो गया था परन्तु कुछ काश्तकारों ने अपने खेतों से मिट्टी लेने का विरोध किया और इसलिये कार्य में प्रगति न हुई। अब भूमि अधिकरण की कार्यवाही हो रही है और शीघ्र ही काम शुरू हो जायेगा।

चंवर ताल का सर्वे भी हो गया है और योजना बन रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों योजनाओं के पूरे हो जाने पर कितने एकड़ फसल की बचत होगी ?

श्री राममूर्ति—सर्वे की रिपोर्ट अभी पूरी नहीं आई है। इसके बाद ही मालूम हो सकेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अधिकरण की कार्यवाही अदालत में हो रही है या नहीं ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि शुरू हो गई है।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आंवरा नाले से जो नया नाला निकलने वाला है वह पुराने रास्ते से जायगा या नई भूमि से जायगा ?

श्री राममूर्ति—वह पुरानी से भी जायगा, कुछ नई से भी जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दो योजनायें अग्रिम बरसात से पहले समाप्त हो जायंगी ?

श्री राममूर्ति—हां आशा तो है शायद पूरी हो जायंगी।

देवरिया जिले की म्यूनिसिपैल्टियां

*१०—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि देवरिया जिला के अन्तर्गत कितनी म्युनिसिपैल्टियां हैं, और उन म्यूनिसिपैल्टी ने अब तक बजट नहीं पास किया है और इसका क्या कारण है ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—देवरिया जिले के अन्तर्गत तीन म्युनिसिपैल्टियां हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं :

देवरिया, पडरौना, और गौरा बरहज। इन तीनों ने अपना बजट पास कर लिया है।

इलाहाबाद जिले में नलकूपों पर व्यय

*११—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में कितने नलकूप बनाये गये हैं और उनमें कितने नलकूप काम कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—इलाहाबाद जिले में ११ सरकारी नलकूप बने हैं, जिनको चलाने के लिये विद्युत का प्रबन्ध किया जा रहा है। बाकी और नलकूपों की खुदाई का काम जारी है।

*१२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नलकूप बनाने के लिए कितना रुपया रखा गया है और उसमें अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

श्री राममूर्ति—प्रदेश की विविध नलकूप योजनाओं के लिये बजट में इकट्ठा रुपया रक्खा जाता है, जिलेवार नहीं। इलाहाबाद जिले में प्रस्तावित कुओं पर लगभग अब तक ४, २६३ रुपये व्यय हो चुका है। हंड़ियां और फूलपुर तहसीलों में करीब ७० कुओं को बनाने का प्रस्ताव है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा कर बतलायेंगे कि जो कुयें बनाये गये हैं वे किस तहसील में हैं और किस गांव में हैं ?

श्री राममूर्ति—तहसील हंडिया और फूलपूर में। गांव का इसमें जिकर नहीं है। अगर आप नोटिस दें तो वह भी बतलाया जा सकता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जिन स्थानों पर नलकूप बनाये गये हैं वहां पर बिजली लाने और उन नल कुओं को चालू करने में कितना समय मिलेगा ?

श्री राममूर्ति—कोशिश जल्द काम करने की है। फिलहाल जो ११ बनाये गये हैं उन पर प्लांट लगाये गये हैं और वह इंजिन से चल रहे हैं।

इलाहाबाद नगरपालिका द्वारा सरकारी कर्ज की आंशिक अदायगी

*१३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद नगरपालिका को अब तक सरकार की ओर से कितना कर्ज दिया गया और उसमें से कितना नगरपालिका ने अदा किया ?

श्री कैलाश प्रकाश--सन् १९१६ से अब तक इलाहाबाद नगरपालिका को ७४,३१,९८६ रु० कर्ज मिला है जिसमें से उसने ३२,७०,७८७ रु० ११ आना का भुगतान कर दिया है।

बुलन्दशहर जिले के हिन्डन व जमुना द्वाबे में नलकूप बनाने की योजना

*१४--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि द्वाबा हिन्डन व जमुना जिला बुलन्दशहर में सिंचाई के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो यों ?

श्री राममूर्ति--जी हां, उस क्षेत्र में ९० नलकूप बनाने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि द्वाबा हिन्डन व जमुना जिला बुलन्दशहर का भाग है और ९० नलकूप जो बनने हैं वह उसी जिले में हैं ?

श्री राममूर्ति--मेरा ख्याल ऐसा है कि माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है उसी से संबंधित यह जवाब होगा।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जितने ९० नलकूप बनने हैं उनमें कब से कार्य आरम्भ होने की संभावना है ?

श्री राममूर्ति--केंद्रीय सरकार से यह प्रार्थना की गयी है कि वह हमको इस स्कीम के अन्तर्गत बाकी रुपया दे और उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही सहायता मिलेगी ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय सरकार को यह सूचना कब भेजी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--केंद्रीय सरकार से तीन साल से लिखा पढ़ी हो रही है। अब यह उम्मीद हुई है कि संभवतः यह जो वर्किंग सीजन बरसात के बाद आ रहा है उसमें, हम इस काम को शुरू कर दें।

देवरिया तहसील में नलकूप निर्माण

*१५--श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिला के देवरिया तहसील में कुल कितने ट्यूबवेल लग गये हैं और कितने लगाने की योजना है?

श्री राममूर्ति--देवरिया जिले की देवरिया तहसील में ७० नलकूप लग गये हैं और १० और नलकूप पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत लगाने की योजना है।

श्री रामेश्वर लाल--क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा कर बतलायेंगे कि जो १० नलकूप अगली पंचवर्षीय योजना में है उनके लिये स्थान का चुनाव कर लिया गया है ?

श्री राममूर्ति--अभी स्थान का चुनाव नहीं हुआ है।

श्री रामेश्वर लाल--क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है देवरिया तहसील के जन-प्रतिनिधियों ने उनके पास इस तरह का सुझाव भेजा है कि कुछ खास स्थानों पर जहां पर सिंचाई की योजना नहीं है नलकूप लगाये जायं तो क्या सरकार ने उस पर विचार किया है ?

श्री राममूर्ति--चीफ इंजीनियर से इस प्रकार की कोई खतकिताबत हुई होगी यहां पर इस वक्त मेरे पास कोई मालूमात नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जितने नलकूप लगाये गये हैं उनमें कितने काम कर रहे हैं और कितने बन्द पड़े हैं ?

श्री राममूर्ति---७० नलकूप जैसा कि मैंने जवाब में अर्ज किया कि सन् १९५४ से काम कर रहे हैं। बाकी जो रह गये हैं उन पर काम खत्म हो चुका है पर अभी प्लांट नहीं लगा है इसलिये उनका काम अभी नहीं चल रहा है।

श्री रामेश्वर लाल---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो नलकूप बनाये जाने के बाद चालू नहीं हैं उनमें से अधिकतर इस कारण से चालू नहीं है कि उनकी गूल बनाने के लिये जमीन नहीं दी जा रही है ?

श्री राममूर्ति---एक कारण यह भी है।

श्री रामेश्वर लाल---क्या यह सही है कि अभी तक जो जमीन नलकूप बनाने के लिये ली गई है और जो चल रहे हैं उसका मुआविजा नहीं दिया गया तो दूसरे नलकूपों के लिये लोग जमीन नहीं दे रहे हैं वह इसी कारण से नहीं दे रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---इस सदन में यह बता दिया गया है कि इसके लिये ५ स्पेशल आफीसर्स मुकर्रर कर दिये गये हैं ताकि जिनको मुआविजा अभी तक नहीं मिला है उनको जल्द से जल्द मिल सके।

अल्मोड़ा जिले में क्वीतड गूल निर्माण की योजना

*१६---श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अल्मोड़ा जिलें में क्वीतड गूल निर्माण करके सिंचाई का आयोजन करने का वह विचार रखती है ?

श्री राममूर्ति---अल्मोड़ा जिले में क्वीतड़ गूल निर्माण करने की योजना सरकार के विचाराधीन है और जांच (Survay) के पश्चात् निर्णय किया जायगा।

*१७---श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिस इलाके में यह गूल बनेगी वह अन्नाभाव ग्रसित इलाका है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह गूल टेस्ट वर्क के द्वारा बनाने पर विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति---जिस क्षेत्र में क्वीतड गूल का निर्माण विचाराधीन है वह अन्नाभाव ग्रसित है। परन्तु उक्त गूल का निर्माण टेस्ट वर्क द्वारा संभव नहीं है क्योंकि गूल लगभग ६ मील लम्बी होगी और वह जिस क्षेत्र से गुजरेगी वहां बहुत सख्त चट्टानें हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस गूल का सर्वे कब तक हो जायगा ?

श्री राममूर्ति---बरसात के बाद जब वर्किंग सेशन आरम्भ होगा तब शुरू किया जाकर मार्च ५६ तक खत्म हो जाने की आशा है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि गूल के अंतिम भाग में बिजली मिलने की योजना भी कार्यान्वित हो सकती है ?

श्री राममूर्ति---यह तो बड़ी खुशी की बात है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---जिन हिस्सों में चट्टानें नहीं हैं उनमें टेस्ट वर्क या श्रमदान से मंत्री महोदय काम कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---बगैर पैसे के काम बन जाय तो बड़ी अच्छी बात है, सरकार को इस बात से बड़ी खुशी होगी।

देवहला जिला बस्ती की बानगंगा से क्षतिग्रस्त फसलों के लिये मुआवजा

*१८--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शोहरतगढ़ के पार बानगंगा नदी में बांध के बनने के कारण जो नदी का पानी रो । गया उससे ग्राम देवहला थाना उस्का जिला बस्ती के आस-पास करीब ६०० बीघा फसल रबी बाढ़ आने से बरबाद हो गई ?

श्री राममूर्ति--बानगंगा नहर के हेडवर्क्स के स्थान पर बानगंगा नदी की तली में कुछ कार्य बनाने के हेत नदी का पानी घुमाकर जामुवार नदी में बहाया गया, जिसके कारण कुछ काश्तकारों की रबी की फसल जो कि जामुवार नदी की घाटी में वर्षा के बाद बोई गई थी, नष्ट हो गई। इस प्रकार २५२ एकड़ भूमि में कृषि को क्षति पहुंची।

*१९--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार इस घटना से हुई क्षति का मुआवजा किसानों को देगी ? यदि हां, तो किस हिसाब से ?

श्री राममूर्ति--सरकार ने इस घटना से हुई क्षति का मुआवजा, जो कि ९१७८ रु० ८ आ० निर्धारित किया गया है, संबंधित कृषकों को वितरित कर दिया है।

मुआवजे की दर निम्नलिखित बातों में निर्भर हैं :

१--फसलों की दशा जिस समय उपरोक्त क्षति हुई

२--फसलों की किस्में, और

३--मजदूरी तथा गल्ले बाजार भाव आदि

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या केवल एक साल ही यह क्षति हुई जब कि गंगा के पानी को जमुहार नाले में डाला गया अथवा हर साल हुआ करेगी ?

श्री राममूर्ति--वह तो हेडवर्क बनाया जा रहा था उसी के लिये उसकी जरूरत थी, अब कोई ऐसी जरूरत न होगी।

बिजनौर जिले में सिंचाई की विभिन्न दरें

*२०--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजनौर जिले में पिछले वर्ष बढ़ी हुई दर से सिंचाई की रकम ली गई थी या नहीं ?

श्री राममूर्ति--बिजनौर जिले में सिंचाई के तीन साधन हैं:

१--राजकीय नलकूल

२--रामगंगा नहर

३--बिजनौर नहर

राजकीय नलकूल और रामगंगा नहर की सिंचाई की दर दिनांक १ अप्रैल १९५३ से बढ़ाई गई परन्तु बिजनौर नहर की सिंचाई की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई।

*२१--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--बिजनौर नहर में पानी की मात्रा अनिश्चित होने के कारण कोई वृद्धि नहीं की गई।

*२२--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या यह अपवाद केवल बिजनौर जिले के लिये किया गया था या किसी और ज़िले लिये के भी ?

श्री राममूर्ति--बिजनौर नहर को छोड़कर अन्य सभी नहरों पर बढ़ी हुई दर लगाई गई।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बिजनौर नहर किस-किस जिले को पानी देती है ?

श्री राममूर्ति---बिजनौर जिले के थोड़े से हिस्से को।

उन्नाव में अल्पवर्ग आवास की योजना

*२३---श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव नगर को वह नगर विकास योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करने पर विचार कर रही है?

श्री कैलाश प्रकाश---नगर विकास की कोई विशिष्ट योजना अलग से नहीं है इसलिये उसके अन्तर्गत उन्नाव को सम्मिलित करने का प्रश्न नहीं उठता। इस समय कुछ नगरों में जल-कल तथा ड्रेनेज की योजनायें चल रहीं हैं किन्तु उन्नाव उन नगरों में नहीं है। अल्पवर्ग आवास की योजना अवश्य अन्य नगरों की भांति उन्नाव में भी लागू है।

*२४---श्री देवदत्त मिश्र---क्या इस संबंध में उन्नाव म्युनिसिपल बोर्ड से कोई सुझाव सरकार के पास आये हैं ? यदि हां, तो वे सुझाव क्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां। नगरपालिका के अध्यक्ष ने अपनी जल-कल की पुर्नव्यवस्था योजना तथा विस्तृत ड्रेनेज योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये प्रार्थना की थी। इसके उत्तर में नगरपालिका से कहा गया है कि वह पहले अपनी उक्त योजनाओं के (detailed projects) चीफ इंजीनियर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग विभाग द्वारा तैयार करवा ले तभी उनके संबंध में आगे विचार किया जा सकेगा।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय ने यह प्रार्थना सरकार के पास कब भेजी थी?

श्री कैलाश प्रकाश---ठीक तीथि तो मेरे पास नहीं है लेकिन पिछले एक साल में ही आयी है।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका अध्यक्ष की प्रार्थना का उत्तर सरकार ने कब दिया ?

श्री कैलाश प्रकाश---तारीख इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में उन्नाव नगरपालिका से कोई योजना सरकार को प्राप्त हुयी है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं कोई योजना प्राप्त नहीं हुयी, यह योजना चीफ इंजीनियरिंग विभाग द्वारा देखी जाती है और उसके लिये कुछ फीस देना होती है, जब वह फीस आ जायगी तब यह चीफ इंजीनियरिंग विभाग डिटेल्ड योजना बनायेगा।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मंत्री महोदय अल्प वर्ग आवास योजना का स्पष्टीकरण करने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश---यह एक योजना है जो केन्द्रीय सरकार की ओर से चली है जिसके द्वारा जिन व्यक्तियों की आय ६,००० रुपया वार्षिक से कम है उनको सरकार की ओर से रुपया कर्ज दिया जाता है, उस कर्जे की शर्त यह है कि जिसको मकान बनाना हो वह २० प्रतिशत अपने पास से दे और बाकी कर्जा उसको मिल सकता है और अब यह कर्जा कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा मिल रहा है।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना उन्नाव जिले के नोटिफाइड एरिया और टाउन एरियाज में भी लागू होगी।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—कोई तीन चार दिन हुए इसके मुताल्लिक एक कांफ्रेंस हुयी थी और उस में यह तय हुआ है कि जहां-जहां वह जरूरी शर्तें पूरी कर सकें वहां टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया में भी वह लागू कर दी जाय।

स्वशासन विभाग के अन्तर्गत कानपुर डिवीजन के इंजीनियरिंग विभाग में ओवरसियरों की मुअत्तली

*२५—**श्री केशव पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि स्वशासन विभाग के अन्तर्गत इंजीनियरिंग विभाग के कानपुर डिवीजन में सन् ५२ से अब तक कितने ओवरसियर मुअत्तल हुये हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—केवल दो अस्थायी ओवरसियर सर्वश्री के० एन०पांडे और आर० सी० वर्मा।

*२६—**श्री केशव पांडेय**—क्या सरकार यह बतायेगी कि उनमें से कितने अब तक विभाग द्वारा या अदालतों द्वारा पुनः बहाल किये गये हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—कोई नहीं। श्री वर्मा का मामला दो बार अदालत के सामने जा चुका है। इसमें से पहिली बार अदालत ने यह फैसला दिया कि श्री वर्मा के विरुद्ध फिर से अनुशासन की कार्यवाही की जाय। उसके अनुसार जब श्री वर्मा को दुबारा डिसमिस किया गया तो वे फिर मामले की रिटपिटीशन द्वारा अदालत के सामने ले गये। इस बार अदालत ने डिसमिसल के हुक्म को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अभियोग अस्पष्ट थे।

*२७—**श्री केशव पांडेय**—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि कोई ओवरसियर अपनी मुअत्तली के खिलाफ दोबारा हाई कोर्ट से रिटपिटीशन द्वारा जीत गये हैं फिर भी काम पर लिये नहीं गये हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, श्री आर०सी० वर्मा को जो हाई कोर्ट से बहाल हो गये हैं, फिर मुअत्तल कर दिया गया है और उनके खिलाफ फिर से कारवाई की जा रही है। हाल ही में फिर मामला हाई कोर्ट के सामने पेश होने वाला है।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री आर०सी० वर्मा कितने दिनों से काम कर रहे थे?

श्री कैलाश प्रकाश—अप्रैल, सन् १९४९ से ये ट्रक मैनेजर की हैसियत से विभाग में आये थे।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहली बार जब वे मुअत्तल किये गये थे तब उनपर क्या आरोप थे?

श्री अध्यक्ष—यह वैयक्तिक प्रश्न है। जब कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तो इसके सम्बन्ध में वैयक्तिक प्रश्न अधिक नहीं हो सकते।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रश्न के अंतिम पैरा का जो उत्तर दिया गया है कि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है उसका क्या मतलब है?

श्री कैलाश प्रकाश—जैसा ज्ञात हुआ है श्री वर्मा ने हाई कोर्ट से यह शिकायत की है कि चीफ इंजीनियर, एल०एस०जी० द्वारा इन्क्वायरी न की जाय क्योंकि उनका उनसे वैयक्तिक वैमनस्य है। यह पेटीशन हाई कोर्ट के सामने पेश है।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी जिस उच्चाधिकारी की भूलों के कारण हाई कोर्ट में दो बार नाकामयाबी हुयी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री कैलाश प्रकाश—जब यह मामला अंतिम रूप से तय हो जायगा तब इस बात पर भी विचार किया जायगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि श्री वर्मा का मामला किसी दूसरे अधिकारी द्वारा या स्वयं जांच करके कोई फैसला उस पर करवा दें ?

श्री कैलाश प्रकाश—जैसा मैंने निवेदन किया हाई कोर्ट के सामने मामला पेश है जैसा फैसला होगा उसी तरीके से किया जायगा ।

लखनऊ नगर में रिक्शा चालकों पर प्रतिबन्ध

*२८—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार लखनऊ नगर के रिक्शा चलाने वालों की पूरी संख्या बताने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—लखनऊ नगरपालिका ने वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में ५७९४ रिक्शा चलाने वालों को लाइसेंस दिये हैं ।

*२९—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार अपने इस नगर में पैर से चलाये जाने वाले रिक्शों को वर्जित करके मोटर रिक्शा चलाये जाने की ओर कोई कदम उठाने जा रही है ? यदि हां , तो कब तक ?

श्री कैलाश प्रकाश—ऐसी योजना शासन के विचाराधीन नहीं है । (२) प्रश्न नहीं उठता ।

*३०—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार प्रदेश में १८ वर्ष से कम अवस्था वाले बालकों को रिक्शा चलाने से रोकने के सम्बन्ध में कोई कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो वह क्या और कब ?

श्री कैलाश प्रकाश—(१) नगरपालिकाओं में रिक्शों के विनियमन तथा नियंत्रण के लिये सरकार द्वारा बनाये गये आदर्श उपविधियों (Bylaws) में यह व्यवस्था है कि १८ वर्ष से कम उम्र वालों को रिक्शा चलाने का लाइसेंस न दिया जाये ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार रिक्शा चलाने वालों के गिरते हुये स्वास्थ्य को देखकर पैर से रिक्शा चलाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—कोई यह नहीं कहता कि कोई पैर से रिक्शा चलाये ही लेकिन अगर कोई अपनी रोजी कमाने के लिये चलाते हैं तो अभी इस मसले पर गौर नहीं किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को इस काम के करने से रोका जाय ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि लाइसेंस तो १८ वर्ष के ऊपर वाले ले लेते हैं लेकिन १/४ रिक्शे वाले १८ वर्ष से कम उम्र वाले भी होते हैं ।

श्री कैलाश प्रकाश—ऐसा तो ज्ञात नहीं है और अगर ऐसा है तो किसी बने हुये बाई ला का खंडन है ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि रिक्शा चलाने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ?

श्री सैयद अली जहीर—ख्याल जरूर है कि बाजों की तन्दुरुस्ती पर असर जरूर बुरा पड़ता है ।

श्री अब्दुल मोईज खां (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि तांगे और इक्के चलाने वाले मुख्तलिफ तरीकों से इसका आंदोलन करते रहे हैं कि रिक्शा चलाने वालों का काम बन्द कर दिया जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश—कहीं-कहीं ऐसी कोशिश की है इक्का और तांगा चलाने वालों ने।

सात वर्ष से चुनाव न होने वाली नगरपालिकायें

*३१—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रान्त में कितनी नगर पालिकाओं का चुनाव ७ वर्ष से नहीं हुआ है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, आगरा, लखनऊ तथा अलीगढ़ इन छः नगरपालिकाओं का ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—इसका उत्तर मेरे पास नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष—यह आपने कहा कहां । आप तो उठते-उठते बैठ गये । आपने उत्तर सुन लिया है और उस पर कुछ पूरक प्रश्न यदि आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं । लिखित उत्तर आपके पास बाद में पहुंच जायगा ।

सई तथा गोमती आदि नदियों की बाढ़ पर नियंत्रण करने की योजना

*३२—**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने सई और गोमती नदी की बाढ़ को नियंत्रण में लाने के लिये क्या योजना बनायी है ?

श्री राममूर्ति—सई नदी का प्रारम्भिक भूमीक्षण किया जा रहा है कि उसमें कहां तक बाढ़ आयी तथा हानि हुई और यदि आवश्यकता प्रतीत हुयी तो इसका पूर्ण भूमीक्षण १९५५ की वर्षा के उपरान्त किया जायगा ।

*३३—**श्री नागेश्वर द्विवेदी**—क्या सरकार ने सई नदी के पानी को सिंचाई के लिये उपयोग करने के सम्बन्ध में जांच करने के लिये कोई आदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिया है ?

श्री राममूर्ति—सई नदी के जल को सिंचाई के उपयोग में लाने की योजना बनाने का आदेश दिया गया था । जांच से विदित हुआ कि इस योजना पर अत्यधिक व्यय होगा । जिस क्षेत्र का सई नदी के पानी से सींचने का विचार था वह क्षेत्र जौनपुर शाखा विस्तार की नई योजना में ले लिया गया है । अतः सई नदी जल योजना को स्थगित कर दिया गया ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राममूर्ति—मैंने निवेदन किया प्रलिमिनरी सर्वे किया जा रहा है ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी की बाढ़ को नियंत्रण में लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गोमती ही नहीं सब नदियों की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिये बड़ी भारी योजना बन रही है । गोमती नदी से जौनपुर शहर को जो कष्ट होता है उसके सम्बन्ध में भी योजना बन रही है ।

*३४—**श्री रामसुभग वर्मा**—[हटा दिया गया ।]

आगरा तहसील की नहरों में पानी की कमी के कारण नलकूप बनाने का सुझाव

*३५--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या सिंचाई मंत्री को यह शिकायतें मिली हैं कि आगरा तहसील में महीने में एक सप्ताह भी नहरें नहीं चलती हैं और उस से किसानों में बड़ा असंतोष है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही इस सम्बन्ध में की है ?

श्री राममूर्ति--आगरा तहसील में गर्मियों के दिनों में पानी की ज्यादा कमी हो जाती है और इस समय राजवहे मुश्किल से महीने में एक सप्ताह ही चल पाते हैं। इस पानी की कमी को दूर करने के लिये आगरा नहर का पुर्ननिर्माण हो रहा है ।

*३६--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या सिंचाई मंत्री इस तहसील में कोई (Exploratory) या (State Lavel) पर ट्यूबवेल बनवाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--आगरा तहसील में एक्सप्लोरेटरी या स्टेट ट्यूबवेल बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या आगरा में सिंचाई के साधनों की कमी को देखते हुये और यह देखते हुये कि आगरा में जो अभी प्रयोग हुये हैं सफल हुये हैं क्या माननीय मंत्री जी ट्यूबवेलस् के सम्बन्ध में कोई योजना बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--ताज के पास एक कुआं बनाया गया था। लेकिन उस का पानी कुछ बैकिश निकला। तो इस बात की जांच की जा रही है कि खेती बारी के लिये उसकी कुछ उपयोगिता हो सकती है या नहीं। जांच के बाद अगर यहां मालूम हुआ कि इससे खेती को फायदा पहुंच सकता है तो अवश्य इस बात की कोशिश करेंगे कि और ज्यादा कुयें बनवायें ।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि आगरा नहर के पुर्ननिर्माण के साथ-साथ ग्रामों में आगरा जिले को पानी मिल सके ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष--पीने के पानी के लिये आप पूंछ रहे हैं ?

श्री रामहेत सिंह--सिंचाई के लिये कह रहा हूं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कई योजनायें विचाराधीन हैं ।

हरदोई जिले में नलकूपों की आवश्यकता

*३७--श्रीमती सावित्री देवी (जिला सुल्तानपुर)--क्या ८ मार्च, १९४९ के प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के सम्बन्ध में सरकार यह बतायेगी कि इस क्षेत्र से नहर निकालने की योजना के सम्बन्ध में गत ६ वर्षों में कितनी प्रगति हुयी और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री राममूर्ति--भूमि निरीक्षण के बाद यह ज्ञात हुआ कि तहसील बिलग्राम जिला हरदोई की भूमि ऊंची होने के कारण वर्तमान नहर के अधिकृत क्षेत्र में नहीं ली जा सकती। अतः वर्तमान नहर से नई नहर के निर्माण की योजना कार्यान्वित नहीं की गयी ।

*३८--श्रीमती सावित्री देवी--क्या सरकार को मालूम है कि इस क्षेत्र से होती हुयी बिजली की नयी लाइन निकाली गयी है और नहर के स्थान पर ट्यूब वेल बनाने का आयोजन किया गया है ? यदि हां, तो कितने और किन-किन स्थानों पर ट्यूबवेल लगेंगे और यदि नहीं, तो सिंचाई के लिये सरकार क्या प्रबंध कर रही है ?

श्री राममूर्ति---बिजली की एक लाईन हरदोई से सांडी तक बन चुकी है। यह लाइन उक्त क्षेत्र से होती हुयी जाती है। इस क्षेत्र में बिजली के कुयें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। उन कुओं की संख्या तथा उनके स्थान की सूचना उक्त क्षेत्र का निरीक्षण सर्वे (कार्य) समाप्त होने पर ही दी जा सकती है।

मिर्जापुर दीवानी अदालत में अधिवासियों के विरुद्ध मुकदमें

*३९---**श्री रामस्वरूप** (जिला मिर्जापुर)---क्या न्याय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि जिला मिर्जापुर में दीवानी अदालत के सम्मुख कितने मुकदमें वहां के अधिवासियों के विरुद्ध चल रहे हैं?

श्री सैयद अली जहीर---१६९

*४०---**श्री रामस्वरूप**---क्या न्याय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि अब तक कुल कितने मामलों का निर्णय हो गया और कितने अभी अनिर्णित चल रहे हैं?

श्री सैयद अली जहीर---५३ मुकद्दमों का फैसला हो गया है और १६९ अभी बाकी हैं।

*४१---**श्री रामस्वरूप**---क्या न्याय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि कितने मुकदमे ऐसे हैं जो एक साल से अधिक समय से चल रहे हैं?

श्री सैयद अली जहीर---करीब ४०।

श्री रामस्वरूप---क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि कितने ऐसे मामले हैं जो दो वर्ष से भी ज्यादा समय से चल रहे हैं।

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं। इसको जब आप पूछेंगे तो हम इसको भी बतायेंगे।

गोंडा जिले के बाजारों तथा मेलों से ग्राम सभाओं की आय

*४२---**श्रीमती सज्जन देवी महनोत** (जिला गोंडा)---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि गोंडा जिला के बाजार भगवतीगंज तथा तुलसीपुर, देवीपाटन मेला, पसिका मेला की आमदनी सरकार ने गांव सभा को दे दी है?

श्री कैलाश प्रकाश---सरकार ने बाजार भगवतीगंज और तुलसीपुर तथा पसिका मेले का प्रबन्ध संबंधित ग्राम सभाओं में निहित कर दिया है, और देवी पाटन मेले का प्रबन्ध केवल दो प्लाट्स के अतिरिक्त देवी पाटन मन्दिर कमेटी को वापस कर दिया है क्योंकि पूरे मेले पर सरकार का अधिकार नहीं था। देवी पाटन में केवल दो प्लाट जो सरकार के थे उन पर होने वाला मेला जिला बोर्ड, गोंडा, में निहित कर दिया गया है।

*४३---**श्रीमती सज्जन देवी महनोत**---इस कारण गोंडा जिला बोर्ड की आमदनी जितनी कम हो गई है ..., क्या उसकी पूर्ति करने का सरकार विचार रखती है जिससे बोर्ड को स्कूल आदि चलाने में कठिनाई न हो?

श्री कैलाश प्रकाश---मेलों का प्रबन्ध जिला बोर्ड को अस्थायी रूप से इस शर्त पर दिया गया था कि उसे प्रबंधात्मक व्यय वहन करने के लिये कुल आय का १५ प्रतिशत मिलेगा। अतः इन मेलों के बोर्ड से वापस लेने के कारण बोर्ड की आय से कमी होने का और सरकार द्वारा उसकी पूर्ति करने का प्रश्न नहीं उठता?

श्रीमती सज्जन देवी महनोत---क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम सभा की होने वाली आमदनी से भगवतीगंज की आमदनी बहुत ज्यादा है?

श्री कैलाश प्रकाश---आमदनी के आंकड़े तो मेरे पास इस समय नहीं हैं।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत---क्या सरकार यह इंतजाम जिला बोर्ड को वापस देने के लिये तैयार है?

श्री कैलाश प्रकाश--मेलों का इंतजाम देने के लिये एक साधारण प्रणाली बनाई गई थी कि जो मेले २,००० रु० से अधिक के फायदे के हैं और १ साल में दो बार से अधिक नहीं होते हैं वह मेले तो जिला बोर्ड को दिये जायं, बाकी जो मेले अक्सर लगते हैं या दो हजार से कम की उनमें आय होती है उन मेलों का प्रबन्ध गांव समाज के द्वारा अच्छा हो सकता है । चूंकि यह मेला जिसका कि प्रबन्ध दूसरी बात से संबंधित है इसलिये वह गांव समाज को दिया गया है और वहीं उसको रखना उचित मालूम होता है ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार को यह पता है कि भगवतीगंज की आमदनी करीब ५ या ६ हजार सालाना की है ?

श्री कैलाश प्रकाश--मैं निवेदन कर चुका हूं कि आमदनी के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इन मेलों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में सरकार कोई विधेयक इस हाउस में प्रस्तुत करने जा रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश--कोई विधेयक लाने का विचार तो इस सदन के सामने सरकार का है नहीं ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार उक्त मेले की जो आमदनी हुई है उसकी जांच करके उसकी कापी मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश--अगर आंकड़े उस के मंगवाने है तो उनको मंगवाया जायगा और उन्हें अगर कोई माननीय सदस्य देखना चाहें तो देख सकते हैं।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)--माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि देवी पाटन मेले की वार्षिक आय क्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश--आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि देवीपाटन का मेला एक प्रदेशीय ख्याति का मेला है और उसे किसी व्यक्ति विशेष को देने में हानि हो सकती है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां। मेला महत्व का है। किन्तु किसी व्यक्ति विशेष को देने का सवाल नहीं है। हाईकोर्ट में वहां एक देवी है उन्होंने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया और हाईकोर्ट में उनके पक्ष में फैसला दिया । इसलिये मेले का जो अधिकांश हिस्सा है वह उन देवी के प्रबन्धक के हाथ में है ।

सरजू तथा झिंगुरी नदियों पर पुल निर्माण का आयोजन

*४४--श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)--क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच-बहराम घाट रोड पर सरजू तथा झिंगुरी नदियों पर का अस्थायी पुलों को पक्का बनवाने का निश्चय किया गया है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)-- जी हां।

*४५--श्री सियाराम चौधरी--यदि हां, तो इनका बनना कब से आरम्भ होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--झिंगुरी नदी का पुल निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायगा। सरजू नदी पर पुल का डिजाइन बनाया जा रहा है तथा बन जाने पर आगणन तैयार किया जायगा। भारत सरकार द्वारा आगणन की स्वीकृति मिलने पर निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

श्री सियाराम चौधरी--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि झिंगुरी पुल के लिये कुल कितना रुपया सरकार ने मन्जूर किया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--बहराइच-बहरामघाट के लिये ११ और १७ मील के पुर्ननिर्माण के लिये ६ लाख ४२ हजार रुपये का आगणन स्वीकार हुआ है और इसके १६ वें मील पर पुल का आयोजन है।

श्री सियाराम चौधरी--क्या सरकार बतायेगी कि झिंगुरी पुल में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--उस का डिजाइन तैयार हो गया है तथा टेन्डर्स मांग लिये गये हैं।

श्री सियाराम चौधरी--क्या सरकार को ज्ञात है कि सरजू नदी पर जो अस्थायी पुल बना हुआ था उसके पीये कहीं दूसरे जगह भेज दिये गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन पुलों को पक्का बनाने का फ़ैसला सरकार ने कब किया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मई, १९५४ में झिंगुरी पुल का और सरजू का तो अभी विचार चल ही रहा है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--जब सन् १९५४ में सरकार ने इस पुल के बनाने का फ़ैसला कर लिया था तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि १९५५ तक अभी तक उस पर कुछ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष--कार्यवाही तो उन्होंने बता दी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार बतायेगी कि इस पुल के बनाने के लिये कोई टेंडर्स काल कर लिये गये हैं या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह तो मैंने बताया था श्रीमन्।

जिला देवरिया की ग्राम सभा सेमराहर्दी के सभापति श्री कामता प्रसाद के अपमान की शिकायत

*४६--**श्री रामसुभग वर्मा**--क्या सरकार बतलायेगी कि जिला देवरिया तहसील पडरौना के ग्राम सभा सेमरा हर्दी के सभापति श्री कामता प्रसाद को बांध कर गांव भर घुमाया गया और अपमानित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं।

*४७--**श्री रामसुभग वर्मा**--क्या सरकार के पास सभापति के अपमानित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, एक शिकायत आयी थी जिसकी जांच की गई, परन्तु वह सत्य नहीं पाई गई।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी गई।

श्री कैलाश प्रकाश--जिला अधिकारियों के द्वारा।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सही है कि वह अधिकारी मौके पर जांच करने के लिये नहीं गया था ?

श्री कैलाश प्रकाश—जो उन्होंने आवश्यक समझा होगा इन्क्वायरी करने के लिये वह किया होगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार को पता है कि जिस रोज की यह घटना बतलायी जाती है उस रोज नायब-तहसीलदार गांव में मौजूद था ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं । यह तो पता नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कामता प्रसाद से भी मौके पर शहादत और बयान लिया गया था ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, उसने जो आवश्यकता समझा वह किया । उस रिपोर्ट का पूरा-पूरा ब्योरा कि किस-किस का बयान लिया गया, मेरे पास नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय न्याय मंत्री जी इसको आवश्यक समझ करके कि शिकायत करने वाले का बयान लिया जाय, फिर इसकी जानकारी करने की कृपा करेंगे कि उसका बयान लिया गया या नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश—यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो इसका भी पता लगा लिया जायगा या उसकी रिपोर्ट के अनुसार सारी बातों की जानकारी करने के बाद यह बात नहीं है कि वहां उनका कोई इस तरीके का अपमान किया गया हो ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत आयी हैं ?

श्री अध्यक्ष—अपमान करने की शिकायत है, यह तो स्पष्ट ही है ।

*४८-४९—**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)—[१६ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या १९-२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

फतेहपुर जिले में अदालतें बढ़ाने की आवश्यकता

*५०—**श्री अनन्त स्वरूप सिंह** (जिला फतेहपुर)—क्या माननीय न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में कितनी सिविल क्रिमिनल अपीलें एवं कितने सिविल, क्रिमिनल मुकदमात सिविल एवं सेशन्स जज की अदालत में अनिर्णीत पड़े हैं ।

श्री सैयद अली जहीर— इस सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना नत्थी में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४७ पर)

*५१—**श्री अनन्त स्वरूप सिंह**—क्या सरकार अनिर्णीत अपीलों और मुकदमात को देखते हुए सिविल एवं सेशन्स जज की अदालत की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—फतेहपुर में एक सिविल व सेशन्स जज की स्थायी अदालत के अलावा एक अस्थायी अदालत १ अगस्त, १९५५ तक थी । हाईकोर्ट उस अदालत को फिर से स्थापित करने के विषय में विचार कर रहा है ।

श्री अनन्त स्वरूप सिंह—क्या माननीय न्याय मंत्री जी फतेहपुर में काम की ज्यादती को देखते हुये टेम्पोरेरी सिविल और सेशन्स जज की कोर्ट के बजाय परमानेंट सिविल और सेशन्स जज की कोर्ट कायम करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—यह मामला तो ऐसा है कि जिस पर हाई कोर्ट गौर करके सरकार को अपनी राय भेजती है। अगर हाई कोर्ट जरूरत समझेगी तो परमानेन्ट भी हो जायगी वरना अमूमन तो टेम्पोरेरी कोर्ट स जब कहीं काम बढ़ जाता है तो वहां भेज दी जाती हैं और जब काम कम हो जाता है तो वहां से हटा कर और जगह जहां काम ज्यादा होता है वहां भेज दी जाती हैं।

छाता से गोवर्धन तक सड़क की आवश्यकता

*५२—श्री रामहेत सिंह—क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि नोंझील शेरगढ़ सड़क जो कि अभी शेरगढ़ से छाता तक ही बन पायी है गोवर्द्धन तक कब तक बन जायगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—छाता से गोवर्धन को मिलाने के लिये किसी सीधी सड़क के निर्माण की योजना नहीं है।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि हर महीने की पूर्णमासी और अमावस्या को इस रास्ते से हजारों आदमी गोवर्धन की परिक्रमा को जाते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां। इस रास्ते से भी जाते हैं और दूसरे रास्तों से भी जाते हैं।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण रास्ते को जो बहुत से बीच के क्षेत्रों को मिलाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना में लेने की कृपा करेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—छाता से कोसी और नन्दगांव · बरसाना होकर गोवर्धन के लिये मार्ग है। अतः ऐसी स्थिति में ऐसे किसी मार्ग की तो आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

पांच से दस हजार की अपीलों के सम्बन्ध में अवध के कानून में भी आगरा की भांति संशोधन करने का सुझाव

*५३—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या न्याय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वान्चू कमेटी को सिफारिश पर न्याय प्रणाली में जो सुधार किये गये हैं, उनके अधीन पांच हजार से दस हजार तक के दीवानी के सब मुकदमों की अपीलें आगरा में हाई कोर्ट के बजाय, डिस्ट्रिक्ट जज सुनते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

*५४—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—यदि हां, तो यह प्रणाली अवध के जिलों में किन परिस्थितियों में लागू नहीं की गयी ?

श्री सैयद अली जहीर—उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) अधिनियम, १९५४, द्वारा यह सुधार आगरा के लिये किया गया था। उस समय अवध में लागू कानून में यह संशोधन नहीं किया जा सका। अब अवध के कानून में भी ऐसा संशोधन किया जा रहा है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो उत्तर की कापी दी गयी है उसमें प्रश्न ५३ में "जी नहीं" लिखा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—मेरी प्रति में "जी हां" लिखा हुआ है। तो आप "जी हां" पढ़िये। मेरे पास तो "जी हां" लिखा हुआ है और मेरे सचिव के पास "जी नहीं" लिखा हुआ है। किसी को "जी हां" उत्तर दिया है, किसी को "जी नहीं" दिया है। इसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी देंगे कि सही कौन है ?

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां भी दो जवाब हैं, एक में "जी हां" लिखा है, एक में "जी नहीं" ।

श्रीअध्यक्ष—तो सही कौन है ?

श्री सैयद अली जहीर—असली जवाब "जी हां" है ।

श्री अध्यक्ष—तो "जी हां" सही जवाब रहेगा ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह ठीक है कि सरकार को यह गल्ती उस समय तक नहीं मालूम हुयी जबतक हाई कोर्ट ने उसका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं किया ?

श्री सैयद अली जहीर—मुमकिन है यही सही हो ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी उस पत्र को पढ़ने की कृपा करेंगे जिसके द्वारा ऐसी व्यवस्था करने के लिये ध्यान आकर्षित कराया गया ?

श्री अध्यक्ष—पत्र क्या छोटा मोटा है या बड़ा भारी है ? अगर छोटा सा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दो चार सफों का हो तो न पढ़ें । उसको माननीय सदस्य देख लें ।

श्री सैयद अली जहीर—वह पत्र इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या माननीय न्याय मंत्री जी अपने डिपार्टमेंट को यह हिदायत देंगे कि "जी नहीं" या "जी हां" एक ही जवाब दिया करें ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब तो वे दे चुके हैं ?

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश सिविल लाज सुधार तथा संशो धन अधिनियम में इसका समावेश नहीं किया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—समझा यह गया था कि जब अवध और आगरा एक हो गया तो एक ही दोनों जगह कानून लागू हो जायगा और एक ही जगह तरमीम करने से दोनों जगह तरमीम हो जायगा, लेकिन मालूम हुआ कि अवध का जो कानून है वह अभी तक पुराना है, इसलिये फिर से करना पड़ रहा है ।

*५५–५६—श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र—[सदस्य ने त्याग-पत्र दे दिया अतः हटा दिये गये ।]

बनारस नगरपालिका पर चुंगी वापसी का बकाया

*५७—श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बनारस नगरपालिका पर चुंगी वापसी का कितना रुपया बाकी है और किस-किस सन् का बाकी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—बनारस नगरपालिका को पिछले वर्षों की चुंगी की निम्नांकित रकम जो ३१ जुलाई, १९५५ तक वाजिब थी वापस देनी है ;

अगस्त, १९५२ से मार्च, १९५३	१५,२००
अप्रैल, १९५३ से मार्च, १९५४	२५,९००
अप्रैल, १९५४ से मार्च, १९५५	३४,६००
अप्रैल, १९५५ से जुलाई, १९५५	६८,९८९
कुल	१,४४,६८९

उक्त रुपया उस माल के सम्बन्ध में है जो नगरपालिका से निर्यात (export) किया गया ।

नोट—तारांकित प्रश्न ५७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री लालबहादुर सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह कृपा करके बतलायेंगे कि चुंगी का रुपया वापिस करने में नगरपालिका के लोग इतनी देर क्यों करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो माननीय सदस्य नगरपालिका से पूछ सकते हैं, लेकिन मंत्री जी से जो पूछना हो वह पूंछें ।

श्री लालबहादुर सिंह—क्या माननीय मंत्री जी नगरपालिका को आज्ञा देंगे कि वह जल्दी से जल्दी रुपया दे दिया करें ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, नगरपालिका का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है, लेकिन इस रुपये के न दिये जाने का एक कारण यह है कि जो व्यापारी सामान ले जाते हैं वह छोटी छोटी रकम को वापस लेना नहीं चाहते हैं । जब उनका रुपया इकट्ठा हो जाता है तब इकट्ठा करके लेते हैं, इसलिये कुछ रुपया पड़ा रह जाता है ।

सूचना विभाग द्वारा जिलों को दिया गया सिनेमा का सामान

*५८—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में सूचना विभाग द्वारा सिनेमा के सामान कब से दिये गये हैं और उनसे कब से काम लिया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सिनेमा सेट्स इलाहाबाद को १९४८ में, आगरा, अलीगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, गोंडा, हरदोई, झांसी, लखनऊ, मुरादाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर को १९४९ में, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर को १९५० में, बांदा, बनारस, प्रतापगढ़, सीतापुर को १९५१ में, बरेली, देहरादून, जौनपुर, कानपुर, मैनपुरी मेरठ, रायबरेली, रामपुर, सुल्तानपुर को १९५३ में, अलमोड़ा, बस्ती, हमीरपुर, जालौन, खीरी, मिर्जापुर, नैनीताल, पीलीभीत, टेहरी-गढ़वाल तथा उन्नाव को १९५४ में तथा एटा और गढ़वाल को १९५५ में दिये गये हैं ।

देहरादून का सिनेमा सेट १९५४ में चोरी हो गया है । शाहजहांपुर का सिनेमा सेट यहां मंगवा लिया गया था । अभी वहां गाड़ी ठीक न होने के कारण सेट वापस नहीं भेजा गया है । और सभी जिलों में जब से ये सिनेमा यंत्र हैं तब से कार्य कर रहे हैं ।

जिला पंचायत अधिकारी बहराइच के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*५९—श्री राजनारायण (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत अधिकारी बहराइच के कुछ भ्रष्टाचार की शिकायत उनके पास आयी है ? यदि हां, तो कितने दिन से शिकायत की जांच हो रही है और कब तक पूरी होने की आशा है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, जिला पंचायत अधिकारी बहराइच के विरुद्ध भ्रष्टाचार की एक शिकायत दिसम्बर, १९५४, के अन्त में प्राप्त हुयी थी । इसकी जांच जनवरी सन १९५५, में प्रारम्भ की गयी थी और अब उसके शीघ्र ही समाप्त हो जाने की आशा है।

*६०—श्री देवकी नन्दन विभव—[१९ सितम्बर, १९५५, के लिये प्रश्न संख्या ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

मैनपुरी जिले में घिरोट-कुरावली तथा कुरावली-अलूपुरा सड़कों को पक्की बनाने की आवश्यकता

*६१—श्री गणेश चन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में घिरोर से कुरावली तक और कुरावली से अलूपुरा घाट तक पुख्ता सड़क बनाने पर वह विचार कर रही है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ५७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

निर्माण मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—जी नहीं । जिला नियोजन समिति तथा स्थानीय जनता ने इस सड़क को चौथी प्राथमिकता दी है और इस कारण पहिली तीन सड़कों के निर्माण के बाद सरकार इस सड़क के निर्माण के प्रश्न पर विचार करेगी ।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जालौन की एटा-कोंच तथा कोंच-उरई सड़कें बनाने में असमर्थता

*६२—श्री राम सहाय शर्मा (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या उसके पास डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जालौन द्वारा यह मांग की गयी है कि एटा-कोंच तथा कोंच-उरई सड़कें बनवाने में बोर्ड असमर्थ है अतः उनको P.W. विभाग ले ले ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां ।

*६३—श्री राम सहाय शर्मा—क्या सरकार ने इन सड़कों को P.W. विभाग में लिये जाने की आज्ञा प्रदान कर दी है ? यदि नहीं, तो इन सड़कों को P.W.D. में वह कब कब तक ले लेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—बोर्ड का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है । निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि ये सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा ले ली ही जायंगी, या कब तक ऐसा हो सकेगा ।

आबपाशी की दरों में कमी

*६४—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि आबपाशी की दरें प्रत्येक जिन्स पर क्या-क्या कम की गयी हैं और किस फसल से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार ने १ अप्रैल, १९५८, से की गयी बढ़ौती में ५० प्रतिशत की छूट दे दी है यह छूट जो प्रचलित सिंचाई दरों का १/६ अंश है और लगभग ३ आना प्रति रुपया होती है, रबी १९५४-५५ से लागू है और भविष्य में तब तक बराबर जारी रहेगी जब तक कोई दूसरा नया आदेश नहीं दिया जाता ।

*६५-६६—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—[हटा दिये गये ।]

कसया-तमकुही राज सड़क

*६७—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कसया से तमकुही राज जाने वाली सड़क कब पक्की बनायी गयी थी, उसकी चौड़ाई पहिले क्या थी और पक्की बनने पर कितनी चौड़ाई बढ़ाई गयी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—कसिया से तमकुही जाने वाली सड़क जिला परिषद्, देवरिया, द्वारा पक्की करायी गयी थी । सन् १९४७ ई० में यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपी गयी और तब से यह सड़क विभाग के अधीन है । इसकी चौड़ाई ८० फीट है । जब से इस विभाग के अधीन यह सड़क है इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ाई गयी ।

*६८—श्री राम सुभग वर्मा—क्या सरकार को ज्ञात है कि सड़क में निकली हुई जमीनों का मुआवजा किसानों को अब तक नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—१९४७ ई० से अब तक इस सड़क के लिये कोई अतिरिक्त भूमि नहीं प्राप्त की गयी है । अतएव मुआवजे का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*६९—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि सड़क में निकली हुई जमीनों का लगान किसानों के खाते से कम नहीं किया गया है और किसान उसको बराबर अदा करता है ? क्या सरकार उस लगान को खाते से अलग करने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—[११ अक्तूबर, १९५५, के लिये स्थानान्तरित किया गया ।]

राज्य की प्रथम श्रेणी की नगरपालिकाएं तथा उनकी आय

२—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में फर्स्ट क्लास म्युनिसिपल बोर्ड कौन-कौन हैं और उनकी वार्षिक आय क्या-क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर—एक विवरण-पत्र जिसमें मांगी हुयी सूचना दी हुयी है, सदन के मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४८ पर)

३–४—श्री गज्जू राम (जिला झांसी)—[११ अक्तूबर, १९५५, के लिये स्थगित किये गये ।]

माताटीला बांध से सीमरधा बांध तक नहर का प्रभाव

५—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह माताटीला बांध से अठोदना बांध होती हुयी सीमरधा बांध तक कोई नहर बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । उक्त दो बंधों के बीच कई नाले हैं और सिंचाई के योग्य भूमि भी अधिक नहीं है । अतः नहर की योजना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होती ।

भुजेरा व हत्रार, जिला झांसी, में तालाब की आवश्यकता

६—श्री गज्जू राम—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्राम भुजेरा, ग्राम हत्रार, तहसील ललितपुर, जिला झांसी, में तालाब बनाने का वह विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई ऐसी योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

तालबेहट के मानसरोवर तालाब की मरम्मत की आवश्यकता

७—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि तालबेहट के मानसरोवर तालाब की मरम्मत कराने का वह विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

बनारस की नाव दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, पिछले ४ सितम्बर को नाव की जो दुर्घटनायें बनारस में हुईं, उनमें सब मिला के २६ व्यक्ति डूब गये। पहली दुर्घटना तो लगभग १० बजे सवेरे सिंधिया घाट पर हुई । आज कल चूंकि इस साल दो भादों लगे हैं इस वजह से पंचकोशी का मेला लग रहा है और नगर की परिक्रमा करने में लोगों को कुछ रास्ता पानी में नाव पर पार करना पड़ता है। कुछ यात्रियों से लदी हुई एक नाव जा रही थी। ऐसा मालूम होता है कि सिंधिया घाट के सामने वह किसी भंवर में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

फंस गई, क्योंकि देखते देखते एकाएक नाव डूब गयी। आमतौर से मल्लाह नहीं डूबा करते हैं लेकिन इसमें वे भी डूब गये, नाव तक का भी आज तक पता नहीं लगा, हालांकि कई जाल डाले गये, कई-कई मील तक जाल डाल कर उसे ढूंढा गया लेकिन कोई पता नहीं चला। इन सब बातों से अन्दाज होता है कि वह नाव भंवर में फंस गयी। उस नाव पर २५ व्यक्ति थे जिनमें से कुल जमा दो बुढ़िया औरतें बच गईं और किसी का पता नहीं लगा। इतना ही मालूम हो सका कि वे लोग मिर्जापुर के थे।

उसके थोड़ी देर के बाद पंचगंगा घाट के सामने दूसरी दुर्घटना हुई। उसमें ऐसा हुआ कि जो नाव पर पाल था उस का बांस यकायक टूट गया। हवा बड़े जोर से चल रही थी जिसकी वजह से वह बांस टूट गया और मल्लाह लोग नाव सम्हाल नहीं सके। नाव डूब गयी। उसके बाद २६ स्त्रियां, एक छोटा सा बच्चा और एक १३–१४ वर्ष का लड़का, इतने आदमी बचाए जा सके। तीन व्यक्ति उस नाव में से डूब गये। डूबने वालों को बचाने में जिन लोगों ने परिश्रम किया उनमें से खास तारीफ उस १३–१४ साल के लड़के की है। उसका नाम शोभनाथ सिंह है। बनारस के देहात का रहने वाला है। उसने अपने आप को डूबने से बचाया और कई स्त्रियों को डूबने से बचाया। इस प्रकार दोनों नावों को मिला कर २६ व्यक्तियों के प्राण गये। जहां तक पहली दुर्घटना की बात है उसमें तो किसी की लापरवाही जान पड़ती नहीं है लेकिन दूसरी नाव का मामला ऐसा मालूम पड़ता है कि मल्लाहों से कुछ लापरवाही जरूर हुई और उसका एक प्रमाण यह भी है कि जैसे ही नाव डूबी मल्लाहों ने अपने को बचाया और दूसरों को बचाने की कोशिश करना तो दूर रहा वे भाग गये और अभी तक वे कहीं भागे हुये हैं। इसके माने यह हैं कि नाव उन्होंने जरूरत से ज्यादा लाद दी थी। बहरहाल, जांच पड़ताल हुई है और मुकदमा भी उनके ऊपर चलने वाला है। अब आयन्दा इस तरह की दुर्घटना न हो इसके लिये छोटी नावें जिनमें ३० आदमियों से कम बैठ सकते हों और तीन मल्लाहों से कम लगते हों उनको जब तक पुरुषोत्तम का महीना है रोक दिया गया है। इसके अलावा कुछ पुलिस वाले भी खासतौर से इस काम के लिये तैनात कर दिये गये हैं घाटों पर यह देखने के लिये कि जितने आदमी बैठ सकते हैं उससे अधिक आदमी न बैठाये जायं।

*उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब न्याय मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५, पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन बतलाया था कि जहां तक डिसक्वालिफिकेशन्स का सवाल है, यह सरकार एक के बाद दूसरा विधेयक लाकर इस सम्बन्ध में प्रजातंत्र पर कुठाराघात कर रही है। एक तरफ तो सरकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात करती है और दूसरी तरफ हर मौके पर ऐसे विधेयक लाने में जिनमें सरकारी हस्तक्षेप हो सके, सरकारी दल के लोगों का प्रभाव हो, वह चूकती नहीं है। यह तीसरा विधेयक है। अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने एम्पलाईज इंश्योरेन्स ऐक्ट है, उसके मातहत जो कारपोरेशन का संगठन होता है, या स्टैंडिंग कमेटी का संगठन होता है, उसमें किसी विधायक की आवश्यकता नहीं है न तो कारपोरेशन में और न स्टैंडिंग कमेटी में ही। ऐसी हालत में अनर्हता विधेयक द्वारा यह अधिकार प्राप्त किये जायें कि विधान सभा के मेम्बर इसमें रखे जायें, मैं समझता हूं कि सरकार के लिये यह मुनासिब नहीं है।

---

* १९ अगस्त, १९५५, की कार्यवाही में छपा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें यानी कारपोरेशन में और स्टैंडिंग कमेटी के कार्य के लिये जो फंड है उस में कितने व्यापक अधिकार हैं। कारपोरेशन के मेम्बर और स्टैंडिंग कमेटी के मेम्बरों द्वारा और मजदूरों के जिन्दगी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचता, जिससे इस समय इस फंड का इस्तेमाल न होता हो बावजूद इसके कि वहां लड़ाकू संगठन हिन्द मजदूर सभा आदि हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन संस्था है जो सरकारपरस्त संस्था है और फिर भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि अभी ८० दिन तक कानपुर में सारे मजदूरों की हड़ताल हुई थी उस समय यही संस्था थी जो हड़ताल तोड़ने की कोशिश कर रही थी। शुगर मिल के कर्मचारियों में भी इस संस्था का नगण्य हाथ रहा। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि इस विधेयक द्वारा सरकारी कर्मचारियों को और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को इस क़िस्म के अधिकार देकर सरकार राजनैतिक लाभ उठाना चाहती है और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा मजदूरों पर विशेष प्रभाव डालकर कांग्रेस पार्टी के घटते हुये प्रभाव को कायम रख सके, इसलिये ऐसा सरकार कर रही है। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करना चाहता हूं। मजदूरों को अपने संगठन करने में आजादी होनी चाहिये। इस किस्म के विधेयक द्वारा मजदूरों पर गलत तरीके से दबाव डालना मुनासिब नहीं है।

मेरी राय में सरकार एक राजनैतिक लाभ उठाने के लिये और सरकारी दल का प्रभाव डालने के लिये मजदूरों पर यह विधेयक ला रही है। यह ऐक्ट धीरे धीरे सारे प्रदेश में लागू होता जा रहा है। यह एक ही रास्ता था जिससे वह मजदूरों पर अपना प्रभाव डाले और राजनैतिक लाभ उठाये और अगले चुनाव में या जब जरूरत पड़े तो इसका लाभ उठाया जाय। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी ने इसका विरोध करते हुये यह कहा कि सरकार इस विधेयक को इसलिये ला रही है कि मजदूरों पर इसका प्रभाव बढ़े या वह मजदूरों को अपने हित में ला सके। यह बात तो मैं स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। लेकिन मुझे दुख है कि कई कारणों से मैं इस विधेयक का समर्थन कर पाने में अपने को विवश पा रहा हूं। अभी तक इस सदन में अनर्हता निवारण के सम्बन्ध में जो कानून बने हैं उनकी संख्या लगभग ५ है, ऐक्ट १९५१, ऐक्ट १९५२, ऐक्ट १३, १९५२, ऐक्ट १९५३..... .

श्री अध्यक्ष—क्या आप विरोध कर रहे हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैंने कहा कि मैं इसका समर्थन करने से अपने को असमर्थ पा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आपने 'विवश' शब्द का प्रयोग किया था।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—'विवश' को सुधार कर 'असमर्थ' कर दिया जाय।

तो मैंने जैसा निवेदन किया, ये ५ ऐक्ट जो बने हैं वे भिन्न भिन्न अवसरों पर जब आवश्यकता हुई तो इस प्रकार के विधेयक उपस्थित किये गये। सन् १९५१ में तो तीन बातें ध्यान करके विधेयक उपस्थित किया गया। स्टेट गवर्नमेंट को सलाह देने के निमित्त आनरेरी अफसर को किसी खास ड्यूटी के लिये, खास अफसर को, चेयरमैन या मेम्बर के स्थान के लिये, दूसरा नम्बरदार को, प्रदान संग्रह या मालगुजारी के लिये यह अनर्हता निवारण विधेयक लाया गया। १३वां ऐक्ट उपमंत्री पद या मंत्री पद के लिये, प्रतिकर भत्ते के लिये या कम्पेन्सेटरी अलाउन्स के लिये यह विधेयक पेश किया गया। फिर इसके बाद ऐक्ट २० टैरिटोरियल आर्मी या नेशनल कैडट कोर में भरती होने के लिये कानून बना और सन् ५४ में नेशनल लोन सर्टिफिकेट और नेशनल प्लान सर्टिफिकेट

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

के एजेन्ट बनने के लिये जो कमीशन आदि होता है उसके लिये यह विधेयक पास किया गया। ये जो तमाम विधेयक उपस्थित किये गये उनमें एक खास बात तवज्जह करने की है। उसके अन्तर्गत इस सदन के माननीय सदस्य बहुत से, अगर यह विधेयक पास न किये जाते, तो चुनाव में खड़े होने के लायक नहीं हो सकते थे, क्योंकि प्राफिट की डैफिनिशन में वह बातें आ जातीं इसलिये कम्पैन्सेटरी अलाउन्स के बारे में मेम्बरों के ऊपर अयोग्यता का प्रश्न था तो वह इस विधेयक में लागू होता था लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वर्तमान विधेयक के खिलाफ कोई अयोग्यता का प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य यदि यह विधेयक पास न हो तो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कि अभी भी इस स्टेट इम्पलाईज इन्श्योरेन्स ऐक्ट के मातहत जो सदस्य होते हैं वह इस समय भी इस सदन के माननीय सदस्य नहीं हैं। उसमें तीन तरह के सदस्य होने की बात है। कारपोरेशन का एक सदस्य ए० बी० सी० स्टेट का एक नुमायन्दा हो, स्टैंडिंग कमेटी का एक सदस्य, तीन ऐसे स्टेट के नुमायन्दे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किये गये हों और बेनिफिट कौंसिल का सदस्य। तो उसका क्षेत्र बहुत लिमिटेड है। अभी कोई सदस्य इस स्टेट इम्पलाइज इन्श्योरेन्स की कमेटी में नहीं है। स्टेट इम्पलाईज इन्श्योरेन्स ऐक्ट के मातहत जो कानून बनाया गया उसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? भविष्य में कोई डिस्क्वालिफाई होने वाला हो तो उसके लिये कोई कानून नहीं बन सकता है। भविष्य में अगर कोई होने वाला हो तब भी एक या दो सदस्यों को वहां पर नामजद नहीं कर सकते हैं इसलिये भी कानून बनाना अनुचित है। बहुत सी स्टेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सरकार नामजद कर सकती है उन कमेटी के लिये जो स्टेट इम्पलाईज इन्श्योरेन्स ऐक्ट के मातहत बनेगी। यह भी निश्चित नहीं है कि विधान सभा के सदस्य होने वाले हैं। यह बात दूसरी है कि अगर सरकार इसको जानती हो कि वह किसी विशेष सदस्य को नामजद करेगी तो उसके लिये जब नामजदगी हो जाय तब ही कानून आना ठीक है कि हमारा एक सदस्य डिस्क्वालिफाई हो जायगा। अब तो कोई डिस्क्वालिफाई नहीं हो रहा है। भविष्य में अन्देशा है इसके लिये भी कोई कानून नहीं बनाया जाना चाहिये। साथ ही हमारे यहां परिपाटी यह रही है कि हमारे पुराने कानून प्रतिकर भत्ता, मोटर अलाउन्स, मकान का किराया, अलाउन्स देना इसके लिये बनते रहे हैं आज इस विधेयक से नई परिपाटी स्थापित की जा रही है कि शुल्क भी डिस्क्वालिफीकेशन से बरी किया जाय। यह उचित प्रतीत नहीं होता है। डियरनैस एलाउन्स तो जायज चीज है। शुल्क के कानून की व्यापकता है और न इससे कोई सदस्य डिस्क्वालीफाई होता है। मैं नहीं जानता हूं कि क्यों यह विधेयक लाया गया है। इसलिये यदि यह विधेयक वापस ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के विरोध में खड़ा हुआ हूं। ऐसा बिल जिसमें हमारे माननीय सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन दूर हो जाय और भी दो एक हमारे सामने आये। उस समय हमने गौर किया था कि जहां हमारी विधान सभा के सदस्यों का होना बहुत ही आवश्यक हो वहां हमने उसकी राय दी। हमारे अवस्थी जी ने यहां जो भाषण दिया उससे मैंने यह समझा कि लेबर के कार्य कर्ताओं को शायद इनशोरेंस कारपोरेशन में रखने के लिये बिल लाया गया है। हमारे अवस्थी जी जो बहुत बड़े नेता हैं उन्हें सोचना चाहिये कि अव्वल तो ऐसी चीज नहीं है और यदि है तो हमारे जो लेबर में छोटे छोटे काम करने वाले हैं उन्हें भी अवसर मिलना चाहिये। अवस्थी जी तो बाहर से भी काम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह जनता और हम सदस्यों के हित में नहीं है कि हम यह दिखलावें कि हर चीज में हम ही घुसना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जैसा और सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, सरकार इस बिल को वापस ले।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मौर्य जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब मरीज बीमार हो तब इलाज करना चाहिये न कि जब

वह मर चुका हो। मौर्य जी का सुझाव बिलकुल यही है कि जब किसी को डिसक्वालिफाई कर दिया जाय तब माननीय मंत्री जी यहां एक बिल लावें और उस के बाद मातम मनाया जाय। वक्त जरूरत पर सरकार ने यह बिल रखा है कि मेम्बरों को वहां जाने का मौक़ा मिले। भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह असेम्बली और पार्लियामेंट के लिये खड़ा हो। एक आदमी का इस लड़ाई में करीब लाख डेढ़ लाख रुपया खर्च होता है और इतना ही सरकार का होता है। मैं मौर्य जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी आफत क्यों लाई जाय। हमने संशोधन में रखा है कि अगर मेम्बर ग़लत काम करें तो उसे डिस्क्वालिफाई कर दिया जाय। इन्श्योरेन्स का काम जनता का ही यानी ग़रीबों का ही है। हम लोग पब्लिक के ही चुने हुये हैं। यहां अंग्रेज या पूंजीवादी कोई नहीं है। मौर्य जी, मदनमोहन जी और राजा साहेब जी उसके मेम्बर हो सकते हैं, क्योंकि जनता ने उनके अन्दर विश्वास दिखाया है और उन्हें यहां भेजा है। डैमोक्रेसी में डैमाक्रेटिक सरकार के मेम्बरों के लिये गवर्नमेंट ने एक छोटी सी क़िस्म का अमेंडमेंट पेश किया है। अगर गवर्नमेंट मुनासिब समझेगी तो इंडियन गवर्नमेंट से प्रार्थना करेगी कि डिसक्वालिफ़िकेशन अमेंड कर दे। अभी हाल में मिसेज कृपलानी जी के खिलाफ़ इलैक्शन पैटीशन चल रहा था और वह बाल बाल ही बची थीं। अगर उनका एलेक्शन डिस्क्वालिफाई कर दिया गया होता तो उधर से आवाज उठायी जाती। मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि यह बिल पास होना चाहिये।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से इस बिल का विरोध करना चाहता हूं। हम ऐसा समझते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा समय आ गया है कि जिस वक्त यह सोचना चाहिये कि एक आदमी को एक से ज्यादा रोजी न मिल सके। बहुत सी रोजियां हों और एक आदमी को एक से ज्यादा रोजियां मिलें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस देश में इतने अधिक आदमी हों कि उनको रोजी देने का प्रश्न सरकार के सामने एक जटिल समस्या पैदा कर दे, चाहे वह केन्द्र की सरकार हो, चाहे सूबे की, वहां हर सरकार का यह फर्ज है कि वह अपने मुल्क के बेरोजगार लोगों को रोजी दे। हमें यह नहीं मानना चाहिये कि जो ४३० माननीय सदस्य यहां बैठते हैं केवल वही सारे कामधन्धों में सिद्धहस्त हैं।

श्री शिवनारायण---प्वाइंट आफ आर्डर सर,। ४३० मेम्बर नहीं हैं, ४३१ हैं। इसलिये वह ४३० को वापस लें।

श्री गेंदा सिंह---मैं अपने को दुरुस्त किये लेता हूं और माननीय शिवनारायण जी को धन्यवाद देता हूं।

सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम हर मनुष्य को रोजी दें। मैं मानता हुं कि यहां के माननीय सदस्यों में शायद बाहर वालों से ज्यादा काबलियत अधिक कामधंधों को करने की हो। हमारे सदस्य बहुत ही अच्छी योग्यता रखते हैं और अगर यह कहा जाय कि वह सिद्धहस्त हैं तो ठीक है। लेकिन अगर यह कहा जाय कि कोई दूसरा आदमी सिद्ध-हस्त है ही नहीं जो बाहर का है, तो इसे मानने को मैं तैयार नहीं हूं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी आंख ४३१ सदस्यों को छोड़ कर इस सूबे की ६३२ लाख आबादी की ओर डालें। इन ६३२ लाख मनुष्यों में से काफ़ी ऐसे मिलेंगे जो इस कार्य को अच्छी तरह कर सकते हैं यद्यपि इस बात का मैं क़ायल हूं कि हमारे माननीय सदस्य अधिक सिद्धहस्त साबित होंगे। लेकिन दूसरों को भी तो काम देना है और इसका उन्हें मौक़ा देना चाहिये। यह मेरा बहुत ही नम्र निवेदन है। मैं माननीय मौर्य जी की दलील से इत्तफाक नहीं करता हूं। माननीय मौर्य जी को सिर्फ इतनी ही शिकायत है कि पहले यह मालूम हो जाय कि कौन आदमी जा रहा है फिर उसके बाद ऐसे विधेयक को लाने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

आवश्यकता होगी। मैं तो ऐसा समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्यों में से कोई भी जाय और उसके लिये मुसीबत हो जाय और इस बात से वह डिसक्वालिफाई हो जाय, यह ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वह इस तरह से डिसक्वालिफाई हो जाय चाहे वह कोई भी सदस्य हो। माननीय मौर्य जी के कहने का मतलब यह है कि वे किसी व्यक्ति को जानने के बाद ही फैसला कर सकते हैं कि इस विधेयक पर विचार किया जाय और इस विधेयक के पक्ष में या विपक्ष में राय दी जाय। मैं उनसे अर्ज करूंगा कि वे फिर अपनी इस बात पर गौर करें और बजाय इस बात के कि किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष या विपक्ष में राय कायम करें, वे उसके मेरिट पर ही राय कायम करें और वह मेरिट काबलियत ही होना चाहिये। लेकिन इसके साथ मैं माननीय न्याय मंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे सामने जो बेरोजगारी और बेकारी का बड़ा भारी ईश्यु है, उससे भी इन्कार नहीं करना चाहिये। उस बेकारी के इश्यू को सामने रखते हुये २–४ आदमियों को इस बहाने से ही रोजी मिल जायगी, इसलिये इस विधेयक की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिये वे उस को वापस ले लें।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब स्पीकर साहब, इस विधेयक पर मैंने लीडर आफ दी अपोजीशन की तक़रीर सुनी और मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ जब मैंने यह देखा कि वह भी इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे हाउस के एजेन्डे को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं और इसके अलावा हर मामले को बहुत समझ बूझकर रखते हैं, लेकिन मेरी यह बात बिलकुल समझ में नहीं आयी कि आखिर इस बिल की मुखालिफ़त करने की क्या वजह है। यह पहला मौक़ा नहीं है जब इस सदन के अन्दर इस किस्म का बिल आया हो। इसके पहले भी इसके अन्दर ऐसे बिल आये हैं और डिस्क्वालिफिकेशन दूर करने का सवाल हमारे सामने आया है। आफिस आफ प्राफिट के सिलसिले में इस बात को साफ करने की पूरी कोशिश की गयी कि कौन कौन सी जगहें आफिस आफ प्राफिट हो सकती हैं। उस वक्त इसी सदन के सामने यह सवाल आया था कि मुख्तलिफ कमेटियों में जो मेम्बरान काम करते हैं और उनमें काम करने पर जो डी० ए०, टी० ए० या रेम्युनरेशन मिलता है वह आफिस आफ प्राफिट में आता है या नहीं और हमने सदन के सामने बैठकर यह फैसला दिया था कि यह आफिस आफ प्राफ़िट में नहीं आता है। आज इसी किस्म का दूसरा बिल हमारे सामने है और यह बिल उससे बहुत ही कम अहमियत रखता है। आफिस आफ प्राफिट वाले बिल में हम यह तय कर आये हैं कि कमेटियों में जो लोग जाते हैं और उनको वहां जाने से किसी किस्म की सहायता मिलती है, अलाउन्स या रेम्युनरेशन की सूरत में, तो वह डिसक्वालिफिकेशन नहीं होगी। यही इसकी बुनियाद है और इस सूरत से यह कमतर किस्म का बिल है और उसी किस्म की रियायत इसके जरिये से दी जा रही है। जो लोग इन्श्योरेन्स कमेटी में काम करेंगे वे डिस्क्वालिफाई नहीं होने चाहिये। मुझे ताज्जुब हुआ जब माननीय गेंदा सिंह जी ने फरमाया कि इस बिल को पास करने के बाद एम्पलायमेंट के मसले पर बुरा असर पड़ेगा और असेम्बली के मेम्बरान इंम्श्योरेन्स कमेटी में जाकर अपनी जेबें ज्यादा भर लेंगे। इस सदन में जो लोग आते हैं उनको कौन सी उम्दा रकम मिलती है? सिर्फ दो सौ रुपया माहवार और डी० ए०, टी० ए० मिलता है। वह जिम्मेदारी के और भी काम कर सकें इसलिये कांस्टीट्यूशन में यह जगह रक्खी गयी है। जब ये यहां आते हैं तो बीसियों मेहमान उनके यहां खाना खाते हैं, उनको उनकी ख़ातिर करनी पड़ती है। यह दो सौ रुपये में करना बड़ा मुश्किल है। उसके लिये दो सौ रुपया बहुत कम है और अगर अपने इखराजात को पूरा करने के लिये हाउस के बाहर रहकर भी कुछ ईमानदारी से पैदा कर लेते हैं तो आप लोगों को ग्रज नहीं करना चाहिये। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसके मानी यह होंगे कि आप उन लोगों के लिये दरवाजा बन्द कर देंगे कि जो पब्लिक वर्क के लिये यहां आते हैं, वे अपनी निजी जरूरतों को भी पूरा कर सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां भी रहें, आवें जावें और सब कुछ करें। ऐसी हालत में हम अगर उनकी किसी जायज आमदनी को रोकते हैं तो उस के मानी यह हैं कि हम उसी जमाने के लोगों के लिये जिनके हाथ में पहले से पालिटिक्स थी, यानी बड़े लोगों के हाथ में पालिटिक्स देना चाहते हैं। कौन ऐसा आदमी होगा कि जो ८००० रुपया मेम्बरी में खर्च करे चुनाव के वक्त और मेम्बर बनने के बाद २०० रुपये में यहां भी रहे, कांस्टीटुएन्सी में भी बार बार आवें और जावें, यहां की कमेटियों में भी हिस्सा लें और जो मेहमान वगैरह आते रहते हैं उनकी खातिर मदारात करें? यह सब बहुत मुश्किल है। अलबत्ता इससे यह जरूर होगा कि जो पब्लिक वर्कर हैं और जिनको कौम और मुल्क की खिदमत का शौक है वह यहां आने से रुक जायंगे और पहले जिस तरह से जमींदार ताल्लुकेदार यहां आते थे और अब जब कि वह तबका खत्म हो गया इंडस्ट्रियलिस्ट्स आवेंगे जो बड़े लोग हैं वही आवेंगे और यह किसी तरह से भी डेमोक्रेटिक उसूलों के मुताबिक न होगा और न उस उसूल के मुताबिक़ होगा जिस उसूल को माननीय गेंदा सिंह बना रहे हैं। मैं उनसे अदब के साथ और बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा कि वह अपने फैसले को दोहरावें और समझें कि असेम्बली के मेम्बर के पास इससे कोई सरमाया नहीं बढ़ जायगा। जो पब्लिक वर्कर हैं वह अपनी आमदनी को सप्लीमेंट करने के लिये हाउस से बाहर अगर कोई थोड़ा सा बिजनेस करता है तो उसे तो हमें वेलकम करना चाहिये ..

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य समझ रहे हैं कि इस बिल में कोई इन्श्योरेन्स एजेंट का काम रोका जा रहा है, यहां ऐसी बात नहीं है, वह दूसरी चीज है।

श्री सुल्तान आलम खां--वह मैं समझ रहा हूं और मैं समझ रहा हूं कि बिल का क्या मन्शा है। मैं यह कह रहा था कि अगर मेम्बर्स कोई काम असेम्बली के बाहर करते हैं जिससे उनकी आमदनी पर असर पड़ता है और हाउस के काम पर उसका कोई असर नहीं पड़ता तो इसमें क्या हर्ज है; जब कि हम पहले ही इस बिल के बुनियादी उसूल को मान चुके हैं तब तो और भी हमें इसको मानना चाहिये और इसे पास करना चाहिये। अगर हम इस तरह से छोटी-छोटी बातों पर मेम्बर्स को डिस्क्वालीफाई करेंगे तो जो अच्छे वर्कर्स की कमी है, अच्छे वर्कर्स नहीं मिलते हैं उनके मिलने में बहुत दिक्कत होगी और जब हमें अच्छे वर्कर्स न मिल सकेंगे तो हमें यहां के काम को ठीक तरह से चलाने में दिक्कत और दुश्वारी होगी। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह इस बिल को मंजूर करें और पास करें। इससे किसी तरह से न तो एम्पलायमेंट या अनएम्प्लायमेंट पर असर पड़ता है और न यह कोई बड़ा भारी मसला है, यह तो एक सीधासाधा सा बिल है और हाउस को उसे मंजूर करना चाहिये।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--जनाब अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि जो तकरीरें यहां इस बिल के मुताल्लिक़ हुई हैं चाहे वह हमारे साथियों की तरफ से हुई हैं या विरोधी दल की तरफ से, उसमें कुछ थोड़ी सी गलतफहमी हैं जिनकी वजह से इस तरह की तक़रीरें हुईं। एक बात जो मुझे अर्ज करना है वह यह है कि जिस दफा में यह लिखा गया है कि कोई शख्स जो लेजिस्लेचर का मेम्बर हो वह आफिस आफ प्राफिट नहीं होल्ड कर सकता तो उसी के साथ-साथ उसमें यह भी लिखा गया है कि लेजिस्लेचर को अख्तियार है कि वह इस तरह की डिसक्वालिफिकेशन से मुस्तस्ना कर सकता है। दफा १९१ की क्लाज (a) जो है वह यह है कि--

"A Person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State.

(a) If he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder."

[श्री सैयद अली जहीर]

तो मैं यह अर्ज करूंगा कि जब दफ़ा खुद कह रही है कि जितने ऐसे आफिसेज को लेजिस्लेचर डिक्लेयर कर दे कि वह डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो उसके ऊपर यह दफा लागू नहीं होगी। जब क़ानून इस तरह का है तो जाहिर है कि वक्तन फवक्तन इसकी जरूरत पड़ सकती है कि ऐसे कानून लाये जायं। इंग्लिस्तान में जिस वक्त कि इस मसले पर बहुत तफसीली बहस यहां हुई थी मैंने उस वक्त यह पेश किया था कि वहां पर जब कभी भी कोई नई पोस्ट क्रियेट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त एक बिल महज उसी पोस्ट के लिये आता है वह पास हो जाता है और इस तरह से दर्जनों बिल पार्लियामेंट में और असेम्बलीज में लाये जाते हैं। कानून इस तरह का है कि माननीय सदस्य किसी आफिस आफ प्राफिट को उसी वक्त ग्रहण कर सकते हैं जब उसको मुस्तसना कर दिया जाय। तो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कानून बराबर आते हैं और आयेंगे जैसे जैसे गवर्नमेंट की ऐक्टीविटीज बढ़ती जायंगी वैसे वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर हम थोड़ी देर के लिये यह सोचें कि यह उसूल कब से शुरू हुआ तो आप यह देखें कि इसकी असली बुनियाद तो कब की जायज हो चुकी, लेकिन यह दस्तूर चला आता है कि आफिस आफ प्राफिट जो शख्स होल्ड करे वह लेजिस्लेचर का मेम्बर नहीं होगा। इस दस्तूर को कांस्टीट्यूशन के अन्दर भी शामिल किया गया। वाकया यह है कि इसकी कोई खास अहमियत बाक़ी नहीं रह गई है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे कि जिस वक्त पार्लियामेंट में और बादशाह में इंगलैन्ड में जंग होती थी तो बादशाह यह चाहता था कि पार्लियामेंट में सब मेम्बर ऐसे आ जायं जो उसकी हां में हां मिलाने वाले हों और जनता की सही नुमाइन्दगी करने वाले न हों और इसलिये वह लोगों को जगह जगह ओहदों पर नियुक्त कर के मेम्बर नियुक्त करता था। इसको रोकने के लिये इस किस्म के कानून की जरूरत पड़ी। लिहाजा एक मुद्दत वहां की पोलिटिकल हिस्ट्री में ऐसी मिलेगी जब इसके ऊपर मुखालिफत चलती रही और कानून बदलते रहे कि कहां तक इसको रोक सकते हैं और कहां तक नहीं। लेकिन जब डिमोक्रेसी हो गई और पूरी हुकूमत चुनी जाती है जनता की तरफ से तो यह कहना कि माननीय सदस्य किसी ओहदे को नहीं ले सकते इसके कोई मानी नहीं रह गये, क्योंकि गवर्नमेंट जो मुकर्रर करने वाली है वह भी वही है जो जनता से चुने जाते हैं। कोई बादशाह नहीं है न कोई फासिस्ट हुकूमत है जो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से जो मेम्बर हैं उनको फायदा पहुंचाकर अपने साथ कर लें। उनको भी और मेम्बरों को भी जनता के सामने जाना है। तो जो असली वजह थी वह बाक़ी नहीं है। इस वजह से इसके ऊपर सख्ती हीं होती। जैसे जैसे पोस्ट कायम होती है उस के लिये हाउस में बिल लाकर इजाजत दे दी जाती है। यह इंग्लिस्तान में भी होता है और हम भी आज उसी पर अमल कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि अव्वल तो इसमें यह गलतफहमी है कि आज अगर कानून पास कर देंगे तो कारपोरेशन के जितने मेम्बर हैं वह सब लेजिस्लेचर के मेम्बर हो जायेंगे। अभी तो यह भी यकीन नहीं है कि अगर कानून पास भी हो जायगा तो भी कोई माननीय सदस्य किसी कारपोरेशन के मेम्बर होंगे या नहीं। लेकिन असली बात है वह यह है कि कोई सिर्फ लेजिस्लेचर का मेम्बर होने की वजह से जो अनर्हता उसके लिये रखी है उसको हम निकालें या न निकालें, उसका निवारण हो या न हो और अगर यह अनर्हता हम निवारण नहीं करते हैं तो फिर हमारे माननीय सदस्य कारपोरेशन की सेवा और जनता की सेवा नहीं कर सकेंगे या इंश्योरेंस वगैरह की जो थोड़ी सी लेबर है वह नहीं कर सकेंगे, सिर्फ यह बहस है। केबिनेट यह समझती है और हम लोग यह समझते हैं कि इसकी कोई वजह नहीं है कि महज लेजिस्लेचर का मेम्बर हो जाने की वजह से किसी शख्श में कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाय। अगर जरूरत हो तो वह इसके अन्दर भी हो सकती है। इस कानून की सिर्फ इतनी गरज है। न रोजी दिलाना मकसूद है और न रोजी बढ़ाना मकसूद है। न रोजी छीनने का मकसद है कि किसी को रोजी मिल जायगी और माननीय सदस्य उसे ले लेना चाहते हैं। इसका कोई खयाल नहीं है। गालिबन दो एक मेम्बर चाहे किसी

पार्टी के हों जो इन बातों से वाकिफ होंगे उनको गवर्नमेंट आफ इंडिया चाहेगी तो नामजद कर देगी। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं यह ऐक्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया का है, हमारे यहां का ऐक्ट नहीं है, गालिबन वे लोग नामजद करेंगे और इसमें यह इजाजत ले ली जा रही है कि किसी वक्त जरूरत समझी जाय और कोई माननीय सदस्य नामजद किया जाने लगे तो कोई रुकावट बाकी न रहे और यह डिस्क्वालिफिकेशन हटा दी जाय, क्योंकि वे इस तरह का काम करते हैं, नुमाइन्दे हैं, अच्छी तरह से काम अन्जाम दे सकते हैं, जिम्मेदार लोग हैं और इस तरह का काम उनके सुपुर्द किया जाता है तो वे काम अन्जाम दे सकें। इसलिये यह कानून लाया गया है। चाहे जिस तरफ के लोग हों उन्हें अब इस पर कोई एतराज करने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२---एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट, १९४८ के अधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस के अथवा उक्त ऐक्ट के अधीन तथा अनुसार संगठित किसी बोर्ड, कमेटी या कौंसिल के सदस्य का पद उस पर अध्यासीन व्यक्ति को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिये अनर्ह (disqualify) न करेगा। अनर्हता निवारण।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा सदस्य केवल प्रतिकर भत्ता का ही (शुल्क का नहीं) अधिकारी होगा।"

अध्यक्ष महोदय, जिस खंड २ में मैं यह प्रतिबन्ध लगाना चाहता हूं वह इस प्रकार है---

"एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इम्पलाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट, १९४८ के अधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन के अथवा उक्त ऐक्ट के अधीन तथा अनुसार संगठित किसी बोर्ड कमेटी या कौंसिल के सदस्य का पद उस पर अध्यासीन व्यक्ति को उत्तर प्रदेशन विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिये अनर्ह (disqualify) न करेगा।" इसके आगे मैं यह चाहता हूं कि यह जोड़ दिया जाय कि ऐसा सदस्य केवल प्रतिकर भत्ता का ही (शुल्क का नहीं) अधिकारी होगा। अध्यक्ष महोदय, अब तक इस सदन में जितने विधेयक इस सम्बन्ध में प्रस्तुत हुये केवल प्रतिकर भत्ता से ही उनका सम्बन्ध रहता था, लेकिन इस बार सरकार ने इसमें शुल्क की व्यवस्था की है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि शुल्क की सीमा क्या होगी। वह १ हजार रु० महीने होगी, ७०० रु० महीने होगी या ५०० रु० महीने होगी, कोई इंडिकेशन इस बिल में नहीं है।

श्री अध्यक्ष---आपका जो संशोधन है इसमें वह चस्पां नहीं हो सकता है। आप यह कह सकते हैं "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन से मुक्ति तभी होगी जब वह केवल प्रतिकर भत्ता पाता हो और शुल्क न पाता हो।" लेकिन आप मूल अधिनियम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते और आप संशोधन द्वारा उसका परिवर्तन कर रहे हैं। यह अधिकार आपको नहीं होगा। वह शुल्क देना चाहते हैं तो आप कौन हैं कहने वाले कि शुल्क न दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं अनुग्रहीत हूं कि आपने ठीक बतला दिया।

श्री अध्यक्ष--ऐसा कुछ संशोधन में रखिये कि ऐसे सदस्य के लिये अनर्हता नहीं होगी यदि वह केवल प्रतिकर भत्ता पाता हो और शुल्क न पाता हो ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अभी माननीय मंत्री जी ने जो कहा वह तो पुराने जमाने में इंगलैन्ड के बादशाहों के जमाने की बात है जब कि वहां के बादशाह यह चाहते थे कि पार्लियामेंट के मेम्बर उनकी हां में हां मिलाने वाले हो जायं और विरोधी दल के सदस्य जो उनके खिलाफ रहते थे उन पर वे हावी हो सकें । अगर्चे हमारे प्रदेश में आज मंत्री, उपमंत्री और सभा सचिवों की संख्या २६ है जो कि कभी १२ थी । उसके बावजूद भी कितने ही सदस्य उनसे भी काबिल कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं और रोज इस बात पर नाराजगी प्रदर्शित करते रहते हैं कि उनको कैबिनेट में नहीं लिया गया । तो क्या यह तरीका अच्छा नहीं होगा कि साढ़े सात सौ रुपया किसी को देकर जो कि एक सभासचिव या उपमंत्री को मिलता है, उनको संतुष्ट करने की कोशिश की जाय और इस तरह से सरकार अपनी टूटती फूटती पार्टी को जोड़ने के लिये दुरुपयोग इस विधेयक में नहीं ला सकती और इसीलिये विधान में यह रखा गया है, विधान के बनाने वालों को यह मालूम था कि यहां इंग्लैंड की कोई बादशाहत नहीं है, १५ अगस्त, १९४७ को हम आजाद हो गये । लेकिन हमेशा इस बात की सम्भावना रहती है कि सरकारी पार्टी विरोधियों को तोड़ने के लिये और अपने ही दल के लोगों को संतुष्ट करने के लिये ऐसे ऐसे पद बनाती रहती हैं, जिससे वह संतुष्ट हो जायं और आपस में विद्रोह पैदा न हो । इसीलिये शुल्क की विशेष बात रखी गयी है । ऐसे भी केसेज होते हैं जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया, ऐसे विरोधी लोग भी हैं, मुझे ऐसे लोगों के नाम मालूम हैं जो कि खुले आम सरकार का विरोध करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया । वह चुप हो गये और उनके विरोधी सदस्य होने से जो लाभ होता था वह नहीं हो सका । ऐसी हालत में मैं चाहता हूं कि अगर सरकार यह जरूरी समझे ही और सरकार का सचमुच इरादा यह हो कि हम लोग ज्यादा क्वालिफाइड हैं और हम मजदूरों की ज्यादा सेवा कर सकते हैं तो ऐसी हालत में फिर धन का लालच उसमें न रखा जाय। जैसे और डिस्क्वालिफिकेशन के दूर करने में विधेयकों या अधिनियमों में व्यवस्था की गयी थी कि यात्रा का भत्ता या दैनिक भत्ता तक दे दिया जाय, वह वाजिब है क्योंकि कोई सदस्य ऐसा नहीं हो सकता है कि दो सौ रुपये में सारा खर्चा बरदाशत कर ले । वहां तक मैं मानने को तैयार हूं । हम तो चाहते हैं कि विधेयक न पास हो । लेकिन उसके बावजूद भी यह पास होगा ही क्योंकि उनका बहुमत है । लेकिन अगर सचमुच सरकार की नेकनीयती है और वह चाहती है कि किसी को पद दे कर उसका मुंह न बन्द किया जाय तो शुल्क वाला हिस्सा निकाल दिया जाय । तो मैं समझूंगा कि विधान के असर को जाया करने के लिये ही नहीं, बल्कि मजदूरों की सेवा करने के लिये यह विधेयक उपस्थित किया है । मैं समझता हूं ऐसी हालत में माननीय न्याय मंत्री को शुल्क का हिस्सा निकाल देने में कोई एतराज नहीं होगा ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं वैसे तो माननीय मंत्री जी ने हमें काफी समझाने की कोशिश की, हम पहले ही समझे हुये थे इस बात को जो उनकी मंशा है । अध्यक्ष महोदय, जब हम इस पर बहस कर रहे थे तो हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने चूंकि हम विरोध कर रहे थे, यह कहा कि मदनमोहन जी ने इस प्रस्ताव का विरोध करके इस सदन की प्रतिष्ठा को खराब कर डाला । इस सदन की प्रतिष्ठा पर उन्होंने आघात कर डाला । अध्यक्ष महोदय, अगर हम जो बिल आज यहां पर पेश हुआ है उसे स्वीकार कर लें और अगर उसमें यह संशोधन जो माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने पेश किया है उसको स्वीकार न करें तो हाउस के अन्दर आज जितने सदस्य दिखायी दे रहे हैं वह भी नहीं दिखायी देंगे । अध्यक्ष महोदय, ४३१ सदस्य हैं । प्रतिष्ठा में बिगाड़ रहा हूं या वह बिगाड़ रहे हैं जो सदस्य हाउस के अन्दर नहीं हैं । अध्यक्ष महोदय, कोई वकालत करता है, कोई हाईकोर्ट में है, कोई ला कालेज में है, कोई प्रोफेसर है और जिस जनता ने हमको यहां भेज रखा है कि हम यहां कानून बनायें, गवर्नमेंट से बात करें और पब्लिक के दुख सुख सदन

के सामने कहें। लेकिन यहां हाउस ब्लैन्क पड़ा हुआ है और बाहर के आदमी कहते हैं कि ४३१ में केवल सौ दो सौ आदमी ही दिखायी दे रहे हैं। अगर इस तरह से नये नये बिल ला कर हमने आफिस आफ प्राफिट की डिस्क्वालिफिकेशन को हटाया तो हाउस खाली मालूम होगा। मैं तो हाउस की प्रतिष्ठा को बढ़ाने की रात दिन कोशिश कर रहा हूं और जहां तनख्वाह वाला मामला चला दिया आपने कि तनख्वाहें दे दो, फिर वहां चले जाओ। फिर अवस्थी जी तो यहां पर दिखेंगे नहीं दो महीने के बाद। आजकल आते तो हैं, लेबर की बात तो सुनते हैं। हमारे काटजू साहब ने कहा कि उपाध्याय जी ने हाउस की इज्जत बेइज्जत कर दी। वह तो इलाहाबाद से सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं...

श्री शिवनारायण---प्वाइंट आफ आर्डर। जो माननीय सदस्य इस सदन में मौजूद नहीं हैं उनके ऊपर अटैक करना कहां तक उचित है ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मेरे लिये कहा था इसीलिये कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---व्यक्तिगत नहीं होना चाहिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---इस सदन की प्रतिष्ठा हम सब को बढ़ानी चाहिये और मैं इसीलिये इसका विरोध कर रहा हूं। इसलिये कि बाहर की जनता यह न समझे कि एम० एल० एज० कानून बनाते हैं और जहां हम सेवा कर सकते हैं वहां पर भी यही लोग जाना चाहते हैं। मजबूरी की बात दूसरी है लेकिन हम क्यों अपनी प्रतिष्ठा बिगाड़ें ? आप सुबह से बैठे रहते हैं। आप तो एक घंटे की छुट्टी भी लेते हैं, सवा तीन बजे आते हैं लेकिन हम तो बैठे ही रहते हैं सुबह से शाम तक। हमारे माननीय सुल्तान आलम जी ने कहा कि हमने जिस सिद्धांत को मान लिया है उसके ऊपर हम फिर वापस कैसे जा सकते हैं ? जब टेरिटोरियल आर्मी का बिल आया था तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि देश को इस समय इसकी जरूरत है। अगर किसी दूसरे देश की फौज आ गयी, तो इसलिये यहां के मेम्बर उसमें जा सकते हैं और इसीलिये वह बिल उस समय आया था। बहुत सी ऐसी कमेटियां हैं कि जिनका अभी तक हम को पता नहीं था, अभी हाल में पता लगा। बहुत से ऐसे मेम्बर लोग आफिस आफ प्राफिट होल्ड करते हैं कि जब नामिनेशन पेपर फाइल करने गये तो यहां से इस्तीफा देकर गये। हमारे माननीय न्याय मंत्री जी ने कहा कि क्या अभी कोई फैसला हो रहा है ? मान लीजिये कि होगा कोई फैसला, तो हम उम्मीद लगाये तो बैठे हैं। हमारे मल्ल साहब कहते हैं कि हम भी लेबर में काम करते हैं, शायद हमारा भी काम बन जाय। दिल्ली से अगर चुनाव होता तो हम लोग रखे जा सकते थे, लेकिन यहां से तो अवस्थीजी ही जायेंगे। आप मल्ल साहब को या अवस्थी जी को ४ हजार रुपया दे दें, कोई बात नहीं, लेकिन हमें बदनाम न किया जाय। हम धारा सभा के लोग यह फैसला करें कि इधर-उधर से बटोरो, तो मैं समझता हूं कि यह भावना हम में नहीं आनी चाहिये। मैं नहीं समझता कि कोई माननीय सदस्य रुपये के लालच से किसी कमेटी में जाना चाहता है, लेकिन बाहर की जनता क्या कहती है ? बाहर के जो कुछ कहते हैं उस तरफ भी हमें देखना है। जिन्होंने हमें छांट कर भेजा है उनकी बात भी हमें सुननी है। हमारे यहां लोग पूछते हैं कि ४३१ मेम्बरों में कोरम कितना होता है ? हमने उनको बताया कि ४५, ४६ होता है। तो उन्होंने कहा कि क्या ४७ भी हाजिर नहीं होते हैं ? यह सुनकर दुःख होता है। उसमें भी शरीक हूं। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हटनी चाहिये। अगर हमें जाना है तो हम उसमें सेवा भाव से जायं बिना तनख्वाह के। हमारी पार्टी की मीटिंग होती है तो अपनी पार्टी की तरक्की के लिये जाते हैं और अपनी पाकेट से खर्च करते हैं, क्योंकि हमारे दिल के अन्दर एक भावना होती है कि हम उस काम को करें। जो हमारे कारपोरेशन की कमेटी बननी है, अगर उसमें हमारी यह भावना है कि हम अपने मजदूरों की और अपने देश की सेवा करें तो हमारा फर्ज है कि हम अपने काम का हर्जा करके भी उनकी सेवा करें। अगर उनको भत्ता मिले तो ठीक है, खूराक मिल जानी चाहिये, लेकिन यह शुल्क की बात ठीक नहीं है। इसलिये माननीय रामनारायण जी ने जो शुल्क की बात रखी है उसका मैं

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

समर्थन करता हूं और मैं माननीय न्याय मंत्री जी से फिर कहूंगा कि अभी वक्त है, इसको वह वापस ले लें ताकि प्रदेश के लोग यह न कहें कि एम० एल० ए० जो चाहते हैं, वह कानून बना लेते हैं। इन शब्दों के साथ मैं उनके संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री सुल्तान आलम खां—जनाब स्पीकर साहब, इस अमेंडमेंट के ऊपर जो तकरीर हमारे उपाध्याय जी ने की मैंने उसे बड़े गौर से सुना और जो कुछ उन्होंने फर्माया है वह अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन अगर इस किस्म का बिल इस भवन के अन्दर पास हो भी जाय तब भी अगर भवन के अन्दर का कोई ऐसा माननीय सदस्य है जो इससे नफा नहीं उठाना चाहता वह न उठाये। कहीं इस बिल के पास हो जाने के बाद यह बात लाजिमी नहीं हो जाती है कि हर माननीय सदस्य इसका नफा उठाये और इसके मातहत वह काम करे। यह ठीक है बहुत से लोग इसको पसन्द करेंगे, वैलकम करेंगे और बहुत से लोग इसको पसन्द नहीं करेंगे। बहरहाल अगर यह कानून पास हो जाता है और यह बिल ऐक्ट बन जाता है उस वक्त भी हरएक को यह हक होगा कि वह इसको आइन्दा भी डिसक्वालिफिकेशन समझता रहे और उससे फायदा न उठाये। लेकिन जो ऐसे हों इस बात को सोचते हैं कि अगर उनकी खिदमत की जरूरत है और उनकी खिदमत इसी सूरत में की जा सकती है कि इस हाउस के मेम्बर बने रहें और दूसरों की खिदमत हो तो हम क्यों रुकावट डालें ? तो मैं समझता हूं कि इस अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है और वह अपना अमेंडमेंट वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—(श्री अवधेश प्रताप सिंह को संबोधित करते हुये) थोड़ा ही समय लीजियेगा क्योंकि समय बहुत कम है।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—जी हां, मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण जी के संशोधन के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं। अभी सरकार को इस दिशा में या इस स्टेज पर बदनीयत कहना या यह समझना कि लोगों को वह रोजगार दिलाना चाहती है, उचित प्रतीत नहीं होता और श्रीमन्, टूटी फूटी पार्टी का जहां तक सम्बन्ध है यह चीज किसी दूसरी जगह चस्पां हो सकती है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और यदि थोड़ी सी तकलीफ फर्मायें, सुन लें तो अच्छा ही होगा। इस हाउस का एक कनवेंशन सा हो चुका है, मुझे तस्लीम है कि आफिस आफ प्राफिट की जो हिस्ट्री उन्होंने बयान की उससे मुझे कोई इन्कार नहीं। यह हाउस आफ कामन्स की वजह से इसकी बुनियाद आयी और यह कनवेंशन चलता रहा है। मैं उसे स्वीकार करता हूं मैं इन्कार नहीं कर सकता, लेकिन साथ साथ ही आपके जरिये मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वह इस पर जरा गौर करें और सोचें कि अगर वही कनवेंशन इस हाउस का जो है वह मान लें जो कि एक संशोधन आया है वह उससे असंगत नहीं है, उसमें विरोधाभास नहीं है, बल्कि उसी के अनुसार वह संशोधन है। तो मैं समझता हूं यह अधिक कल्याणकारी प्रतीत होगा।

*श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र उपाध्याय जी ने जो कुछ कहा उसके उत्तर देने की तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर वह यह न कहें तो सदन सूना मालूम पड़ेगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी जरूर हैं जिनको मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं। यह केन्द्रीय सरकार का बनाया हुआ है इसमें यह है कि फीस या अलाउन्स। तो जहां तक इस कमेटी के मेम्बरों का सम्बन्ध है उसमें केन्द्र का लेबर मिनिस्टर उसका चेयरमैन है, केन्द्र का हेल्थ मिनिस्टर वाइस-चेयरमैन, हर प्रान्त से एक एक अफसर गवर्नमेंट उसमें नौमीनेट करेगी तमाम हिन्दुस्तान भर से ५,५ एमप्लायर्स और लेबर्स के रिप्रेजेन्टेटिव होंगे। कोई यह जरूरी नहीं कि हमारे यहां का कोई हो या न हो। जैसा मैंने बताया था अब उपाध्याय जी राजाराम जी से नाराज हों, वह एम० पी० हो गये, यह दूसरी बात है। तो यह कोई निश्चय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं कि हमारे प्रांत से कोई आदमी जाय ही। लेकिन अगर दुर्भाग्य से पहुंच जाय और यह भी दुर्भाग्य हो कि किसी हाउस का सदस्य हो तो वह तो जो वहां बिड़ला साहब या सर श्रीराम आवें तो उनको तो वह सब मिले जो गवर्नमेंट निर्धारित कर चुकी हो, लेकिन आपका आदमी अगर जाय तो उससे आप कहें कि तुम केवल रेल का किराया भर लो और कुछ मत लो। तो एक तो आपका यह नारा है और दूसरा नारा यह है कि बिड़ला को या और बड़े-बड़े लोगों को तो यह अधिकार है कि वह बड़े बड़े मिलों की मैनेजिंग एजेंसियां लें, सब जगह पहुंचे मगर हम उनकी बराबरी के नहीं हैं, हम उन अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर हमको यह अधिकार प्राप्त हो रहा है तो आप यह कहते हैं कि तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। केन्द्रीय सरकार का यह बिल है। आप अपना बिल जब लायें तो उसमें इस तरीके की चीज रखें तो वह ज्यादा अच्छा होगा। ऐसी दशा में इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इसको वापस ले लेंगे। केन्द्रीय सरकार का जो रवैया है उसे देखते हुये पहले तो इसकी आशा ही बहुत कम है, क्योंकि जितनी कमेटियां उन्होंने बनायी हैं उनमें आपके प्रान्त को कोई स्थान नहीं है और वह क्यों नहीं है, इन्हीं कारणों से नहीं है। आवश्यकता इस बात की थी कि हमें इसके लिये फाइट करना चाहिये था कि हमारे प्रान्त को स्थान मिलना चाहिये, लेकिन उसके स्थान पर हम यहां यह फाइट कर रहे हैं कि नहीं हमारे यहां का कोई आदमी न जाय और अगर जाय तो वहां जो और हों उनके बराबर सहूलियत पाने का अधिकारी न हो।

*श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस संशोधन के समर्थन और विरोध का है। इसके विरोध में माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने और माननीय अवस्थी जी ने कुछ कहा। उसी पर कन्फाइन हो करके मैं उनसे कुछ दरख्वास्त करना चाहूंगा और सुल्तान आलम खां साहब से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्होंने व्यक्ति के ऊपर, उसके आदर्श और उसके विचार के ऊपर छोड़ दिया कि कानून में तो हम गुंजाइश कर दें कि वह चाहे तो ऐसे ओहदे अख्तियार करे, लेकिन ओहदे को अख्तियार करते हुये उससे जो फायदा उठाना है वह उसके विचार पर उन्होंने छोड़ने का विचार रखा है कि वह चाहे तो उससे फायदा उठाये और चाहे तो न उठाये। मैं उन्हीं व्यक्तियों के एक समूह से कहना चाहता हूं कि यह सदन उन्हीं व्यक्तियों का एक समूह है। सदन इस विचार का अगर हो कि हम इस तरह के फायदे को न उठायेंगे तो मैं समझता हूं कि इस सदन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी इस व्यक्ति से सदन की प्रतिष्ठा बढ़े, यह मैं समझता हूं कि माननीय सुल्तान आलम खां साहब की या किसी की भी ऐसी इच्छा अवश्य होगी।

माननीय अवस्थी जी की दलीलों को मैंने सुना। माननीय अवस्थी जी की दलील जिस वक्त इस विधेयक पर बहस हो रही थी, उस वक्त के लिये उपयुक्त थी। माननीय रामनारायण जी के संशोधन के विरोध के लिये माननीय अवस्थी जी की दलील कत्तई कोई ताल्लुक नहीं रखती। यहां तो अब यह बात हो गयी कि इस हाउस का कोई सदस्य उसमें हो सकता है, यह सरकार उसे रखना चाहे तो रख सकती है। अब तो सिर्फ संशोधन यह है कि उस माननीय सदस्य को शुल्क नहीं मिलेगा, भत्ता मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि इस पर माननीय अवस्थी जी ने विचार नहीं किया और माननीय अवस्थी जी से इतना कहकर मैं उनसे फिर आग्रह करूंगा कि जो कुछ उन्होंने कहा है वह इस विधेयक के सिलसिले में या पहले जो भाषण इस सिलसिले में हुये उनके लिये ठीक हो सकता है और वह इस पर फिर विचार करें और विचार करके अपने विरोध को वापस ले लें। माननीय न्याय मंत्री जी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि माननीय रामनारायण जी का संशोधन बिलकुल हार्मलेस संशोधन है और इसे स्वीकार करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

श्री सैयद अली जहीर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे फिर इस बात को कहना पड़ता है कि शायद हमारे उपाध्याय जी ने इस बिल के स्कोप को और इसके जो शरायत हैं उनको अच्छी तरह से समझा नहीं। वरना शायद यह जो संशोधन पेश हुआ उसकी वह ताईद न करते।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

पहली बात तो यह है कि यह सैलरी नहीं है, सैलरी का कोई प्राविजन या तनख्वाह का या वेतन का प्राविजन यह जो इम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट है उसमें नहीं है। इसके मुताल्लिक दफा १५ है। जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का ऐक्ट है, उसमें लिखा है —

"Members of the corporation, the standing committee and the Medical Benefit Council shall receive such fees and allowances as may, from time to time be prescribed....."

तो जो उनको मिलेगा वह फीस और अलावेंसेज होंगे, इसके मानी यह हैं कि पांच या दस रुपया मिल जायेंगे, जो एक ऐसी रकम होगी जो अटेंड करने के लिये मिलेगी, या मुमकिन है कुछ ज्यादा हो, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितनी होगी और वह तय करेगी गवर्नमेंट आफ इंडिया हम तो इस वास्ते यह कर रहे हैं कि हमारा जो सदन है, इसमें जो यहां का कोई सदस्य नामजद किया जाय तो वह महज इस वजह से कि वह यहां का सदस्य है, डिस्क्वालिफाई नहीं होगा। हम यह कैसे शर्त कर सकते हैं कि नामजद तो हो जाय, लेकिन वहां जाय तो दफा १५ के मुताबिक जो फीस मिलने वाली हो उसका मुस्तहक न हो, मैं समझता हूं कि यह तो एक बड़ी बेतुकी सी या बेमतलब सी बात होगी। तो जो यह तरमीम पेश की गयी है वह इस तरह की गयी है कि इसका पूरे तौर से स्कोप क्या है और गरज क्या है कुछ समझा नहीं गया है।

जहां तक आफिस आफ प्राफिट का ताल्लुक है, इसके ऊपर कई दफा बहस हो चुकी है और यह बात बराबर दोहराई गयी है कि आफिस आफ प्राफिट के ऊपर उस डिस्क्वालिफिकेशन का होना या न होना मबनी नहीं होता है कि वह डिस्क्वालिफिकेशन जो है उससे कुछ रुपया मिलेगा। वह तो जो ओहदा है वह खुद डिस्क्वालिफाई करता है बहुत से ऐसे ओहदे हैं कि वहां के ऊपर एक रुपया भी मुआविजा मिले लेकिन चूंकि वह एक ओहदा है, उसकी वजह से एक स्टेटस और पोजीशन आदमी की बनती है, और आदमी उसको मंजूर कर ले तो वह मेम्बर नहीं हो सकता इस सदन का और हिन्दोस्तान में यही कानून है कि उसके लिये मुआविजा कितना मिलेगा या कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके ऊपर आफिस आफ प्राफिट डिपेंड नहीं करता। यह ओहदे के ऊपर मबनी है। एक तरफ ओहदे को तो मंजूर कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो अलावेंसेज और फीज कोई मुकर्रर हों तो अलावेंसज तो ले लें, फीज नहीं लेंगे, यह मैं समझता हूं कि एक ऐसी चीज है जिनके मानी यह हैं कि आप समझते हैं कि हमारे मेम्बर अगर ओहदे पर चले जायं तो कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन और रुपया मिल गया तो बेईमानी न करें इसलिये यहां के मेम्बर न रह सकें। मेरे ख्याल में यह गलतफहमी पर मबनी है और इसका जो असल मंशा है वह कैरी-आउट नहीं होता। तो यह तरमीम इसमें बिलकुल उपयुक्त नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की एक बात सुन कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्हें खुद ही इल्म नहीं है कि स्कोप क्या होगा, फीस क्या होगी और माननीय मंत्री बिना इल्म हुए अगर ऐसा विधेयक सदन में उपस्थित न करें तो ज्यादा शोभा की बात होगी। हमारा प्रतिकर भत्ता या डेली अलाउन्सेज बंधे हुये हैं। उसके अलावा अगर फीस का प्रश्न पड़ेगा इन एडिशन, तो हम विशेषज्ञ समझे जायेंगे। हो सकता है कि अगर माननीय मंत्री उसमें चुन लिये जायं तो कह सकते हैं कि मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और डेढ़ हजार रुपया लूंगा तो वह भी फीस हो सकती है। ऐसे भी लायर्स हैं जिनकी फीस इतनी हो सकती है। तो विधान सभा का मेम्बर भी हो और वहां भी हो जब कि बताया जा चुका है कि हमारे देश की हालत नाजुक है और भी लोग हैं जो कि ज्यादा सेवा की भावना रखते हैं, उनको यह मौका मिलना चाहिये। इस चीज से सहमत होते हुये माननीय मंत्री जी उसको स्वीकार नहीं करते। उन्होंने उसके पक्ष में कोई दलील नहीं दी। अगर कोई केस हो गया है और किसी को फीस देना चाहते हैं तो उसको माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहिये कि उसके लिये ला रहे हैं और विचाराधीन फाइल चल रही है। तब तो सहानुभूति उनके साथ कर सकते थे। इसलिये जहां तक नियत बदनीयती का सवाल है, हम यह मान कर चलते हैं कि कोई सरकार बदनीयत नहीं है, लेकिन यह ध्रुव सत्य

है कि राजनीति में शुरू से आखिर तक जब तक राजनीति चलती रहेगी अपना-अपना पक्ष मबूजत करने के लिए हर प्रकार का प्रभाव चाहे वह सत्य सुप्रभाव हो या कुप्रभाव हों, राजनीतिक दल डालते रहते हैं। सरकार को बदनीयत समझना बुरी बात है।

महात्मा गांधी के शब्दों को मैं नहीं दोहराना चाहता जो राजनीति और राजनीतिज्ञों के बारे में वे कहा करते थे। वह तो सब लोग जानते हैं लेकिन जहां तक प्रभाव का सवाल है वह तो डाला जाता रहा है और डाला जाता रहेगा। तो ऐसी हालत में जब कि कम्पेन्सेटरी या डेली एलाउन्स है उस हालत में एक फ़ीस को जिसकी सीमा का कोई पता नहीं है अगर निकाल दिया जाय तो मैं समझता हूं कि इस सदन के सदस्य जो उस हालत में काम करेंगे वह सेवा भावना का द्योतक होगा और जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा, वह इस सदन के मान को ऊंचा उठायेगा। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष---माननीय न्याय मंत्री जी, आपको कुछ कहना है ?

श्री सैयद अली जहीर--मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त सदस्य का अनर्हता निवारण तभी हो सकेगा जब कि वह शुल्क नहीं, केवल प्रतिकर भत्ता पाता हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१८
विपक्ष में--१०३)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५

यह घोषित करने के लिये कि एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ के अधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेन्स कारपोरेशन के अथवा उसके अधीन संगठित किसी बोर्ड, कमेटी या कौंसिल के सदस्य का पद उस पर अध्यासीन व्यक्ति (holder thereof) को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिये अनर्ह (disqualify) न करेगा ;

विधेयक

यह घोषित करना आवश्यक है कि एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ के अधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेन्स कारपोरेशन के अथवा उसके अधीन संगठित किसी बोर्ड, कमेटी या कौंसिल के सदस्य का पद उस पर अध्यासीन व्यक्ति (holder thereof) को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिये अनर्ह न करेगा ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम मनाया जाता है :---

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर––अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष––मुझे एक घोषणा यह करनी है कि प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के लिये ५ नाम स्वीकृत हुये हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं :––

१––डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी
२––श्री श्रीनाथ भार्गव
३––श्री धर्म दत्त वैद्य
४––श्री हबीबुर्रहमान
५––श्री सालिगराम जायसवाल

*उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण विधेयक, १९५५

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भान्डार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के समान ही एक विधेयक सन् १९४७ में इस सदन ने पास किया था और वह अधिनियम ३१ दिसम्बर, १९५४ तक लागू रहा। १९४७ में हमारे प्रदेश में अन्न का अभाव बहुत अधिक था। उस समय इस बात की आवश्यकता थी कि बाहर से जो गल्ला सरकार मंगाती थी उसको गोदामों में रखने की व्यवस्था की जाय क्योंकि उस समय हमारे प्रदेश के नागरिक क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र में और पूर्वी जिलों में जैसा अन्न का भाव था वहां उसके लिये अन्न की व्यवस्था करनी थी। उस समय सरकार ने गोदामों को लेने के लिये यह अधिनियम बनाया था लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही हमारे प्रदेश में अन्न की अवस्था सुधरती गयी उसी तरह से सरकार ने भी नियन्त्रण को ढीला करने की नीति निर्धारित की और सन् १९५४ के सितम्बर में हमारे यहां जो स्टाक था, उसका भी कंट्रोल खत्म करने के बाद निस्तारण करना शुरू कर दिया। यह निश्चय किया गया कि जो स्टाक हमारे पास है उस को डिस्पोज आफ कर दिया जाय। केन्द्रीय सरकार का जो स्टाक गेहूं का हमारे पास जमा था वह भी केन्द्रीय सरकार ने उठा लिया और वह स्टाक केन्द्रीय सरकार ले गयी। इसके बाद धीरे–धीरे जो आवश्यक स्टाक प्रदेशीय सरकार के पास था उसको भी समाप्त कर दिया गया। इस तरह से इस बात की आवश्यकता नहीं हुई कि वह अधिनियम, जो सन १९४७ में पारित किया गया था, उस को और आगे लागू रक्खा जाय। इस तरह से ३१ दिसम्बर, १९५४ को वह अधिनियम लैप्स हो गया। उसके बाद गत रबी की फसल जैसे ही

*१९ अगस्त, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

तैयार हुई और बाजारों में जैसे ही अन्न का आना आरम्भ हुआ, धीरे धीरे अन्न के भाव गिरने लगे। इससे हमारे प्रदेश के किसानों में कुछ बेचैनी पैदा हुई। यह चीज केन्द्रीय सरकार के सामने पहुंची। उसने इस पर विचार किया और इसके बाद यह निश्चय किया कि मूल्य संरक्षण की योजना तैयार की जाय। उस योजना के मातहत प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार के आदेश से गल्ले की खरीद जारी कर दी। इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने कुछ रुपया भी दिया। इस प्रदेश में जहां जहां रेलवे स्टेशनों के नजदीक मंडियां थीं वहां वहां १० रुपया प्रति मन के हिसाब से खरीद शुरू की गयी। जब इस तरह से खरीद आरम्भ हुई तो हमें फिर भंडारों की आवश्यकता हुई। उस गल्ले के लिये बड़े बड़े भंडारों और गोदामों को ले लेना आवश्यक प्रतीत हुआ। लेकिन उसके साथ ही साथ सरकार को यह भी समझ में आया कि ऐसा मौका भी हो सकता है जब कि गोदामों के मालिक अधिक किराया लें। इसलिये हमारे प्रदेश की सरकार ने इस किराये की बढ़ती को रोकने के लिये यह जरूरी समझा की राज्यपाल महोदय से सिफारिश की जाय कि वे एक अध्यादेश निकालें। उन्होंने राष्ट्रपति की अनुमति से ७ जुलाई, १९५५ को एक अध्यादेश निकाला। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम उस अध्यादेश को अधिनियम के रूप में परिणत कर दें। इसलिये यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि यह एक छोटा सा विधेयक है और जो सन् ४७ में स्वीकार किया जा चुका है, उसी के अनुरूप यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है आशा है कि हमारा यह आदरणीय सदन इस विधेयक को जल्द ही स्वीकार करेगा।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करने के साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया, उस भाषण के सारांश से ऐसा दिखलायी देता है और यह प्रतीत होता है कि मूल्यों के संरक्षण के लिये, अनाजों के रखने के लिये, खत्तियों और मालगोदामों की आवश्यकता हुई है, क्योंकि इस समय यह सरकार ने उचित समझा है कि किसानों को संरक्षण दिया जाय। इसलिये मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह भी आवश्यक समझता हूं कि इसमें जो त्रुटियां हैं और जो त्रुटियों की संभावनाएं हैं उनकी ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान और इस सदन का ध्यान आकर्षित करूं।

सब से पहले जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह विधेयक १९४७ में प्रस्तुत किया गया था। बाद को सन् ५१, ५२ और ५३ में उसमें संशोधन उपस्थित किये गये और सन् ५४ में जा कर वह समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि जो विधेयक सन् १९४७ में प्रस्तुत किया गया था, हूबहू उसकी कापी, उसकी नकल ही विधेयक के रूप में सदन के सामने प्रस्तुत है। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान १९४७ की देश की स्थिति की तरफ और आज जो देश की स्थिति है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सन् ४७ का जमाना वह जमाना था जब कि अपने देश में अन्न की बड़ी भारी कमी थी। हम विदेश के अनाज पर ही निर्भर करते थे। उस समय बाहर से आये हुये अनाज और अपने देश में जो अनाज था उसको स्टोर करने के लिये गोदामों की आवश्यकता थी। अब हम देखते हैं कि उस समय सरकार ने जो अनाज स्टोर किया था वह लोगों की जीवन रक्षा के लिये किया था, लेकिन आज १९५५ में परिस्थिति यह है जिसको हम हमारी सरकार दोनों ही मानते हैं कि आज हम आत्मनिर्भर हैं। इसलिये इस युग में यह विधेयक जो क्राइसिस के जमाने में रखा गया था, हूबहू वैसा ही रख देना, मैं समझता हूं, मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि विधेयक प्रस्तुत करने के साथ ही साथ माननीय मंत्री जी को आवश्यक था कि उसकी खास बातों से सदन को अवगत कराते। वह यह बताते कि वह अपने प्रान्त में कितना अन्न स्टोर करना चाहते हैं ? क्योंकि उद्देश्य और कारणों में यह लिखा हुआ है कि वे किसानों से ज्वार और गेहूं खरीदना चाहते हैं और उसको स्टोर करना चाहते हैं तो जरूरी था कि माननीय मंत्री जी बतलाते कि कितना अनाज वह स्टोर करना चाहते हैं और कितने स्टोर की जरूरत की सम्भावना है, कितनी खत्तियां उनके पास हैं और कहां है, कहां नहीं हैं और इसके साथ ही साथ उनको यह भी बतलाना चाहिये था कि स्टोर प्राप्त करने की उनकी क्या विधि होगी,

[श्री रामेश्वर लाल]

वह कहां प्राप्त हो सकते हैं। जो आंकड़े माननीय मंत्री जी के विभाग द्वारा हमें प्राप्त हुये हैं उनसे मैं आपका ध्यान गेहूं की पैदावार की तरफ दिलाऊंगा जो इस प्रदेश में होती है। सन् १९५३–५४ में इस प्रान्त में जो गेहूं उत्पन्न हुआ उसकी संख्या २९ लाख ४८ हजार टन है और ज्वार जिसको माननीय मंत्री जी खरीदना चाहते हैं वह भी ५३० हजार टन यहां उसी सन् में पैदा हुआ। तो इन दोनों अनाजों की कुल मिकदार मिला कर हुई ३४ लाख ३८ हजार टन। अब सन् १९५५–५६ में मेरे ख्याल से ज्यादा उनकी पैदावार न होगी, लेकिन इनके साथ साथ यहां जो दूसरे और अनाज पैदा होते हैं जैसे मक्का है, धान है, बाजरा है उनकी तादाद यहां उसी सन में १ करोड़ ७८ लाख टन की है। अगर माननीय मंत्री जी का उद्देश्य इस बिल को लाने का केवल मूल्य संरक्षण देने का है तो केवल गेहूं और ज्वार खरीदने से ही मूल्य संरक्षण सम्भव नहीं है जब कि १ करोड़ ७८ लाख टन यहां दूसरे गल्ले भी पैदा होते हैं जिसमें धान, मक्का, बाजरा वगैरह हैं। इस बिल के उद्देश्य में इन अनाजों को खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि गेहूं और ज्वार के साथ साथ गुड़, धान, बाजरा भी जोड़ दिया जाय। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस सम्बन्ध में अपनी नीति को स्पष्ट करें कि क्यों केवल ज्वार और गेहूं की ही व्यवस्था रखी गयी है। गेहूं, ज्वार के अलावा जो १ करोड़ ७८ लाख टन अन्य पैदावार है उस सब को सम्मिलित कर लिया जाय और सवा छः करोड़ आबादी के लिये हम एक सेर फी आदमी के हिसाब से भोजन व्यय रख लें तो ४६ हजार टन अनाज साल में बच जायगा। बहुत से लोग उपवास करते हैं और हर एक के घर अनाज नहीं होता और बीज की जो २ करोड़ मन की आवश्यकता है इस सब का हिसाब लगा कर अगर माननीय मंत्री जी देखें तो ४६ हजार टन से अधिक अनाज इस साल हमारे पास नहीं बचेगा। इन आंकड़ों के अनुसार हम खत्तियों में स्टोर करने के लिये इससे अधिक अनाज प्राप्त न कर सकेंगे यह साफ है। अगर हम १० फरवरी, ५४ की मंत्री जी की सरकारी रिपोर्ट को देखें तो मालूम होगा कि उस समय हमारी खत्तियों में केवल ९ हजार टन अनाज था। सन् ५३ में ५०,००० टन था, जब कि बाहर का अनाज भी आया था। तो मैं समझता हूं कि यह चीज इसमें बिलकुल साफ़ होनी चाहिये। मंत्री जी रसद विभाग के मंत्री हैं और बहुत से विभाग भी उनके पास हैं तो उनको साफ रखना चाहिये था कि हम कौन-कौन अनाज स्टोर करना चाहते हैं और कौन भली भांति स्टोर हो सकते हैं और कितने स्टोर्स की आवश्यकता है? केवल ज्वार, गेहूं के लिये ही नहीं बल्कि अन्य जो गुड़, धान, बाजरे आदि की फसलें हैं उनके लिये भी। मैं समझता हूं कि भाव न गिरने देने के लिये इन चीजों का भी स्टोर करना आवश्यक है। मैं आपके द्वारा इस बिल की खास खामियों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। श्रीमन्, इस विधेयक में यह व्यवस्था नहीं है कि यदि किसी आदमी के पास एक ही मकान है और वह उसमें रहता है तो उसका मकान न लिया जाय। इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है कि वह तीन दिन के अन्दर किसी मकान को रिक्वीजीशन कर ले। अब अगर वह उसी मकान को स्टोर के लिये उचित समझता है और उस मकान को रिक्वीजीशन करता है जिसमें उसका मालिक रहता है और उसके पास वही एक मकान है तो फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार इस विधेयक में नहीं है कि उसके रहने के लिये दूसरे मकान की व्यवस्था करे। इसमें यह भी है कि न देने पर २ सौ रुपया जुर्माना और एक महीने की सजा होगी तो उसके रहने के लिये रिक्वीजीशन हो जाने के बाद व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये और साथ ही यह जो तीन दिन का समय इसमें है उसको और अधिक बढ़ा देना चाहिये। हाउस रिक्वीजीशन ऐक्ट में वह १५ दिन का समय है तो मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और जो तीन दिन का समय है वह कम है उसको वह अधिक करेंगे।

दूसरी बात, अगर कोई आदमी अप्राप्य है तो सरकारी गजट में प्रख्यापित कराकर उसके घर को रिक्वीजीशन किया जा सकता है। इसमें मैं एक व्यवस्था की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं। मान लीजिये कि कोई आदमी अप्राप्य है

और उसको गजट में प्रख्यापित कराके सरकार उसके मकान पर कब्जा कर लेती है, लेकिन अगर उस घर में उसका कुछ सामान है तो उसका क्या होगा ? क्या उसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार लेती है ? इसकी भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। यह गुंजायश होनी चाहिये कि यदि किसी का मकान सरकार लेती है तो उसके अन्दर के सामान की जिम्मेदारी भी सरकार पर ही होगी।

तीसरी बात; डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार है कि जिस भी घर को चाहे वह स्टोर के लिये ले सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी आदमी के पास एक ही घर हो तो कम से कम इस विधेयक में ऐसी गुंजायश होनी चाहिये कि उस का घर न लिया जाय। जिन लोगों के पास एक से अधिक घर है, लखनऊ ऐसे शहर में तो मुहल्ले के मुहल्ले एक आदमी के पास है तो ऐसे लोगों ही के घर लिये जायं। श्रीमन्, इस तरह से तो ज्यादती भी हो सकती है। हो सकता है कि किसी आदमी के मकान को जिसके पास एक ही घर है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्टोर के लिये उचित समझता है और कोई सिफारिश करता है कि ले लिया जाय तो वह ले लिया जाय। वह किसी भी हालत में नहीं लिया जाना चाहिये। श्रीमन्, यहां पर मैं एक सुझाव और दूंगा कि हमारे यहां जो अन्न के उत्पादन की स्थिति है उसमें तो हमारा काम सिनेमाहालों से भी चल जायगा। ये इस समय बड़ा खुराफात प्रचार कर रहे हैं। आज कोई भी आदमी नहीं मिलेगा जो यह कहे कि सिनेमा के व्यवसाय से हिन्दुस्तान के ९० प्रतिशत जनता को कोई लाभ हुआ है। अधिकतर ऐसे चलचित्रों का निर्माण होता है जो व्यावसायिक दृष्टि से लाभकर हों। तो यदि स्टोर के लिये जरूरत हो तो सिनेमाघरों को स्टोर बनावें। इससे बहुत से लोगों के साथ जो ज्यादती होने वाली होगी वह भी कम हो जावेगी और देश में जो चलचित्रों द्वारा कुरीतियां और बुराइयां फैलाई जाती हैं वह भी कुछ समय के लिये बच जावेंगी।

मैं इन अपने छोटे से विचारों को रखता हुआ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख हुआ उस मेम्बर की स्पीच सुन कर जो बाढ़ के इलाके में बसता है, जो आये दिन इस गवर्नमेंट को कोसता है कि मुझे अन्न नहीं मिलता, मेरे लिये चारा, दाना नहीं भिजवाया जाता, लेकिन जब उसका प्रबंध यह आदरणीय गवर्नमेंट करने जा रही है और सरकार यह चाहती है कि वह प्राइस कंट्रोल करे, दाने-दाने को इकट्ठा करके अपने अधिकार में रक्खे और जिस दिन देवरिया में हाहाकार मचे उस दिन गुप्ता जी का वह खजाना वहां के लिये खोला जाय—यह तो हमारे फूड मिनिस्टर करने जा रहे हैं, लेकिन भाई साहब तकरीर फरमा रहे हैं कि बड़ी गड़बड़ी हो रही है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इतना निकम्मा और नालायक है जिसने एक मकान वाले का मकान ले लिया हो। मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं कि किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बतला दिया जाय, जिसने किसी एक मकान वाले का मकान ले लिया हो। उन्होंने यह नहीं बतलाया कि देवरिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक घर वाले का मकान ले लिया। आपने सजेस्ट किया कि सिनेमा हाउस सरकार ले ले फूड स्टोर करने के लिये और स्वयं कहा कि जब सरकार किसी का मकान ले तो उसका दाना-पानी, उसका कपड़ा, उसके बर्तन सबकी जिम्मेदारी सरकार ओढ़ ले और जब सिनेमा हाउस गवर्नमेंट ले लेगी तो फिर कितना मुआविजा देगी उनके इस आर्गूमेंट पर उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने २ सेर के बजाय ४ सेर यानी १० रुपये मन के हिसाब से गेहूं खरीदा और पानी ज्योंही बरसा झट से बनियों ने बाजार बढ़ा दिया और तीन सेर का गेहूं कर दिया जबकि सरकार ने ४ सेर का खरीद कर रक्खा और अगर देवरिया में जरूरत हो तो फौरन सरकार उस भाव पर वहां पहुंचा देगी। तो उसने ठीक किया या गलत कि वह किसी को भूखा नहीं मरने देगी। बंगाल फेमीन की मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं जब मार्च सन् ४७ में क्या गुजरा। कुत्ते की मौत आदमी मरे और ६ महीने में ५० लाख आदमी मर गये। रामेश्वर लाल जी को मालूम होना चाहिये कि ३,४ वर्ष से ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ें आती हैं, सूखा पड़ता है, अन्न के लिये कोहराम मच जाता है और फूड मिनिस्टर कहीं चना, कहीं चरी और गेहूं

[श्री शिवनारायण]

देते हैं तो कहा जाता है कि गुड़ क्यों नहीं खरीदा, धान क्यों नहीं खरीदा ? इसके मानी आप एग्रीड हैं कि गवर्नमेंट खरीद कर रक्खे । आप विरोध करते हैं कि गवर्नमेंट ने दो चीजें खरीदीं, कुल चीजें गवर्नमेंट खरीदे । तो जब आप एग्रीड हैं तो फिर विरोध किस बात का ? किस नालेज से आप बात करते हैं ? उधर से हमारे भाई कहते हैं कि शिवनारायण बी० ए० फेल हो गये, लेकिन जो बी० ए० पास है, एल० एल० बी० हैं वे उल्टी बातें करते हैं । कहते हैं यह गवर्नमेंट कुल अनाज खरीदे । सरकार ने जब दो अनाज खरीदने की बात इसमें रक्खी है लेकिन जो पास हैं वे फेल वाली सी बात करते हैं । जो फेल हैं वह तो फेल हैं ही, लेकिन जो पास हैं वे अगर फेल वालों सी बात करें तो फिर क्या इलाज है ? गवर्नमेंट ने, उपाध्यक्ष महोदय, जुर्माना २,००० रक्खा है, कायदे से रक्खा है । सिर्फ जानोमाल की हिफाजत के लिये हमने जिम्मेदारी ओढ़ी है । गवर्नमेंट पब्लिक की है, इतना ही नहीं मैं भाई रामेश्वर लाल जी को बतला देना चाहता हूं कि सन् ३७ से लेकर आज ५५ चल रहा है । इस बीच में दुनियां का नक्शा उठा कर देखें कि कौन कहां से कहां बदला । हिटलर बदला, ईजिप्ट की गवर्नमेंट बदली और न जाने क्या क्या बदला, लेकिन हिन्दुस्थान में नेहरू गवर्नमेंट ही चल रही है, हमारे प्रदेश में सम्पूर्णानन्द गवर्नमेंट चल रही है । आप अपने गिरहबान में हाथ डाल कर देखें कि हम कितने पानी में हैं और आप कितने पानी में हैं । गुप्ता जी ने ब्लेक मार्केट बन्द करने का इन्तजाम किया, ४ सेर का गल्ला खरीद कर गरीबों को खिलाने का इन्तजाम करते हैं, लेकिन यहां आकर आप उनका विरोध करते हैं । यह कोई आर्गूमेंट है ? वह चीज कहिये जो माननीय हो, समझ में आये और गवर्नमेंट भी माने, हमने बहुत से अमेंडमेंट उधर से आये, जिनको माना, गवर्नमेंट ने माना , हमने माना, हाउस ने माना । कभी गवर्नमेंट ने रिफ्यूज नहीं किया जो सही बातें उधर से कही गयीं । तो मैं रामेश्वर लाल जी से कहना चाहता हूं की दुखिया की गति दुखिया जाने और न जाने कोई । आप भी पूर्वी जिले में रहते हैं मैं भी पूर्वी जिले में रहता हूं । आप भी बाढ़ग्रस्त हैं मैं भी बाढ़ग्रस्त हूं । ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं । सही मानों में हमें गवर्नमेंट का अहसानमन्द होना चाहिये । आज पूर्वी जिले बाढ़ग्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, अगर गवर्नमेंट स्टोरेज खोल रही है और एक आधा मकान ले ले तो कौन सा पाप कर रही है ?

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---कौन सा बिल चल रहा है ?

श्री शिवनारायण---यह बिल स्टोरेज का है, मकानों का है । यह न समझिये कि मैं बदहोश हूं, आप ही बेहोश रहते हैं । रामेश्वर लाल जी कहते हैं कि सिनेमा हाउस ले लो । मैं कहता हूं कि सिनेमा हाउस बन्द हो जायेंगे तो आप नाटक कहां करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि जो यह रखा गया है स्टोरेज बिल यह गवर्नमेंट ने बिलकुल ठीक किया है । हम लोगों ने एक नारा लगाया था । गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है । हम उसी कदम पर चल रहे हैं । पीछे नहीं हैं पों पों करते हैं, सामने हैं और इस गवर्नमेंट को सही मानी में चला रहे हैं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या बिल है उसका नाम तो कहिये ?

श्री शिवनारायण---बिल आपके सामने है । आप ही तो पढ़िये जो बी० ए० पास साहब हमारे सामने बैठे हैं । आपको भी दो चार सेर चरी भेजवा दी जायगी । आप भी चिल्लाते हैं की हमारे पहाड़ को यह नहीं मिलता वह नहीं मिलता । जो स्टोरेज का बिल रखा गया है, वह कल का इंतजाम किया गया है । यह अनुचित नहीं है बल्कि जनता की भलाई के लिये और विशेषकर इससे ब्लैकमार्केटिंग को रोका है । 'आपत्ति काल परिखिये चारी, धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी' । हम धीरे--धीरे चल रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं । आज यह सरकार दस दिन बाद की बात सोचती है कि यह बात होने वाली है । तो इसलिये स्टोरेज करती है । अपने हाथ में अनाज रखती है । जब जरूरत होगी गेंदा सिंह के यहां गेहूं और जौ बटवा देंगे । इसलिये मैं रामेश्वर लाल जी से कहना चाहता हूं कि आपने जो विरोध किया उसको वापस लेना चाहिये और मैं इसका समर्थन करता हूं ।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)––माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ, मेरे विरोध से कुछ लोग चकित हुये। परन्तु आपके द्वारा मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि केवल वह मुझे सुनने का कष्ट करें तदुपरान्त जो कुछ भी राय वह कायम करना चाहें उनको करने का पूरा हक है। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। मान्यवर, इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को देखा जाय, तो उससे यह टपकता है, स्पष्ट होता है कि यह बिल टेम्पोरेरी स्टोरेज रिक्विजिशन ऐक्ट, १९४७ जो कि ३१ दिसम्बर, १९५४ को लैप्स होने दिया गया यदि वह न हुआ होता तो सम्भवतः इस विधेयक को लाने की आवश्यकता न पड़ती। यदि यह कहा जाय कि नहीं इससे कोई प्रयोजन नहीं है तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि किस कारण से यू० पी० टेम्पोरेरी स्टोरेज रिक्विजीशन ऐक्ट का हवाला दिया गया और यही नहीं मुझे तो आज भी यह शक है कि यह विधेयक जो आज पेश है और कल एक अधिनियम का रूप धारण करेगा यह भी सिर्फ जून, १९५६ तक के लिये हैं। जिस उद्देश्य से और जिस कारण से आप यह विधेयक इस सम्मानित सदन के सामने ला रहे हैं उसके विरोध में मुझे कुछ नहीं कहना है। उससे मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन जिस रूप में यह विधेयक इस सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया है उससे मुझे विरोध है और घोर विरोध है।

मान्यवर, यही नहीं, १९५४ में भी माननीय मंत्री महोदय को इस बात का ज्ञान था कि यह समस्या इस प्रदेश में उठने वाली है। गल्ले की कीमतें इतनी नहीं घटाई जा सकती है, उनकी रोकथाम के लिये सरकार को कोई कदम उठाना अवश्यमेव था और उसी नीति के अनुसार वह चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे या स्वयं करें, परन्तु यह निश्चित था कि एक न एक दिन आपको वह कदम उठाना था। अगर यह कदम आप न उठाते तो इस प्रदेश की इकोनामी की जो बैकबोन थी वह टूटती और यह प्रदेश कभी सफलीभूत नहीं रह सकता था, सुखी नहीं रह सकता था। आज जब यह सब को स्वीकार है कि यह कृषि प्रधान देश है और यहां की इकोनामी कृषि पर ही अवलंबित है तो ऐसी परिस्थिति में गल्ले के भाव एक सीमा से अधिक गिर जायं यह बात अत्यन्त ही भयानक प्रतीत होगी। मान्यवर, उसी नीति के आधार पर आपने इस विधेयक को हमारे सम्मुख उपस्थित किया। मुझे इसके विरोध में जो कहना पड़ा वह महज इस बिल के ढांचे के कारण। जिस नीति से प्रेरित हो कर आप यह कदम उठा रहे हैं उसके विरोध में मुझे कुछ नहीं कहना है और उसके सम्बन्ध में कहीं भी दो रायें नहीं हो सकती हैं। मान्यवर, यही नहीं, बल्कि इस प्रदेश में बराबर.....

एक सदस्य––जरा साफ-साफ कहिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह––मान्यवर, उनको समझने में अगर कुछ कठिनाई हो रही है तो वह थोड़ा सा धैर्य रखें और मैं समझता हूं कि उसके बाद उनके सामने सारी बातें भली भांति आ जायंगी। यह केवल थोड़े धैर्य का सवाल है और माननीय शास्त्री जी जो बुद्धिमान हैं, सुलझे हुये और दुनियां देखे हुये हैं, दुनियां की जितनी करवटें आदमी खा सकता है वह खाये हुये हैं, उसके बाद भी उनका यह पूछना कि इसके क्या माने हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं। माने समझने में मैं स्वयं परेशान हो जाता हूं। आपको माननीय गुप्ता जी, भगवान भी नहीं समझ सकते, मैं आपको कहां तक समझ पाऊंगा।

मान्यवर, जो मुझे इससे विरोध है वह यह है कि जिस रूप से आप जिलाधीशों को अधिकार प्रदान कर रहे हैं उसमें एक कठिनाई यह है कि उसका दुरुपयोग हो सकता है। यही नहीं, बल्कि आपने बहुत सी जगह उनको वह अधिकार दे दिये हैं जो कि आपके पास होने चाहिये थे। अब यह कि कोई मकान स्टोरेज के योग्य है या नहीं है इसका निर्णय करने वाला इस ऐक्ट के अनुसार जिलाधीश माना गया है और उसकी राय अंतिम राय होगी। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि यह अधिकार वह अपने पास रखें तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

यह मैंने माना है कि इस अधिकार की आड़ में इसका दुरुपयोग हो सकता है। यह ठीक है कि आज इस आलोचना को सुनकर सम्भवतः बहुत से माननीय सदस्य मुझ से परेशान हो जायं, परन्तु जब इसका दुरुपयोग होगा तो संभवतः उनकी भी वही फीलिंग होगी जो कि आज मेरी है। मान्यवर, वह मकान जिसमें कि स्टोरेज रहे या जो कि स्टोरेज के काम में आते रहें, उनका रिक्वीजिशन करना उचित है और यह कहा जाय सरकार से कि आप एक नीति का पालन करें और सरकार को उसके साधन न पर्याप्त हों तो यह असम्भव होगा, यह नितांत सफलीभूत नहीं हो सकता। परन्तु साथ ही साथ उस कलेक्टर को जिसको आप दिन प्रति दिन अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाते जा रहे हैं। तो श्रीमन्, मैं यह समझूं कि यह डेमोक्रेसी है या व्यूरोक्रेसी है। यह आज सब को अच्छा लगता है, आज रूलिंग पार्टी में रहते हुये आप जिलाधीश महोदय से जो कुछ चाहें अपना काम करा सकते हैं परन्तु इस डेमोक्रेसी में कब आप बहुमत में हैं और कब अल्पमत में यह नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में कर्मचारियों को आप इतने अधिकार दें जो आपसे भी अधिक शक्तिशाली हो जायं यह कभी उचित नहीं प्रतीत होता और यह आपके लिये कल्याणकारी नहीं होगा। यह नीति भयंकर प्रतीत होगी आपके लिये और आगे चलकर आप स्वयं पछतायेंगे और फिर पीछे कदम हटाना आपके लिये असम्भव हो जायगा। मुझे किसी जिलाधीश महोदय से शिकायत नहीं और इस नीति को हम सहन कर लेते कि आप जिलाधीश महोदय को यह अधिकार दे रहे हैं, लेकिन आप किसी भी अथारिटी को यह अधिकार देने को तैयार हैं, वह कौन सी अथारिटी होगी इसका इस बिल से पता नहीं चलता है और यह कहने से एक बौछार मेरे ऊपर आ सकती है, लेकिन मैं यह बता दूं कि अगर मंदिर और मस्जिद को वह समझे कि इसमें गल्ला रखने के योग्य है तो आपके बिल में कोई रास्ता नहीं है जिससे कि आप उसको रोक सकें। मैंने माना कि वह अधिकार सरकार के पास है जो स्टोरेज के लिये है, जिलाधीश महोदय जो चाहे कर सकते हैं लेकिन जब उनको कोई ऐसी बिल्डिंग जो कि स्टोरेज के काम में आज तक न आयी हो उसके लिये उनको सरकार से आज्ञा लेनी पड़ेगी, जिस पर मैं समझता हूं कुछ माननीय सदस्य इसका इशारा कर रहे थे, यह ठीक है। लेकिन जहां बिल को आप देखेंगे तो उसमें यह है कि अंतिम निर्णय जो है वह जिलाधीश का है। श्रीमन्, यह मैं कहूं आज इस माननीय भवन से, या भवन के मंत्री महोदय से कि ऐसा अधिकार आप अपने तक रखें तो मैं समझता हूं इसमें कोई गलती नहीं। मान्यवर, इसी अधिनियम में, मैं आपके द्वारा यदि मंत्री महोदय का कुछ ध्यान आकर्षित कर सकूं तो मैं समझता हूं मैं अपने को बधाई दूंगा, और अगर दूसरों से वह मशगूल रहें इस सदन में और ऐसे लोगों से जिनको मैं समझता हूं हाउस के मेम्बर भी न हों, तो ऐसी हालत में थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। मान्यवर, इसी विधेयक में आपने यह भी रखा है कि जब कम्पेंसेशन के निर्णय में कोई कठिनाई हो, पार्टीज और कलेक्टर में कोई चीज न सुलझती नजर आवे तो वैसी हालत में आप मुन्सिफ या सिविल जज के पास रिफरेंस कर सकते हैं यह ठीक है कि कम्पेंसेशन के डिसीजन के लिये आपने एक अधिकार दिया कि जुडिशियरी के पास जाय और मुंसिफ या सिविल जज अपना निर्णय दे। परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप हाईकोर्ट को कैसे भूल सकते हैं? मैंने माना कि अपील की पावर आप उसमें नहीं रखते हैं परन्तु भारतीय संविधान के रहते हुये, आर्टिकल २२६ के रहते हुये एक्स्ट्रा आर्डिनरी पावर्स जो हाईकोर्ट की हैं वह कैसे आप रोक सकते हैं। कैसे आप रोक सकते हैं किसी एक व्यक्ति को वह हाईकोर्ट न पहुंच सके? मैंने यह समझा कि आप यह चाहते हैं कि लिटिगेशन कम हो, इसी भावना से आप चल रहे हैं। पर यह क्यों भूल जाते हैं कि कोई भी ऐक्ट कांसटीट्यूशन को ओवर राइड नहीं कर सकता। यह ठीक है कि आप इस वक्त न मानेंगे लेकिन जिस वक्त वह सूरत आयेगी उस वक्त आप समझ सकेंगे और उस वक्त शायद आप मंजूर भी करें क्योंकि आप हाईकोर्ट के जूरिस्डिक्शन के बाहर नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो २२६ के अधीन एक्स्ट्रा आर्डिनरी सर्कम्स्टान्सेज में कोई-कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट में जा सकता है उसके अधीन वह हाईकोर्ट में जा सकेगा।

श्रीमन्, एक चीज आपने इस विधेयक में और भी रखी है जिससे यह मैं मानता हूं कि जहां तक आपकी जिम्मेदारी का सवाल है, जब जितने दिन आपको जरूरत है आपने घर रखा, उसके बाद आप पजेशन डेलिवर कर देंगे, यदि किसी व्यक्ति का मुख्तार न हो या स्वयं उस व्यक्ति का पता न हो वैसी परिस्थिति में आप उसको नोटीफाइड कर देंगे और उस दिन से आपकी जिम्मेदारी जो है वह खत्म हो जायगी। लेकिन बहुत से केसेज ऐसे होंगे जिनके कि पजेसन के सिलसिले में या टाइटिल के सम्बन्ध में झगड़ा हो, उनके लिये आपने रखा है, आपका यह कहना है कि कलेक्टर मामूली एक समरी इन्क्वायरी के बाद जिसके कब्जे में चाहे मकान छोड़ सकता है। श्रीमन्, यह एक टाइटिल का प्रश्न है जिसमें आप समरी इनक्वायरी कराना चाहते हैं। जिस तरह से आपने अपनी जिम्मेदारी हटा ली जबकि मालिक मकान न मिले या उसका मुख्तार कोई न हो, तो वैसी परिस्थिति में आप उसको वैसे ही छोड़ देते हैं लेकिन जहां पर विवाद हो स्वत्व के, राइट के मुताल्लिक वहां आप यह कहते हैं कि कलेक्टर समरी इन्क्वायरी करके जिसके हक में चाहे वह मकान दे दे और साथ ही साथ इसके लिये आपको बधाई है कि आप उसको सिविल कोर्ट में जाने से डिबार नहीं करते हैं। सिविल कोर्ट से वह पजेशन ले सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह कि जितने दिन आपके कलेक्टर की गलतफहमी से, जो उसने समरी ट्रायल किया और उसमें अगर वह किसी गलत नतीजे पर पहुंचा, तो उतने दिन तो कोई दूसरा जो मकान पर काबिज रहा और सही मकान मालिक जिसका कि मकान था, उसको वह मकान नहीं मिल पाया तो वह डेमेजेज अगर क्लेम करता है तो आपने दूसरी जगह यह भी रख दिया है कि कोई भी चीज यदि इस ऐक्ट के अधीन की गयी हो तो उसके लिये कोई लिटिगेशन या मुकदमेबाजी नहीं हो सकती। तो मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि आपने तो छोड़ दिया। तो क्या आफत आ गयी है कि आप कलेक्टर से समरी ट्रायल करा रहे हैं और कहते हैं कि समरी ट्रायल के बाद वह जिसके हक में उचित समझे उसको उसका पजेशन दे दे। मैं यह कहता हूं कि यह ठीक है कि उसमें टाइटिल के सम्बन्ध में विवाद है, तो आप उसको उसी तरह सिविल कोर्ट में जाने दीजिये, वहां से जिसके हक में डेसीजन होगा वह मकान लेगा और आपकी जिम्मेदारी उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन आपने उसे छोड़ दिया। और जो कि आप उस सम्बन्ध में कीजियेगा जिसका कि मकान मालिक या उसका मुख्तार न मिल सके, वैसे आप इसमें भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको कौन सी आपत्ति है? यह कलेक्टर को आप जुडिशियरी का भी काम सौंप रहे हैं, टाइटिल का भी सौंप रहे हैं कि दो चार से इन्क्वायरी कर ले और समरी तरीके से जांच करके किसी के हक में फैसला दे दे। तो यह आप क्यों करने जा रहे हैं? इसमें आपको क्या बेचैनी है कि अगर विवाद है तो जितने भी उसके लिये क्लेम करने वाले हों, दो हों, चार हों, दस हों, सबको सिविल कोर्ट में जाने दीजिये और सिविल कोर्ट से जिसके हक में डेसीजन हो जाय वह मकान पर काबिज हो जाय।

एक प्रश्न मेरे माननीय दोस्त ने उठाया कि इतने दिनों तक उस पर काबिज कौन रहेगा? उसके जवाब में मुझे यह कहना है कि जब कोई मालिक मकान नहीं मिलता है या उसका मुख्तार नहीं मिलता है तो वैसी हालत में जो आप नोटीफाइ करके छोड़ने वाले हैं वैसे ही आप इसमें भी छोड़ दें या रूल्स में कोई प्राविजन करना चाहें तो कर दें। मैं यह किसी तरह भी मुनासिब नहीं समझता जो आप कलेक्टर को यह पावर देने जा रहे हैं कि वह टाइटिल के सम्बन्ध में एक डेसीजन दे और उसमें आपको क्या परेशानी है? आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जिस वक्त आपने रिक्वीजीशन करके छोड़ दिया, पजेशन दिलाते हैं या नोटीफाईड करते हैं कि अब हमारे परपज के लिये नहीं है, हम उसको रिलीज करते हैं, तो आपसे न कोई कम्पेंसेशन ले सकता है, न आप से कोई डेमेजेज क्लेम कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैंने जो विरोध करने का साहस किया वह इस कारण से कि यह बिल आपकी नीति से नहीं मिलता है। जिस उद्देश्य और कारण से यह आ रहा है वह ठीक है, उसमें आप और हम एक मत हैं और दो रायें नहीं हैं, लेकिन जो तरीका है वह गलत है और अमेंडमेंट्स के जरिये आप उसे दुरुस्त कर सकते हैं और खराबियां दूर कर सकते हैं। यह अमेंडमेंट चाहे आपकी तरफ से हों, इस तरफ से आयें या उस तरफ से, लेकिन यह ऐसी कठिनाइयां थीं जिनके सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। मैंने कोई विरोध की भावना से विरोध नहीं किया कारण यह है कि अगर इस तरह

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

से रहा तो अधिकारों का दुरुपयोग होगा और आपके सामने बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। हर एक ऐक्ट में एक ऐसी टेंडेंसी, एक रवैया हो गया है कि आप हमेशा हर आगे के कदम को रोकना चाहते हैं। आपके कमिश्नर जो हैं उनके पास कोई इतना अधिक काम नहीं है कि वह इसमें हाथ न बटा सकें। जहां आप कलेक्टर को अंतिम निर्णायक बनाते हैं, अगर कमिश्नर को बना देते तो इसमें कोई आपत्ति आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिये। अगर आपके रेंट कंट्रोल ऐक्ट में जबकि कमिश्नर को अधिकार है और आपने उस पर काफी जिम्मेदारी सौंपी है, रिवीजन में आ जा सकते हैं, तो इसके सम्बन्ध में भी कमिश्नर को फाइनल अथारिटी होने दीजिये। तो यह ऐसी बातें हैं जिन पर अगर आप कुछ कर सकें तो सुधार कर सकते हैं। इतना ही मुझे कहना है, और कुछ नहीं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो बिल प्रस्तुत है इसकी आवश्यकता तो सभी महसूस करते हैं। सन् १९४७ के बिल की यह बिलकुल प्रतिलिपि है। मुझे इस संबंध में यह कहना है कि उस वक्त से आज की परिस्थिति भिन्न है, इसलिये जितने अधिकार उस बिल में रखे गये थे उतने इस बिल में लेना बहुत जरूरी नहीं मालूम होता। वह आवश्यकता से अधिक मालूम होता है। उस समय हमारे सामने देश में भूख की समस्या थी और हम बाहर से गल्ला मंगा रहे थे। उस के स्टोरेज के लिये हमको जगह की जरूरत थी। वह गल्ला बाहर से, विदेशों से आ रहा था और वह खराब न होने पाये इसके लिये हमें जल्दी से जल्दी मकान उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था करनी थी। लेकिन आज समस्या हमारे सामने मूल्य के स्थिरी करण (प्राइस स्टेबिलाइजेशन) की है। इनमें ऐसी विषम स्थिति एकाएक नहीं उत्पन्न हो सकती, जिसको सरकार पहले से न देख सके। आखिर हमारे पास इतने डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग आफिसर्स हैं, रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि मूल्यों की प्रवृति किस ओर जा रही है और गवर्नमेंट को इसका अनुमान रहता है कि कब उसको हस्तक्षेप करना है। तो मैं कोई ऐसी परिस्थिति की कल्पना नहीं कर सकता कि जिसमें एक दम सरकार को यह जरूरत पड़ जाय कि ३ रोज के अन्दर किसी आवास को खाली करवाया जाय। मैं जानता हूं कि साधारणतया यह होगा भी नहीं कि ३ रोज का ही समय दिया जाय, लेकिन फिर कानून में ही हम उस चीज को क्यों रखें? मान लीजिये कि सरकार को एक बड़ा भारी गोदाम लेना है। वह किसी व्यक्ति के हाथ में है, जो स्वयं तिजारत कर रहा है। मैं पहले उस केस को ले रहा हूं जिसमें निर्दिष्ट स्थान अभी तक गल्ला रखने के लिये काम में आता है। ऐसी जगह ऐसा बड़ा गोदाम किसी ऐसे ही आदमी के पास होगा जो काफ़ी बड़ा व्यापार करता हो। अब उसको अगर तीन दिन का नोटिस दिया जाता है कि तुम इसको खाली कर दो तो हजारों बोरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक समस्या हो जायगी। इसमें काफी समय भी लगता है और काफी पैसा भी लगता है। और गवर्नमेंट के लिये सम्भव हो भी सकता है कि वह एक दो दिन में कहीं किसी न किसी तरह से अपने गल्ले को रखने के लिये प्रबन्ध कर भी ले, लेकिन तीन रोज के अन्दर किसी व्यापारी को यह प्रबन्ध कर लेना कि दस हजार या पांच हजार बोरे एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिये जगह मिल जायगी यह शायद हर जगह सम्भव न हो। तो जहां उस का व्यक्तिगत नुकसान हुआ यह तो एक बात हुई लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी सम्भव है कि गल्ले का भी नुक्सान हो, बीसों चीजें हैं जो कि बाहर नहीं रखी जा सकती हैं। हवा और वर्षा से उनको नुक्सान पहुंच सकता है, जिससे एक तरह से हमारी नेशनल वेल्थ की क्षति होगी। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि इसमें जो तीन दिन की अवधि रखी गयी है यह तो बहुत बड़ा अधिकार आप ले रहे हैं और इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर इसमें एक ऐसी भी परिस्थिति के बारे में विचार किया गया है कि मान लीजिये कि जो आवास का मालिक है या जो अध्यासी है वह मिलता ही नहीं तो महज हम वहां पर एक नोटिस चिपका कर उसको ले लेते हैं। आखिर कौन आदमी इस सबका प्रबन्ध करेगा जब उसके ऊपर तामील तक नहीं हुई है क्योंकि वह वहां था ही नहीं। सरकार तो यह मान कर चली है कि

शायद वह आदमी केवल अपने को नोटिस की तामील से बचाने के लिये ही वहां से गायब हो गया है। पर परिस्थिति तो दूसरी है। अगर एक आदमी कार्यवश बाहर गया है और उस पर तामील नहीं होती है तो उसका परिणाम यह होता है कि आपने नोटिस लगा दिया और ३, ४, १० रोज में आप चाहते हैं कि मकान खाली हो जाय। कौन खाली करेगा? इसलिये अगर यह मियाद बढ़ा दी जाय और १५ दिन रख दिया जाय तो अच्छा होगा वरना इसका दुरुपयोग होने की संभावना है।

इसी प्रकार अभी अवधेश प्रताप जी ने धारा १० की तरफ संकेत किया मैं भी उसमें इतना तो समझता हूं कि कलेक्टर को बिलकुल यह डिस्क्रीशन तो नहीं होना चाहिये कि वह चाहे जिसे मकान को वापस दे दे। वह वारिस या वारिसों में से एक होने ही चाहिये। अगर उत्तराधिकार डिस्प्यूटेड हो तो उस व्यक्ति का कम से कम कुछ टाइटिल तो होना चाहिये जिसके संरक्षण में वह दिया जाय, बाद में सिविल सूट के बाद दूसरा ले सकता है। लेकिन इसमें किसी तरह का प्रतिबन्ध न होने से यह सम्भावना है कि मकान किसी ऐसे, आदमी को दे दिया जाय जिसका उस पर कोई भी हक न हो और वह उसका उप-भोग करे जब तक २-३ साल तक सिविल कोर्ट का फैसला न हो जाय और इस तरह से जो उसका हक़दार है उसके हितों में हानि हो तो ये त्रुटियां अगर ठीक कर दी जायं तो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है उसमें भी कोई बाधा नहीं पड़ेगी और इसमें जो अधिकार लिये गये हैं उनका दुरुपयोग होने की भी सम्भावना कम हो जायगी।

जो इसकी अन्य धारायें हैं वे जब ली जायंगी तब उस सम्बन्ध में जो संशोधन हैं वे प्रस्तुत किये जावेंगे, लेकिन अन्य बात जो इस विधेयक को पढ़ने से प्रतीत होती है वह यह है कि आवश्यकता से अधिक अधिकार इसमें लिये गये हैं लेकिन इसके उस उद्देश्य की पूर्ति इतने अधिकारों के बिना लिये हुये भी बहुत सहज में हो सकती है। इस- लिये इन बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस उद्देश्य से यह बिल हमारे सामने आया है वह बहुत ही अच्छा है और इसलिये है कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो हमारे फूड स्टफ हैं, उनकी जो कीमतें जरूरत से ज्यादा गिरती जा रही थीं, उन पर चेक करने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है और इसको चेक करने में इस प्रदेश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो यह न चाहता हो कि हमारे प्रदेश के इस तरह से किसान अन्न वगैरह पैदा करते हैं, उनकी क़ीमत इस तरह से गिर जाय और कोई चेक न कर सके और उनके सम्बन्ध में कोई सहायता देने की आवश्यकता पड़े तो हर कोई इस सदन का माननीय सदस्य उसके साथ होगा, लेकिन जैसा कि माननीय राममेश्वर लाल जी ने कहा कि फूड प्राइसेज के कंट्रोल करने के अलावा और भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिससे किसानों का हित है। जैसे हमारे लाखों किसान गुड़ बनाते हैं, उनकी फसल आ रही है, उसका सीजन आ रहा है। उसकी क़ीमत घटने की बात हो तो उसकी प्राइसेज के कंट्रोल करने की सर-कार की नीयत आज नहीं कल हो सकती है और उसके लिये मकानों की आवश्यकता हो तो हमें देने में कोई एतराज किसी को भी नहीं होना चाहिये।

इसलिये माननीय रामेश्वर लाल जी ने इस बिल का समर्थन किया और जहां तक माननीय शिवनारायण जी की बात है तो वह तो अपनी आदत से मजबूर हैं। उन्होंने समर्थन किया या विरोध किया, इसका उन्हें पता ही नहीं होता उन्होंने अपनी समझ से समर्थन किया लेकिन विरोध किया। उन्हें तो बोलना है तो वह बोलेंगे। प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय कि जिस समस्या को माननीय मंत्री जी हल करना चाहते है उसमें हम उनके साथ हैं। लेकिन जो खाम उसमें रह जाती है उसको बताना हमारा फर्ज है और हम समझते हैं कि मंत्री जी उसको स्वीकार करने की बात करेंगे।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

जब कोई कानून जिसमें कलेक्टर वगैरा को कुछ अधिकार देने की बात आ जाती है तो हम डिसेंट्रेलाइजेशन को यानी विकेन्द्रीकरण को चाहते हैं, इसलिये हम चाहते हैं कि कलेक्टर को पूरे अधिकार न दियेजायं। ऐसे अधिकार न दिये जायं जिनका दुरुपयोग हो सके। इसके बाद दिक्कत यह है कि अगर किसी चीज का दुरुपयोग हो तो उसकी शिकायत किससे करें माननीय मंत्री जी से, लेकिन आज एक और शिकायत है कि अगर किसी चीज का दुरुपयोग हो जाय तो मन्त्री जी से मिलना मुश्किल हो गया है। उनके पास बहुत से डिपार्टमेंट्स हो गये हैं, फूड उनके पास है, पब्लिक हेल्थ उनके पास है, इंडस्ट्रीज उनके पास है और प्लानिंग उनके पास है, कभी उनसे मिला जाय तो मुलाकत नहीं हो सकती है। अगर उनसे न मिलें तो फिर उनके डिपार्टमेंट वालों से मिलें तो वह शिकायत कर सकते हैं कि हम उनसे क्यों बात करते हैं, उनसे बात क्यों नहीं करते हैं। इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह कोई समय हमें बतला दें कि जब हमको शिकायत हो तो हम उनसे कह सकें। छोटे मोटे दुरुपयोग हो जायं तो हम उनसे कह सकें। मैं नहीं कहता कि वह मिलते नहीं हैं बल्कि उनको फुर्सत नहीं है। अक्सर मीटिंग वगैरह होती रहती हैं, कम से कम इन कामों में हमें समय दें। इलेक्शन में तो हम उनको तकलीफ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें ही फुर्सत नहीं रहेगी। आज जब ऐडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है तो हमारी मुसीबतों को सुनने का मौका देना चाहिये। यदि दुरुपयोग हो जाय किसी चीज का तो किस से शिकायत की जायगी। शिवनारायण जी से शिकायत थोड़े ही की जायगी। शिकायत तो मंत्री जी से ही की जायगी। अब श्री शिवनारायण जी बहुत बोलने लगे अब तो उनका कुछ ख्याल होना चाहिये, कहते-कहते बेचारे थक गये, जो समझते नहीं हैं उसकी भी ताईद करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी विधेयक पर बहस होती है तो हम गम्भीरतापूर्वक विचार करते हैं, हंसी तो थोड़ी देर तक चल सकती है। रोज एक सब्जेक्ट आ जाता है और हमारे शिवनारायण जी दुनिया भर की बात कह देते हैं, जो कहना होता है उन्हें वह कह देते हैं? कौन सी ब्लेक मार्केटिंग कर रहे हैं। गेंदा सिंह जी के यहां बोरे भेजने के लिये तो इस बिल में कोई चीज नहीं है। सवाल यह है कि सरकार को गल्ला रखना है तो उसके लिये सरकार को कुछ निवासस्थान की जरूरत है। उस स्थान का इन्तजाम करने के लिये सरकार को अधिकार दिया जाय। हमारा कहना यह है कि सरकार को अवश्य यह अधिकार दिया जाय क्योंकि इससे देश का भला होगा और प्राइस रुकी रहेंगी। लेकिन इस अधिकार को देने के साथ ही मैं सरकार को यह भी बताना चाहता हूं कि इसका दुरुपयोग न हो। जो कमी है उस को दूर करने की कोशिश की जाय। माननीय मंत्री जी काफी तजुर्बा रखते हैं। जहां राजनीति के अखाड़े का सवाल है हम तो उनका मुकाबिला कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम यह जानते हैं कि इसका दुरुपयोग हमारे और लोग कर सकते हैं। जो इसमें कमी हो उस को दूर करने को कोशिश होनी चाहिये। दफा ३ के अन्दर यह कहा गया है कि किसी मकान को अगर लिया जायगा तो उसी को लिया जायगा जिसके लेने का प्राविजन इस बिल के अन्दर है। जो मकान कभी पहले गोदाम के अलावा और किसी चीज के लिये इस्तेमाल होता आया है तो उसको नहीं लिया जायगा और जो भी दूसरे मकान लिये जांयगे वह स्टेट गवर्नमेंट की इजाजत के बिना नहीं लिये जायंगे। जब मैं दफा ४ को पढ़ता हूं तो उसमें यह है कि कोई मकान गोदाम रखने के लायक हो या नहीं इसका निर्णय कलेक्टर साहब करेंगे और वही इस मसले में फाइनल अथारिटी होंगे। जब आप अधिकार कलेक्टर साहब को दे देते हैं इस बात का कि कलेक्टर का ही आखिरी निर्णय होगा और उसकी अपील नहीं हो सकेगी तो फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? इसलिये हमारा कहना यह है कि जिसके पास एक मकान हो तो उसके रहने के लिये भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। इसके साथ-साथ मान लीजिये कि एक आदमी के पास एक मकान है और उससे ३ दिन के अन्दर खाली करने के लिये कहा जाता

है तो उसके लिये तो बहुत मुश्किल हो जायगी। कलेक्टर साहब ने अगर हुकुम दे दिया कि ३ दिन के अन्दर खाली कर दो तो फिर यह थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है।

इसके बाद एक और बात है वह यह है कि जिस मकान को जैसी हालत में लिया जाय उसको उसी हालत में वापस किया जाय। इसके लिये इस बिल में कोई प्राविजन नहीं है। अगर आपने किसी कोठी को लिया जिसके बढ़िया कमरे हैं अगर आपने उसमें गुड़ भर दिया तो वह कोठी तो नष्ट हो जायगी। आप कहते हैं कि उसको कम्पेन्सेशन दिया जायगा और उसको किराया दिया जायगा, लेकिन सरकार ने इस बिल के अन्दर इस प्रकार का कोई प्राविजन नहीं रखा है कि अगर किसी वक्त कोई बिल्डिंग खराब हो जायगी तो क्या होगा। जिस हालत में आपने उस बिल्डिंग को लिया उसी हालत में उसको वापस करना चाहिये। पिछले जमाने में ऐसा हुआ कि सरकार ने बिल्डिंग को लिया, लेकिन सरकार ने जब उनको वापस किया तो उनकी हालत बहुत खराब थी। तो कुछ प्राविजन ऐसा हो कि अगर किसी बिल्डिंग की हालत खराब हो जाय तो उसकी पूर्ति होनी चाहिये। जिस हालत में सरकार ले उसी हालत में वह पास होना चाहिये। एक और बात यह है कि मुझे तो खतरा इस बात का है कि सरकार की जिलों में खत्तियां पड़ी हुई हैं, सरकार की कोठियां पड़ी हुई हैं जिनको गल्ला रखने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कलेक्टर साहब की यह इच्छा है कि इनको इस्तेमाल न करें और फलां आदमी की फलां बिल्डिंग को ले लें तो ऐसी हालत में मैं यह चाहता हूं कि जब तक जरूरत न हो और आपके पास मकान न हो तो मजबूरी की हालत में ही किसी मकान को रिक्वीजीशन किया जाय और उसके अन्दर कोई आदमी भी न रहता हो अगर आप ऐसा करें तो हम आप के साथ हैं। हम न तो सरकार के रास्ते में रोड़ा ही अटकाना चाहते हैं और न इस कानून का दुरुपयोग ही चाहते हैं। जहां तक कीमतों के कंट्रोल करने का प्रश्न है हम उसमें पूरी पूरी सहायता सरकार की करने को उद्यत हैं। लेकिन हम खराबियों को भी दूर कराने की कोशिश करेंगे। वह क्लाज जिसके बारे में शम्भूनाथ जी ने भी कहा है, मान लीजिये कि हमारी कोठी कलेक्टर साहब ने ले ली और उसके बाद अगर कोई दुर्भाग्य ऐसा हो जाय कि हम न रहें तो हमारी कोठी कलेक्टर साहेब चाहे जिसको दे देंगे। आखिर यह बात रखी क्यों गयी है? जिसका मकान हो उसके भाई या रिश्तेदारों को छोड़ दीजिये। आप किसी दूसरे का हवाला दे कर उसे उस कोठी में ला कर क्यों बैठा देते हैं। तो कुछ तो यह कंट्रेडिक्टरी है और कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन यह सब होते हुये भी और खामियों को दूर करने की कोशिश करते हुये हम इस बिल का स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं और आशा करते हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं होने पावेगा।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं कि उन्होंने सचमुच विरोधी पक्ष का कार्य आज किया है उन्होंने रचनात्मक सुझाव दिये हैं। हम आशा करते हैं कि विरोधी पक्ष सदैव ऐसा ही करता रहेगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी कहीं गयीं जिनसे कुछ शंका उत्पन्न हो सकती है। माननीय रामेश्वर लाल जी ने कहा कि जिसके पास एक ही मकान हो तो उसे लेने का कलेक्टर को अधिकार नहीं होना चाहिये। यह बात एक प्रकार से उचित भी मालूम होती है लेकिन उनकी यह शंका इस विधेयक के पढ़ने से निर्मूल हो जाती है। क्या जिलाधीश बिलकुल ही बुद्धिहीन होगा कि वह उस व्यक्ति का जिसके पास केवल एक ही मकान होगा उसे वह ले लेगा, यह प्रश्न तो उठता ही नहीं। माननीय अवधेश प्रतापसिंह जी ने कहा कि वे इस बिल का विरोध करते हैं। अन्त में उन्होंने इसका एक प्रकार से समर्थन ही किया। कुछ सुझाव उन्होंने दिये और यह कहा कि जिलाधीश को जो अधिकार दिया जा रहा है वह लोकतंत्र के विरुद्ध है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इतना तो खयाल करें कि यह अधिनियम कितना अच्छा है, कितना छोटा सा है और कितना आवश्यक है और कितने दिनों के लिये है। वे यह बातें भूल गये। यदि सरकार को अन्तिम निर्णय करने का अधिकार दिया जाय तो उसके पास कागज पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसे भी वे भूल जाते हैं।

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

माननीय चतुर्वेदी जी ने एतराज़ किया कि इसके मुताबिक़ जिलाधीश केवल ३ दिन की नोटिस दे कर मकान ले सकता है, यह समय कम है। यदि वह धारा ३ को पढ़ते तो उन्हें मालूम हो जाता कि इसमें लिखा है कि अवधि ३ दिन से कम न होगी, अर्थात् अधिक हो सकती है। ३ दिन तो मिनिमम समय रखा है, न कि मैक्सिमम। जिलाधीश उसे बढ़ा सकता है। वह घटा नहीं सकता। इसलिये अवधि तो इसमें बढ़ी हुई है ही। उपाध्याय जी ने धारा ३ के प्रतिबन्ध का उल्लेख किया है। उसे भी देख लिया जाय। इसमें लिखा है कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भाण्डार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा। इससे मैं समझता हूं कि माननीय मदनमोहन जी ने जो शंका प्रकट की है उसका कोई प्रश्न नहीं रह जाता है क्योंकि उसका प्रयोग बिना प्रान्तीय सरकार की आज्ञा से नहीं लिया जा सकता है। उपाध्याय जी यहां मौजूद नहीं हैं। शायद उनका यह ख्याल रहा हो कि उनकी बहुत बड़ी कोठी का जो रानीखेत में होमफार्म के नाम से है जिलाधीश ले लेंगे। उनको यह ख्याल नहीं रहा कि वह फार्म शहर से इतनी दूर है कि कलेक्टर उसे लेना उचित नहीं समझेगा। इस विधेयक के उद्देश्य और कारण पढ़ने से प्रतीत होता है कि यह बहुत आवश्यक है और चन्द दिनों के लिये बनाया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक जो सबको पसन्द है जल्दी से जल्दी पास हो जावेगा।

श्री शिवनारायण—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—यह बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने होकर यहां आया है, जिसने डेढ़ दिन इसके लिये निश्चित किया है और उसे सदन ने एक मत से स्वीकार कर लिया है। जिसको सदन ने एक मत से स्वीकार कर लिया हो अब उस पर क्लोजर होना शोभा नहीं देता। यह मामला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने गया, उसने इस सुझाव को मंजूर किया। और यह कनवेनशन स्पीकर महोदय ने हाउस के सामने बता दिया था तो मैं प्रार्थना करता हूं कि उस कनवेंशन की इज्जत की जाय तथा माननीय शिवनारायण जी क्लोजर को मूव न करें।

*नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि माननीय तिवारी जी ने जो बात कही मैं उस से सहमत नहीं हूं। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि भूल से किसी विधेयक के लिये ज्यादा समय रख दिया जाय जिसमें समय लगना ही नहीं चाहिये। मैंने जब यह सुना कि इस विधेयक पर डेढ़ दिन लगने वाला है तो मुझे ताज्जुब हुआ। क्योंकि यह एक ऐसा विधेयक था कि जिसमें किसी को कोई एतराज़ करने की गुंजाइश न थी। यदि कोई संशोधन शाब्दिक होते भी तो उन पर बहस करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लेकिन अगर यह सदन चाहता है कि अनावश्यक चीज़ पर डेढ़ दिन लगाया जाय तो ऐसा करने का उस को अधिकार है। लेकिन जहां तक कमेटी का ताल्लुक है, जिसका ज़िक्र अभी किया गया कि अगर किसी काम के लिये डेढ़ दिन का समय आवश्यक हो या न हो लेकिन डेढ़ दिन तक उस पर बहस करते रहें, मैं इस बात को सही नहीं समझता। मैं आप से निवेदन करूंगा कि अनावश्यक बहस को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है तो इस सदन को इस बात पर विचार कर लेना चाहिये। इसलिये अगर हम थोड़े समय में विचार करके फैसला दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत इसके कि यह डेढ़ दिन तक चलता रहे। मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप इस बात पर निर्णय कर दें, अथवा सदन के ऊपर छोड़ दें कि बहस को यह डेढ़ दिन तक बढ़ाना चाहता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिवनारायण—मैं यह कहूंगा कि मैं कनवेंशन की इज्जत करता हूं। लेकिन मैं श्रीमन् से यह कहना चाहता हूं कि इसमें डेढ़ दिन का समय है और इसके अन्दर १० खंड हैं। इसलिये अगर जनरल बहस पर अभी क्लोजर नहीं होगा तो बाद को गिलोटिन से इसको हमें पास करना होगा। इसलिये मैं आप से प्रार्थना करुंगा कि हमारे प्रस्ताव को मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं तिवारी जी को बोलने का पूरा मौक़ा देना चाहता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—शायद माननीय गुप्ता जी को वह सारी सूचना नहीं है जो उनको आमतौर से होनी चाहिये थी। बिजनेस एडवाइज़री कमेटी के सुझाव इस सदन के सामने रखे जाते हैं और उनको सदन का एक मेम्बर प्रस्ताव की शकल में हाउस के सामने रखता है। उसके बाद विधान सभा उसको स्वीकार करती है। इस विधेयक के सम्बन्ध में डेढ़ दिन का समय विधान सभा के सदस्य, एक प्रस्ताव के रूप में एकमत से स्वीकार कर चुके हैं। अब यह सदन जो फैसला कर चुका है, गुप्ता जी अगर उस को बदलना चाहते हैं तो वह एक मोशन दें कि कम समय लगाया जाय। जो कुछ भी सदन का फैसला होगा वह बिजनेस कमेटी के समक्ष जायगा और तब तक इस बिल पर विचार स्थगित करना होगा। यह बिजनेस एडवाइज़री कमेटी के नियम हैं। उसके अनुसार जितनी बहस हमको करना चाहिये उतनी नहीं कर पायेंगे। इसलिये बजाय इसके कि हम नियमों के अनुसार न चलें, यह उचित होगा कि सदन ने जो फैसला कर लिया है, हम उस पर चलें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन ने यह निर्णय किया है कि डेढ़ दिन तक इस पर बहस हो सकती है, तो उसके हरगिज़ भी यह माने नहीं हैं कि यदि सदन बहस को कम वक्त में ख़त्म करना चाहे तो उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सिद्धान्ततः जो बात माननीय नारायण दत्त जी ने कही है उसमें मुझे कुछ आपत्ति है। वह यह है कि चूंकि डेढ़ दिन का समय नियत हो चुका है उसमें क्लोज़र मूव नहीं हो सकता, यह तो एक अजीब सी बात हो जायगी क्योंकि अभी वह स्थिति आ चुकी है जब कि यहां काउ प्रोटेक्शन विधेयक चल रहा था। उसमें अगर पहले से, कुछ समय पहले से क्लोजर मूव कर दिया गया होता तो वह नौबत न आती कि बाद में तमाम धाराओं को गिलोटीन करना पड़ा। सदन को हर समय अपने डिबेट को रेगुलेट करने का अधिकार है। वह समय विभाजन कर सकता है कि कब जनरल डिसकशन खत्म हो और कब सेकिण्ड रीडिंग प्रारम्भ हो। सदन को यह भी अधिकार है कि वह क्लोज़र के प्रस्ताव को स्वीकार करे या न करे इसलिये क्लोजर किसी वक्त भी मूव हो सकता है, इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह तो ठीक ही है कि बिजिनेस कमेटी ने समय निर्धारित कर दिया है और हाउस ने उस प्रोग्राम को स्वीकार कर लिया है लेकिन इसके यह मानी नहीं हैं कि हम पूरा डेढ़ दिन इसमें लगा ही दें। हाउस चाहे तो कम से कम समय में भी निश्चय कर सकता है और यह भी ज़रूरी नहीं है कि बार-बार क्लोजर मूव किए जायं। मैं सदन के माननीय सदस्यों की समझदारी पर पूरा भरोसा रखता हूं और वह बिल के महत्व को देखते हुये उस पर कम समय भी लगा सकते हैं। यह अधिकार तो मुझे भी है कि किसी विषय पर वाद विवाद चलता हो तो उसको मैं रोक सकता हूं या चलने दे सकता हूं और चूंकि पहले से कुछ सदस्य बोलना चाहते थे उन को अभी मैं समय और दूंगा, लेकिन सदन कम से कम समय में यदि वाद विवाद समाप्त कर सकता है तो कर दे ऐसी आशा मुझे है और मुझे यह आशा नहीं है कि वह पूरा डेढ़ दिन लगा दे।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने प्रस्तुत विधेयक पर विरोधी पक्ष और हमारे वाम पक्ष में बैठे हुये माननीय सदस्यों के विचारों को सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि माननीय मिश्र जी ने कहा, इस बिल पर विरोधी पक्ष का जो रुख है वह बहुत तर्कयुक्त रहा किन्तु एक बात के ऊपर हमेशा हम देखते हैं कि लोकतंत्र का नाम लेकर अधिकारों के सदुपयोग और दुरुपयोग के ऊपर एक लेक्चर सदन में दिया जाता है। लोकतंत्र में यह एक मानी हुयी प्रथा है, कनवेन्शन है कि वह अधिकार जो कार्य में लाने के लिये होते हैं, उन अधिकारों को सदन की स्वीकृति से किसी प्रेसक्राइब्ड अथारिटी को दिया जाता है। ऐसी अवस्था में कहीं कहीं अपवाद भी हो जाते हैं यानी कहीं-कहीं अधिकारों का दुरुपयोग भी हो जाता है लेकिन उसी को एक जनरल व्यवस्था मान कर उसी पर तमाम बहस करना कहां तक न्यायसंगत हो सकता है कि लोकतंत्र के समर्थक इस तरह से विचार करें। ऐसी अवस्था में यदि हम लोकतंत्र की बात कह कर तमाम अधिकारों के दुरुपयोग की आशंका से पीछे ही पैर खींचते जायं तब तो हम कभी भी एक प्रगतिशील समाज के निर्माण का कार्य कर ही नहीं सकते। कलेक्टर के सम्बन्ध में माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि उसको अधिकार दिये गये हैं, यह अधिकार अगर सरकार को होते तो उन्हें आपत्ति नहीं होती। आखिर कलेक्टर है क्या, यह समझने की बात है, वह जिले में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है अर्थात् वह गवर्नमेंट परसोनिफाइड है। ऐसी अवस्था में गवर्नमेंट अपने अधिकारों को अपने विभिन्न अधिकारियों के द्वारा कार्य रूप में परिणत कराती है। जिसको हम कभी भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी कहते हैं ठीक उसी प्रकार इस बिल में जो अधिकार है वह कलेक्टर को दिये गये हैं। कलेक्टर को गवर्नमेंट यह अधिकार इसलिये समझकर देती है कि वह समझती है कि वह उसका उस जिले में गवर्नमेंट का सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है। तो यदि वह दुरुपयोग कर सकता है तो फिर टु अर इज ह्यूमन के सिद्धांत के अनुसार कोई मिनिस्टर भी गलती कर सकता है इसलिये यह तर्क अधिकारों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कुछ समझ में नहीं आती। वैसे तो जहां तक बिल के और बातों का सम्बन्ध है कोई खास विरोध सदन में दीख नहीं पड़ता, लेकिन मैं लोकतंत्र के नाम पर अधिकारों के दुरुपयोग का जो राग अलापा जाता है वह लोकतंत्र के सर्वथा विपरीत है और प्रगतिशील समाज के निर्माण में बाधक है। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को इस सदन में लाने के लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। एकमात्र उद्देश्य इस बिल का जो सदन के सामने आ रहा है वह कीमतों को स्टैबिलाइज करना ही है। वह उद्देश्य बहुत अच्छा है और उसकी भी हमारे देश के लिये बड़ी आवश्यकता है किंतु मैं यह समझता हूं कि यह बिल इस काम के लिये बहुत पर्याप्त नहीं है। आपने जब देखा कि कीमतें घट रही हैं उस वक्त आपने कुछ माल खरीद लिया तो जहां तक मेरी जानकारी है इस माल के खरीदने के सम्बन्ध में जैसा अक्सर गवर्नमेंट ने पिछले दिनों मंडियों में किया है उसको नाकाफी और अपर्याप्त समझता हूं। मैंने यह देखा कि मुजफ्फरनगर में गवर्नमेंट ने कोआपरेटिव के जरिये गुड़ खरीदने का सिलसिला शुरू किया था किन्तु वह बिलकुल नाकाफी रहा और इसका नतीजा यह हुआ कि वहां गुड़ के भाव गिरते चले गये और उनके गिरने से किसानों का कितना नुकसान हुआ यह गवर्नमेंट भी और जो किसानों से सम्बन्ध रखने वाले लोग हैं वह सभी जानते हैं। मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि इस खाद्यान्न भंडार के मसले को वह जरा विस्तार से देखें और इस बात को सोचें कि खाद्यान्न के मामले में जैसे दूसरे देशों में वहां के कृषकों का और वहां के उत्पादन कर्ताओं का जीवन निर्भर होता है उसी प्रकार हमारे देश में भी होना आवश्यक है। अमेरिका की गवर्नमेंट कृषकों के लिये और दूसरे वर्ग के उत्पादन कर्ताओं के लिये खाद्यान्न भांडारों का प्रबंध करती है और वह कोआपरेटिव के तरीके पर उनके माल को खरीद कर स्टोर हाउसेज में रखती है मगर हम यह समझते हैं कि यह किराये पर लिये हुये मकान जो हम इस समय स्टोर हाउसेज के तरीके पर बरतेंगे वे हमारे काम को पूरा कर सकते हैं यह ठीक नहीं है। एक इमरजेंसी के लिये अच्छा हो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकता है मगर आपको अपनी गवर्नमेंट की पालिसी को ऐसे विस्तार से बनाना पड़ेगा जिससे अपने देश से, अपने प्रदेश से यह समस्या हमेशा के लिये ठीक हो जावे। मैं इस बात को जानता हूं कि अगर आप इस तरह से मकान ले कर गल्ला रखते हैं तो उसमें जो सामान आप रखते हैं बहुत नुकसान होता है। इसलिये मेरा गवर्नमेंट को यह सुझाव है कि एमर्जेन्सी के लिये वक्त जरूरत पर तो आप इस तरह से मकान ले लें, लेकिन आपको अपनी एक लांग पालिसी बनानी होगी और वह पालिसी जैसा कि सभी सिविलाइज्ड देशों में है गवर्नमेंट अपने निजी स्टोर हाउसेज रखती है या कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से स्टोर हाउसेज बनाती है। इस तरह की पालिसी गवर्नमेंट को अपनानी होगी और मैं तो गवर्नमेंट को सुझाव दूंगा कि हर एक हजार एकड़ पर वह ऐसे स्टोर हाउसेज चाहे अपने जरिये या कोआपरेटिव के जरिये से बनवाये जहां पर कि कम से कम १० हजार मन गल्ला या १० हजार मन दूसरा सामान स्टोर हो सके। जहां आप "ग्रो मोर फूड" कर रहे हैं वहां आप को "सेव मोर फूड" भी करना होगा और आपको अपना खाद्यान्न ऐसे अच्छे स्टोर हाउसेज में रखना होगा जहां पर बहुत कम नुकसान होगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे यहां १० फीसदी तक नुकसान होता है हमारे गल्ले का या दूसरे सामान का, क्योंकि अभी तक जो मकान हमारे यहां हैं उनमें न तो हम ऐसी औषधियां डाल सकते हैं, न चूने से बचा सकते हैं। जहां कच्चे मकान हैं या बाढ़ आती है वहां तो इस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है कि गवर्नमेंट अपने स्टोर हाउसेज बना कर रक्खे। मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट बाढ़ के एरियाज में ऐसे स्टोर हाउसेज बना कर रक्खे जिनके अन्दर किसान के पास जो सरप्लस पैदावार हो उनको वह अपने स्टोर हाउसेज में रख ले और सिविलाइज्ड देशों की तरह उन्हें उनकी पैदावार के दाम भाव के अनुपात से दे दिये जायं और जिस वक्त पैदावार अच्छी हो या एमर्जेन्सी हो तो वह उन्हें निकाल कर दे दे या बेच दे तो किसान का इससे बड़ा उपकार होगा। किसान बड़ा परेशान रहता है कभी उसकी पैदावार बढ़ जाती है और कभी घट जाती है। मैं मुजफ्फरनगर मंडी की एक मिशाल आपके सामने पेश करता हूं। पिछले दिनों जब इस बात की घोषणा की गयी कि गवर्नमेंट कोआपरेटिव के जरिये से गुड़ खरीदेगी तो वहां के व्यापारियों ने यह चाल चली कि रेलवे से फीस देकर एक हफ्ते भर के लिये माल के डिब्बे ले लिये, मगर उसमें माल भरना बन्द कर दिया। नतीजा यह हुआ कि माल का दाम या गुड़ का दाम कई रुपये मन के हिसाब से गिर गया और जिससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इस बात की बहुत आवश्यकता है कि गवर्नमेंट के पास स्टोर हाउसेज होने चाहिये। मेरा फिर भी कहना है कि इस प्रकार के जो स्टोर हाउसेज हैं जिनको सरकार रिक्वीजीशन करती है वे हमारी एमर्जेन्सी को तो पूरा कर सकते हैं लेकिन हमारी उस लांग पालिसी को, हमारी उस समस्या को जिसे सुलझाने के लिये यह सब काम किया गया है उस समस्या को यह दूर करने वाले नहीं हैं। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारी केन्द्रीय सरकार इस कार्य के लिये १८ करोड़ रुपये दे रही है कि हम जगह-जगह पर स्टोर हाउसेज बनायें। हमारे यहां बीज गोदाम बन रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं गवर्नमेंट से यह भी प्रार्थना करूंगा कि जहां आप बीज गोदाम बनाते हैं वहां आप देहातों में गल्ला वगैरह रखने के लिये भी और गोदाम बनायें जिससे आपके किसान को भी लाभ पहुंचेगा और आपकी गवर्नमेंट को भी लाभ पहुंचेगा और आपके किसान समृद्धिशाली होंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के उद्देश्य और कारण से सहमत होते हुए माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं या जो इस विधेयक में कमियां हैं उन्हें बताना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी का भाषण हमने सुना कहा भी गया कि ३१ दिसम्बर, १९५४ को इस बिल का वक्त खत्म हो गया और इसलिए अध्यादेश जारी करना पड़ा गवर्नर महोदय को। मैं आपके द्वारा, निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की बराबर अध्यादेश जारी करने की जो परिपाटी है वह खत्म होनी चाहिए। जब कि दिसम्बर महीने में ही यह सदन चालू था और ३१ दिसम्बर को इस विधेयक की

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

अवधि खत्म होने वाली थी तो दिसम्बर महीने में ही विधेयक लाकर आर्डिनेंस को रोकना चाहिए था। लेकिन सरकार इस काम को नहीं कर सकी इसका मुझे हार्दिक दुख है। श्रीमन्, मूल्य स्थिरीकरण योजना के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार इसमें भी बहुत नाकामयाब हुई है और दुख होता है कि बार-बार नियोजन मंत्री ने सदन में यह दोहराया है कि हम मूल्यों का स्थिरीकरण चाहते हैं। श्रीमन्, आपको याद होगा जब कि गुड़ के संबंध में श्री गेंदा सिंह जी के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि गुड़ का भाव स्थिर रहने के लिए फलां-फलां स्थानों में, मंडियों में गुड़ खरीदने की योजना चलने जा रही है। उसी तरह से गेहूं और ज्वार के सम्बन्ध में भी आश्वासन दिया गया। लेकिन अफसोस है कि जो यह योजना चालू की गई वह शायद कुछ ही जिलों में चालू की गयी। हमारे जिले के आसपास के जिलों में, बलिया, आजमगढ़, बनारस, देवरिया में जहां तक मुझे जानकारी है गुड़ और गल्ले के संबंध में जो स्थिरीकरण की योजना चालू नहीं हुई और उसका नतीजा यह हुआ कि गेहूं या गल्ले की जो कीमत रही वह बेतहाशा अस्थिर रही और उसका नतीजा मैं आपको बताऊं। जौ की कीमत चैत के महीने में मेरे यहां साढ़े पांच रूपये मन थी, स्वयं माननीय मंत्री जी ने कबूल किया था वही आज साढ़े नौ रुपया मन बिक रहा है और उसी बाजार में बिक रहा है। यह कह देना कि हमने अध्यादेश जारी करके और भांडारों को अपने कब्जे में करके मूल्यों का स्थिरीकरण कर दिया है बिलकुल गलत है। हमारे प्रदेश में एक तरह का हंगामा मचा हुआ है। किसानों में न उम्मीदी पाई जाती है। श्रीमन्, आज बाजरों की गल्ले की कीमत को देखते हुए और जो कारखाने का सामान पैदा होता है उसकी कीमत को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो कारखाने के सामान की कीमत है और जो गल्ले की कीमत है अगर दोनों का मुकाबला किया जाय तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सात साल तक बराबर किसान गल्ला पैदा करे और कारखानों के सामानों की कीमतों को अदा करता रहे तब भी वह अदा नहीं कर सकता। गल्ले की कीमत घटती जा रही है, बाजार अर्थात् कारखाने के सामानों की कीमत ज्यों की त्यों है, मालगुजारी तथा टैक्स ज्यों की त्यों है, मैं समझता हूं कि सरकार बहुत नाकामयाब हुई है और यदि सरकार चाहती है कि मूल्य का सही मानों में स्थिरीकरण करे तो बहुत बड़ी तादाद में उसे भंडारों का प्रबन्ध करना पड़ेगा और सारे प्रदेश में जो गल्ला है, जो गल्ला बाजारों में एक कीमत पर नहीं बिकता, जिसको सरकार समझती है कि गल्ले की कीमत बहुत कम है सरकार को ऐसे सभी प्रकार के गल्लों को खरीदना चाहिए और भांडारों में एकत्रित करना चाहिए। मैं श्री बलवन्त सिंह जी के सुझाव का समर्थन करता हूं कि देहातों में भी भांडार सरकार की ओर से लिए जाने चाहिए और बनने चाहिए। शहरों में तो भांडार लिये जाते हैं और बनते हैं, लेकिन देहातों में ऐसा नहीं होता है। इसका नतीजा यह होता है कि देहात का गल्ला सस्ता बिकता है और शहर का गल्ला महंगा बिकता है। इसलिए देहात का रहने वाला किसान मरता है। इस सम्बन्ध में दो एक बातें और हैं जिनको आज समय के अनुसार तब्दील कर देना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं कि कल जब यह विधेयक पर सदन में विचार जारी हो तो शायद माननीय मंत्री जी इसको संशोधित करके उपस्थित करेंगे।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि धारा २ के (घ) में साफ कहा गया है कि सरकार कलेक्टर के जिम्मे इस काम को सुपुर्द करेगी या विज्ञप्ति करके किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। मैं समझता हूं कि इसे भी सरकार को साफ करना चाहिए कि वह किस व्यक्ति को नियुक्त करेगी। मैं जानता हूं कि आज कल की जो परिपाटी है उसके हिसाब से सप्लाई अफसर इस काम को किया करता है, कृषि अफसर भी इस काम को कर सकता है, लेकिन सरकार को इसमें साफ कदम उठाना चाहिये। इसके आगे आप श्रीमन् देखेंगे कि धारा ३ के (१) में कहा गया है कि ....."किसी भांडारिक आवास का अधिग्रहण आवश्यक है तो वह लिखित आज्ञा देकर ऐसे भांडारिक आवास का अधिग्रहण कर सकता है और यह भी आज्ञा दे सकता है कि उसका

कब्जा उसे ऐसी अवधि के भीतर (जो आज्ञा की तामील के दिनांक से तीन दिन से कम न होगी), जो निर्दिष्ट की जाय, दिया जाय, इसमें सिर्फ तीन दिन की अवधि दी गई है। माननीय ब्रजविहारी मिश्र जी ने माननीय उपाध्यक्ष जी की बात का विरोध किया। यह बात सही है कि कम से कम तीन दिन की अवधि है, लेकिन जरा मिश्र जी को ख्याल करना चाहिए कि जिस वक्त का यह विधेयक बना हुआ है उस जमाने में और आज के जमाने में कितना फर्क है। आज सारे प्रदेश में गल्ले की इतनी कमी नहीं है जितनी कि सात साल पहले थी। मैं समझता हूं कि यह तीन दिन का अधिकार देना भी कलेक्टर के हाथ को बेलगाम कर देना है। मैं समझता हूं कि इसमें तीन दिन की नहीं बल्कि कम से कम एक महीने की अवधि होनी चाहिए। ऐसा कोई वक्त नहीं है और ऐसा कोई जमाना नहीं है कि जिसमें कलेक्टर को तीन दिन का अधिकार रहे। श्रीमन्, माननीय मिश्र जी ने आक्षेप किया था कि उपाध्याय जी का जो भवन है वह नहीं लिया जायगा। यह बात सही है कि उपाध्याय जी का भवन नहीं लिया जायगा तो पंडित जी का ही कहां लिया जायगा? वह भी ऐसा नहीं है कि जिस पर कलेक्टर कब्जा कर लेगा। बंगला तो है लेकिन कलेक्टर को कब्जा करने में जरा मुश्किलात होंगी और पंडित जी शायद उसकी मंजूरी भी न दें। श्रीमन्, यह शायद दूसरा मौका है कि जब पंडित जी की ओर से धन्यवाद दिया गया है और यह कहा गया है कि विरोधी दल से हम जो उम्मीद भी यही करते हैं।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन से और मिश्र जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के ऐसे लोग नहीं हैं कि जो यह महसूस करते हों कि विरोध करना ही हमारा काम है। जब हम स्वस्थ विरोधी दल बनाने की बात का फैसला किये बैठे हैं तो विरोधी दल का यह काम है कि जो अच्छी बात हो उसका समर्थन करें, जो सही मान में विरोध करने लायक बात हो, उसका विरोध करें। यह तो श्रीमन्, उधर के बैठने वाले सदस्यों का काम है कि चाहे बिल उपयुक्त हो या अनुपयुक्त हो उसका समर्थन वह करेंगे। इधर के बैठने वालों का यह काम है कि जो बात सही मानों में समर्थन करने लायक हो उसका समर्थन करें और जो विरोध करने लायक हो उसका विरोध करें। मैं इसका कोई आभारी नहीं हूं और न धन्यवाद लेना चाहता हूं। यह तो हमारा कर्त्तव्य है और हम उसका पालन कर रहे हैं। कहा गया है कि कलेक्टर को इतने अधिकार देना लोकतंत्र का कोई हत्या नहीं है पंडित देवदत्त मिश्र जी ने काफी दलीलें दी। श्रीमन्, यदि मैं भूलता नहीं हूं तो खास कर देवदत्त मिश्र जी को और उधर के बैठने वाले सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि गांधी जी ने आजादी मिलने के पहिले ही कहा था कि कलेक्टर हमारे देश का छोटा वाइसराय है। कलेक्टर के हाथ में इतनी शक्ति नहीं जानी चाहिये। आज जब कि देश आजाद हो चुका है और यह कहा जा चुका है कि शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये तो मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं माननीय देवदत्त मिश्र जी से, उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कि कलेक्टर की ईमानदारी पर बहुत विश्वास किया करते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कलेक्टर, इस प्रदेश में ऐसे नहीं हैं जो माननीय सदस्यों को अपमानित करते हों और माननीय गेंदा सिंह जी के साथ जो ज्यादती हुई थी बाहर और जो कोर्ट इंस्पेक्टर सदन में ला करके कटघरे में खड़ा किया गया। श्रीमन्, आप जानते होंगे कि उसमें केवल उस कोर्ट इंस्पेक्टर का ही हाथ नहीं था, कलेक्टर का भी था। कलेक्टर को या किसी अधिकारी को यह समझ लेना कि बहुत ईमानदार है और सारी शक्ति उसके हाथ में दे देना मैं समझता हूं कि लोक तंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र में शक्ति का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि सारी शक्ति कलेक्टर के हाथ में दे जाय। कलेक्टर जो करे उसको सदन मन्जूरी दे दे। श्रीमन्, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि पं० ब्रज विहारी मिश्र ने कहा कि प्रतिबन्ध है—

"फिर भी प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा" अपवाद तो उन्होंने पढ़ दिया, लेकिन धारा ३ की उपधारा २ है जिसमें लिखा हुआ है—

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

"(२)कोई भवन भांडार के लिये प्रयुक्त है या नहीं, इस संबंध में कलेक्टर का निर्णय अंतिम और निश्चयात्मक होगा।"

एक तरफ तो यह दूसरा प्रतिबन्ध है और तीसरे अंतिम निर्णय जो होगा वह कलेक्टर का होगा, तो यह कैसे कहा जाय कि कलेक्टर ने सही किया, गलत किया। तो सरकार उसका निराकरण करेगी। यह विधेयक ऐसा है कि कलेक्टर का ही समर्थन करता है और श्रीमन्, आप देखेंगे, संशोधनों को हमने देखा तो कई जगह ऐसा ऐसा है कि कलेक्टर जिस मकान को लेता है और मकान लेने के बाद मकान का जो मालिक है उससे यह फैसला उसके अनुसार नहीं कर पाता है कि मकान का किराया कितना होना चाहिये। श्रीमन्, हम लोग विधायक निवास में रहते हैं, उसका किराया निश्चित है। लेकिन इसमें यह कहीं नहीं है कि जो मकान भांडार के निमित्त लिया जायगा उसका किराया कितना होगा। और यह भी होना चाहिये कि जो भांडार जिस व्यक्ति का है अगर उसके पास एक ही मकान है तो उसके लिये कोई छूट है या नहीं, यह भी इस विधेयक में नहीं कि जो मकान सरकार ने लिया भांडार अधिग्रहण के निमित्त वह मकान जिस अवस्था में लिया खराब हो गया है और इतना खराब हुआ है कि जो सरकार की ओर से किराया मिला है उससे कई गुना नुकसान हो गया तो सरकार को इसका भी प्रबन्ध करना चाहिये कि उसका इतना प्रतिकर देगी कि मकान बन सके। इन शब्दों के साथ मैं नियोजन मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि इन सुझावों को इस विधेयक में लायेंगे।

(इस समय ४ बजकर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में माननीय सदस्यों के भाषण इस विधेयक पर सुने और मुझे यह प्रसन्नता है कि हमारे माननीय सदस्यों ने इस विधेयक की जरूरत को समझने की पूरी पूरी कोशिश की। यह विधेयक हमारी सरकार की दूर दर्शिता का परिचायक है और भविष्य में जो इमरजेंसी हो सकती है उसको मद्देनजर रखते हुए अपने कार्य-भार को सुचारु रूप से संचालित करने का प्रयास है और हमारी इस स्टेट के अन्दर जितने भी क्लासेज के लोग हैं उनके हितो की रक्षा करने का प्रयास है, जहां तक सरकार उनको सुरक्षित कर सकती है, जरूरत है इस प्रदेश में कि हमारे यहां के किसानों की दशा को सुधारने के लिये सरकार को अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिये। जब कि उनकी पैदा की हुई चीज के दाम गिरने की अधिक सम्भावना हो जाती है तो यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह उनकी पैदावार की कीमत को स्टेब्लाइज करने के लिए जितने भी और जो कोई भी कदम उठा सकती है उसको उठाने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिये। मैंने देखा है कि हमारे इस उत्तर प्रदेश स्टेट के अन्दर बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो कि परमानेंटली डेफिसिट एरियाज कहलाये जाते हैं जहां कि हर साल अनाज की और खाद्यान पदार्थों की कमी हुआ करती है, दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जहा कि हर समय बाढ़ों के होने का अंदेशा रहता है, खास कर उन इलाकों और क्षेत्रों के लिए जहां कि अनाज की कमी होती है और होने की सम्भावना है किसी भी दुर्भिक्ष के कारण, मैं सरकार से निहायत अदब के साथ यह प्रार्थना करूंगा कि वहां अनाज को स्टोर करने के लिए सरकार को मकान की व्यवस्था अवश्य कर देनी चाहिये और इसके लिये जो कुछ भी पूंजी सरकार को जरूरत होती है, उसकी मांग जल्दी से जल्दी होनी चाहिये क्योंकि जिन इलाकों में अधिक अनाज पैदा होता है और जिन इलाकों में डेफिसिट है। डेफिसिट जिलों में अनाज नजदीक के जिलों से पहुंचाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए तो सरकार के गोडाउन इतने अच्छे ढंग के होने चाहिये जिसमें कम से कम नुकसान गवर्नमेन्ट ग्रेन का हो। इसके बादमें जो पावर्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिये गये हैं, उनपर बहुत से माननीय सदस्यों का मतभेद है, उनके मुताल्लिक मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि कलेक्टर को अगर पूरा अख्तियार दिया जाय तो बहुत से मामलों में बेइंसाफी होने का अधिक अंदेशा है, उसके लिए मैं एक बीच का रास्ता

सरकार के सामने पेश करना चाहता हूं कि उस इलाके के लोकल पीपुल की एक छोटी सी कमेटी होनी चाहिए जो कि मकान को रिक्वीजीशन करने के लिए ऐसे मकानों की एक लिस्ट तैयार करे जिनको बिना किसी बड़ी भारी दिक्कत के लिया जा सकता हो और उस लिस्ट में से इस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि जिन मकानों को वह उचित समझता है उनको वह सरकार के काम के लिए ले। इससे हमारा यह फायदा होगा कि जनता के वह मकान जिनके मालिकों को बड़ी से बड़ी तकलीफ होने का अन्देशा है वह मकान उस लिस्ट में न जायेंगे और दूसरे मकानों को सुभीते से लिया जा सकता है। केवल ऐसे ही मकानों की लिस्ट वह कमेटी तैयार करेगी। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि बोर्ड का अगर कोई रास्ता सरकार निकाल सकती है तो उस रास्ते को अवश्य ढूंढ़ना चाहिए। दूसरे जो सुझाव माननीय बलवन्त सिंह ने इस सदन में पेश किये हैं वह भी गौर करने के काबिल हैं और उसके लिए जो कोई भी व्यवस्था हमारी सरकार इस बिल के अन्दर कर सकती है वह व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। जहां तक कि उन सुझावों को एक प्रैक्टिकल रूप दिया जा सकता है, उसमें सरकार को कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात जो कि इस सदन से मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मकान जहां तक कि देहात के इलाके के हैं गरीब लोगों के पास कोई इतने अच्छे और बड़े मकान आमतौर से होते नहीं, जिनको कि सरकार के ग्रेन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत कम ऐसे मकान वहां होंगे और उन मकानों के रहने वालों के लिए दूसरे मकान की आम तौर से व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे इलाकों में जहां और सुपरफ्लुअस मकान नहीं है, जहां कि ऐसे मकानों की व्यवस्था नहीं, जिनको किराये पर दिया जा सकता है या दूसरे कामों के लिए, या पब्लिक परपेजेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वहां अनिवार्यतः सरकार को सरकारी ग्रेन के स्टोर करने के लिए अपने खर्च से मकानों की व्यवस्था करनी नितान्त आवश्यक है।

इन्हीं सुझावों के साथ में मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल को लाकर हमारे किसान भाइयों को, खासकर, इमदाद की है, जिनको भाव गिर जाने से अधिक नुकसान होने का अन्देशा हो गया था।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। इस समर्थन का मुख्य दृष्टिकोण यह है कि प्राइस कंट्रोल के संबंध में अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर अगर सरकार को कहीं मकानों की आवश्यकता हो तो अन्य किसी कानून के इस प्रसंग में न होने के कारण ऐसा अधिकार देने वाले कानून को स्टैट्यूट बुक में रहना चाहिये। लेकिन माननीय मंत्री जी ने और उनकी ओर से इस विधेयक का प्रस्तुत करने वाले माननीय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी महोदय ने जो अपना भाषण दिया, उसका मैं एक अधूरा भाषण कह सकता हूं कहा यह गया कि सन् ४७ वाला विधेयक पिछले साल दिसम्बर के मास में लैप्स हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन इस सदन को यह बतलाया नहीं गया कि जिस समय वह विधेयक लैप्स हुआ उस समय सरकार के हाथ में उस विधान के अनुसार कितने गोदाम, कितनी खत्तियां ऐसी थीं कि जो अक्वायर की गयी थीं, जो ली गयीं थीं। क्योंकि सात साल तक यह अधिनियम चलता रहा और इसके अधीन सारे प्रान्त में कार्यवाहियां की गयीं, गोदाम और खतियां ली गयीं और यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि उन खत्तियों में से आज भी सरकार के पास कितनी हैं। अगर माननीय मंत्री जी कुछ आंकड़े इस सदन के सामने प्रस्तुत करते कि हम प्राइस कंट्रोल के सिलसिले में कितना गेहूं और ज्वार खरीदने वाले हैं तो ज्यादा उचित होता। जून सन् १९५६ तक वह इस विधेयक को समाप्त करना चाहते हैं, वह बतलाते कि जून सन् ५६ तक उनको इतना गेहूं और ज्वार खरीदना है, इतना रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है और इतना खरीदना है, उनके पास इतने गोदाम सरकारी मौजूद हैं और इतनों की आवश्यकता है और वह समझौते द्वारा और सामान्य तरीकों द्वारा नहीं मिल पा रहे हैं। अगर वह सब आंकड़े सदन के सामने रखते तो हमें ज्यादा आसानी होती कि हम इस विधेयक पर ज्यादा बहस न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

करते । हमारे पास जो अब तक आंकड़े उपलब्ध हैं वह सन् १९५३ में १६ दिसम्बर को विधान सभा के अन्दर माननीय बनारसी दास ने दिये थे कि गवर्नमेंट के पास जो अपने गोडाउंस हैं, जो इस समय यू० पी० में बनाये हैं उनकी संख्या ४९ खत्तियां और १,२७१ गोडाउंस हैं और उनकी १९,६८३ टन की ऐकमोडेशन है । तो इतने की व्यवस्था तो हमेशा सरकार कर सकती है, जो कि १९५३ में भी थे और आज भी हैं और समझौते के द्वारा सरकार के पास इस समय १,०३१ खत्तियां और ३,१८७ गोडाउन्स हैं, जिनमें ३,१९,१८२ टन अनाज रखा जा सकता है । तो इससे स्पष्ट है कि कोई सवा चार लाख टन अनाज रखने लायक खत्तियां और गोदाम सरकार के पास बिना इस ऐक्ट को लागू किये भी सन् १९५३ में थ । अब सवाल यह है कि सरकार कितनी खरीद करने जा रही है, उसने कितनी खरीद अब तक की है । जो अब तक आंकड़े मिले हैं, जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुये हैं. उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार ने अभी इतनी ज्यादा खरीद नहीं की है कि उसे और गोदामों की जरूरत पड़े । अब सरकार आगे क्या खरीद रही है मैं नहीं जानता । मैं तो यह चाहता था कि जुगलकिशोर इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट, जो इस विधेयक के प्रयोजनों में थी उसको माननीय मंत्री जी कम से कम आज इस विधेयक में तो लागू करते । उसमें कुछ सिद्धान्त स्वीकार किये गये थे और माननीय गुप्ता जी को ही व रिपोर्ट समर्पित भी की गयी थी । उसमें यह कहा था कि एक्वीजीशन की व्यवस्था जहां तक हो सके नहीं करनी चाहिये । सरकार को ही अपने गोदाम बनाने चाहिये. क्योंकि एक लम्बे समय के दृष्टिकोण से वह बात एकोनामिकल रहेगी और शायद इसीलिये जैसा कि माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने १८ करोड़ की योजना इस सम्बन्ध में बनाई है । मैं नहीं जानता कि यू० पी० की सरकार को उस १८ करोड़ में से कितना मिलने वाला है या सरकार की अपने गोदाम बनाने की योजना क्या है ? जून, १९५६ तक यह विधेयक लागू किया जा रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जून, ५६ के पहले ही सरकार फिर एक संशोधन विधेयक लायेगी कि एक साल के लिये इसे और बढ़ा दिया जाय । यह ज्यादा उचित नहीं मालूम होता है । इस लिए अच्छा तो यह था कि जुगल किशोर इन्क्वायरी कमेटी के अनुसार सरकार इस विधेयक में समझौते के ही प्रतिवेदन को लेती कि अगर कोई ओनर या आक्यूपायर समझौते को नहीं मानता, उस समय उस पर क्या कार्यवाही होगी । जुगलकिशोर इन्क्वायरी कमेटी की जो सिफारिश थी उसको मान्यता देना आवश्यक था । आपको याद होगा श्रीमन्, इसी सदन में माननीय बनारसी दास जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि सन् ५२ में केवल ९ मकान रेक्वीजीशन किये गये, क्योंकि आवश्यकता ही कम पड़ी । तो अगर केवल स्टेट्यूट बुक की शोभा बढ़ाने का उद्देश्य माननीय मंत्री जी का है तो हमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन साथ ही साथ माननीय मंत्री जी को विधान की धाराओं की ओर भी ध्यान देना चाहिये । सन् ४७ में हिन्दुस्तान का विधान लागू नहीं था, लेकिन आज तो हिन्दुस्तान का विधान लागू है और हम उस विधान के आर्टिकिल ३१ के अनुसार ही किसी व्यक्ति से उसकी जायदाद ले सकते हैं या एक्वायर कर सकते हैं । श्रीमन्, मैं आप का ध्यान विधान की धारा ३१ की उपधारा १ और २ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें है कि किसी व्यक्ति की जायदाद ली नहीं जायगी, सिर्फ कानून के ही द्वारा ली जा सकती है । दूसरी यह है कि किसी भी जायदाद को एक्वायर नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उस कानून में किसी मुआविजे के लिये प्रबन्ध नहीं किया जाता और वह कानून या तो मुआविजे की रकम निश्चित करता हो या उन सिद्धान्तों का उल्लेख करता हो कि जिनके आधार पर मुआविजा दिया जायगा और किस प्रकार यह मुआविजा दिया जायगा ।

श्रीमन्, यह विधेयक जिस प्रकार आज प्रस्तुत किया गया है यह संविधान के इस सब आर्टिकिल का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें यह साफ नहीं बताया गया है कि किस सिद्धान्त के आधार पर मुआविजा तय किया जायगा और इस मामले में तो विधेयक बिलकुल चुप है कि किस प्रकार यह मुआविजा दिया जायगा । आप यह देखेंगे कि इस विधेयक

में केवल यह लिखा हुआ है कि पहले कलेक्टर तीन दिन का नोटिस देकर मकान को ले सकते हैं अपने प्रयोजन के लिये। उसके बाद कलेक्टर एक एग्रीमेंट करने की चेष्टा करेंगे और अगर एग्रीमेंट होगा तो पेमेंट उसी आधार पर होगा और अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कलेक्टर कोर्ट के पास मामला भेज देगा और कोर्ट तय करेगी कि मुआवजा क्या होगा। अब इसमें आगे देखें कि एक अधूरा सा हवाला दिया गया है लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा २३, २४ का। जहां तक सिद्धान्त का संबंध है तो एक रिफ्रेन्स है कि कोर्ट जिस समय मुआविजे के बारे में कोई निर्धारण करेगी तो लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा २३ (ए) और २४ के अनुसार वह मुआविजे को ध्यान में रख रखेगी। लेकिन यह सिद्धान्त अधूरे हैं। मिसाल के लिये यह स्पष्ट नहीं हैं, अगर एक से अधिक ओनर्स हैं तो एमाउंट किस प्रकार बांटा जायगा। यह भी निश्चित नहीं है कि पेंमेंट का तरीका क्या होगा। मेरे पास लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट मौजूद है मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसके अध्याय ५ की धारा ३१, ३२, ३३ और ३४ की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह धारायें पूरी की पूरी पेमेंट के सिलसिले में हैं। मान लिया जाय कि पेमेंट लेने वाला मौजूद नहीं है या उसकी मृत्यु हो गई है या वह लेना नहीं चाहता है तो पेमेंट कोर्ट में जमा किया जायगा और कोर्ट देगी।

अब मंत्री जी कह सकते हैं कि इस संबंध में हम नियम बनायेंगे, मैंने वह देखे नहीं हैं। लेकिन मेरा मतलब यह है कि इसकी व्यवस्था विधान के अनुसार विधेयक में होनी चाहिये थी और लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में जो सिद्धान्त पेमेंट के बारे में रखा गया है या मुआवजे के संबंध में रखा गया है उनका समावेश इस विधेयक में होना चाहिये था और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक यह विधेयक विधान की धारा ३१ (२) का उल्लंघन हो जाता है और इसकी तुलना में यह विधेयक अधूरा हो जाता है।

इसके साथ साथ आप यह देखेंगे कि इसमें एक निश्चितता कर दी गई है कि जो न्यायालय फैसला कर देगा वह अंतिम होगा। न्यायालय की परिभाषा है मुंसिफ या सिविल जज की कोर्ट और उसके बाद अपील नहीं है। १९४७ में यह सवाल उठा था इसी सदन में, इसकी अपील क्यों नहीं है और विरोधी दल की ओर से यह मांग हुई थी कि एक अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहां होनी चाहिये। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को भी अपील करने की गुंजाइश हो क्योंकि कलक्टर देखे कि कोर्ट ने जो मुआविजा तय कर दिया है वह ज्यादा है या मालिक मकान को जरूरत हो सकती है, इसलिये एक अपील का देना आवश्यक था और इसके बाद स्वयं गुप्ता जी ने इस सिद्धान्त को स्वीकार भी किया था १९४७ में कि अपील का अधिकार होना चाहिए और वह इस संशोधन को मान लेते यदि कौंसिल होती। केवल इसीलिये स्वीकार नहीं किय गया, क्योंकि लेजिस्लेटिव कौंसिल से वह बिल पास हो चुका था और अगर उस समय वह किया जाता तो उसको लेजिस्लेटिव कौंसिल में भेजना पड़ता और कौंसिल को बुलाना पड़ता। इस संबंध में मैं आपकी आज्ञा से गुप्ता जी का कोटेशन पढ़ना चाहता हूं जो ६ जून, १९४७ की कार्यवाही में १९४ पृष्ठ पर है।

"मुझे दुख है कि मैं मुहम्मद इसहाक साहब के संशोधन को कबूल नहीं कर सकता। जो बातें उन्होंने कहीं, मैं उनसे किसी हद्द तक इत्तिफाक करता हूं, लेकिन आज रकार के सामने एक प्रैक्टीकल डिफीकल्टी (वास्तविक कठिनाई) है। अगर हम कोई संशोधन इस दर्जे पर मंजूर कर लें तो नतीजा यह होगा कि यह बिल फिर लेजिस्लेटिव कौंसिल में जाय और वहां की बैठक स्थगित कर दी गई है तो जिस मंशा से यह बिल आपके सामने पेश हो रहा है, वह पूरा नहीं हो सकेगा। लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक जल्दी होने वाली नहीं है, इसलिये मैं अपने दोस्त इसहाक साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे इस स्टेज (मौके) पर संशोधन को यहां पर पेश न करें और जिस रूप में यह पास होकर कौंसिल से आया है, उसी सूरत में पास हो जाने दें।"

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

वह संशोधन किसी हद तक इ बात की पूर्ति करता था, लेकिन उसको केवल आपने इसलिये स्वीकार नहीं किया कि कौंसिल में उसको दोबारा भेजना पड़ता। तो आज तो. सामने कोई रुकावट नहीं है। यह न दखते हुये कि विधान में क्या लिखा हुआ है यह न देखते हुये कि हमारी वास्तविक आवश्यकता क्या है, यह न देखते हुये कि जुगुल किशोर कमेटी की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है और यह न देखते हुये कि हमारे विचार क्या थे मैं नहीं समझता कि यह विधेयक कोई परिष्कृत रूप में, कोई शुद्ध वास्तविक रूप में और आवश्यकता की पूर्ति करने के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक की महत्ता को देखते हुये हमने इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात को यहां पर नहीं उठाया। हमने स्वयं इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुये यह बात नहीं कही। तो जहां तक इसके सिद्धान्त की बात है वह स्पष्ट है। जो बातें और दूसरे माननीय सदस्यों ने कही है मैं उनको दोहरा कर इस सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। विधेयक के अन्दर जो कमी है उनको आपके सम्मुख उपस्थित कर दिया है उन पर ध्यान पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित संशोधनों को माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे ऐसी मुझे आशा है। माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट बतलायेंगे कि स्टोर की आवश्यकता किस लिये है? सरकार के पास कितने गोदाम हैं? कितनी खत्तियां हैं? और उनको कितनी और आवश्यकता है? और वह कितना और स्टाक खरीदना चाहते हैं? जब वह उत्तर देंगे तो इन बातों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि एक ऐसे विधेयक से जिससे करीब-करीब जितने सदस्य अभी तक बोले हैं सभी सहमत हैं उसके विषय में इतनी टीका टिप्पणी और आलोचना की जावे। मैं समझ नहीं पाता हूं, मेरी धारणा ऐसी थी कि यह विधेयक तो इस सदन में थोड़े ही समय में पास हो जायगा, क्योंकि यह विधेयक, उस अधिनियम की पूरी-पूरी रूपरेखा है जो इस प्रदेश में ६, ७ वर्ष तक लागू रहा और जिसके विषय में कोई अधिक टीका टिप्पणी इस सदन में सुनने को नहीं मिली। तो ऐसा विधेयक सदन में ऐसे समय में उपस्थित किया जावे जब उसकी आवश्यकता हो और फिर भी उस पर टीका टिप्पणी की जाय तो मैं इसको अनावश्यक समझता हूं और सदन का समय बेकार होता हुआ समझता हूं।

इस समय दो चार बातें इस सम्बन्ध में कही गयी हैं उनके विषय में निवेदन कर देना चाहता हूं। यह विधेयक जो सदन के विचारार्थ इस समय पेश किया गया वह किन हालत में पेश किया जा रहा है उसकी चर्चा तो जब आर्य जी ने इस विधेयक को सदन के विचारार्थ पेश किया था सदन को बता दी थी। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। यह विधेयक एक जरूरत की हालत में सदन के विचारार्थ पेश किया जा रहा है और वह हालत उस परिस्थिति से पैदा हुई है जिसमें केन्द्रीय सरकार ने खाद्यान्न के विषय में प्राइस सपोर्ट की पालिसी को अपनाया। प्राइस सपोर्ट की नीति के पीछे क्या भावना अपनाई हुई थी यह इस भावना से था कि किसानों की खाद्यान्न की कीमत उत्तरोत्तर गिरती जा रही है, वह इस प्रकार से सन्तुलित की जाय, जिससे किसानों को अधिक नुकसान न उठाना पड़े। वह २ प्रकार से ही किया जा सकता था। एक तो नियंत्रण की नीति को पूरे तौर से हम फिर से चालू करें और दूसरे प्राइस सपोर्ट की नीति को अपनाकर बाजार में भाव ऊंचा रखें, ताकि किसानों को उतना नुकसानदेह न हो जितना उत्तरोत्तर होता जा रहा था। ऐसे समय में हमारे लिये यह आवश्यक था कि जिन खाद्यान्नों को हम खरीदें उन्हें कहां रखें। कभी-कभी गल्ला खरीदने के स्थान पर सरकारी कोई गोदाम नहीं होता और दूर गोदाम में भेजने से गल्ले की कीमत ट्रांसपोर्ट के कारण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़ती है। तो गोदाम को लेने का सरकार को अधिकार देने के लिये यह विधेयक लाया गया है। आंकड़ों के बारे में माननीय नारायणदत्त जी ने कहा है। कदाचित कई बार इस सदन में वह सरकार से आंकड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जब कभी ऐसेंशल सप्लाइज़ ऐक्ट हमारे सदन में आया या रेंट कंट्रोल या रिक्वीज़ीशन ऐक्ट यहां आये, उन आंकड़ों की जानकारी जिनका अभी उन्होंने स्वयं पढ़कर जिक्र किया, स्वयं उनको है। आज वह फिर मुझसे आंकड़े चाहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमने आर्डिनेंस निकाला, लेकिन उसके तहत में हमने कभी एक गोदाम भी रिक्वीज़ीशन नहीं किया। यह तो एक परमिसिव विधेयक है कि जहां हमें आवश्यकता पड़े वहां हम ऐसे स्थान को ले सकें जो कि पहले गोदाम के रूप में इस्तेमाल होता रहा हो। यहां किसी कोठी पर कब्जा करने की नीयत नहीं है। धारा ३ में दिया है कि केवल वही स्थान गोदाम के लिये लिये जावेंगे, जो गोदाम में इस्तेमाल होते रहे हैं और यदि कोई और स्थान लेने की चेष्टा की जायगी तो प्रदेशीय सरकार से उसकी आज्ञा ली जायगी।

उपाध्याय जी को बड़ी परेशानी थी कि कहीं उनकी कोठी न ले ली जाय। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सरकार उनकी कोठी नहीं लेगी और कलेक्टर को तो ऐसी हिम्मत भी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसे प्रदेशीय सरकार से आज्ञा मांगनी होगी। उनकी कोठी तो पहले से ही सरकारी कामों में इस्तेमाल होती ही है और इस सदन के माननीय सदस्य उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कलेक्टर और सरकार कोई भी उसे लेने की ग़लती नहीं कर सकती है। इमेजीनरी बातें करके अनावश्यक बातों को छोड़ देना सदन के समय का ठीक प्रयोग नहीं है। साथ में बहुत सी किताबों का हवाला सदन के सामने उपस्थित करना, यह भी मैं सदस्यों को बता दूं कि वही चीज़ सदन के सामने विचारार्थ रखनी चाहिये जिसके द्वारा कोई लाभ हो या जिसकी आवश्यकता हो कितने हमारे पास सन् १९५३ में गोदाम थे और कितने नहीं थे और कितने १९५४ के शुरू में थे, यह आज बताने की ज़रूरत नहीं है और न सदन के सामने उनको रखने की आवश्यकता है। आज तो आवश्यकता इस बात की है कि यदि हमें जालौन की एक मंडी में कोई गल्ला खरीदना है तो उस गल्ले को खरीद कर रखने के लिये हमें उसी स्थान प किसी गोदाम की आवश्यकता होगी, जिसका हमें अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिये। सरकार के गोदाम किस मात्रा में हैं इससे कोई मामला हल होने वाला नहीं है। अगर सरकार गल्ले को जालौन में खरीदती है तो उसको वहीं पर गोदाम लेना होगा। क्योंकि यह सदन जानता है कि आज कल ट्रांसपोर्ट की कितनी परेशानी है, आज बैगन न मिलने के कारण से कितनी परेशानी होती है। सरकार को देखना यह है कि अनावश्यक ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था में ऐसी हालत पैदा नहीं करनी चाहिये, जिससे जो आज हम उत्तरोत्तर प्रगति करते जा रहे हैं, तरह-तरह की चीजें बनती जा रही हैं, उनको इधर-उधर ले जाने में कोई दिक्कत पैदा न हो। अगर आज सरकार के गोदाम उस संख्या में भी हों तो इससे भी मतलब सिद्ध नहीं होता। जो गल्ला आज हम खरीद रहे हैं वह उसी स्थान पर हम बेचेंगे और उस समय बेचा जायगा जब कि गल्ले की कीमतें बढ़ जायेंगी और उचित मात्रा में हम उस गल्ले की कीमत को पा सकेंगे। इसलिये सरकारी गोदामों के आंकड़ें प्राप्त करने से, इस बहस पर जो हम इस विधेयक के सिलसिले में कर रहे हैं कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन तब भी हमारे माननीय नारायण दत्त जी का आग्रह है कि हम इन आंकड़ों को रखें। यद्यपि आर्डिनेंस को पास हुए दो ढाई-महीने हो गये, लेकिन सरकार ने कोई गोदाम इसके तहत लिया नहीं।

इसके अतिरिक्त प्राइस सपोर्ट की पालिसी के तहत में कितना गल्ला खरीदा जायगा इसकी जानकारी भी सरकार नहीं दे सकती है, क्योंकि हम उस वक्त गल्ला खरीदना बन्द कर देंगे जब १० रुपया मन से अधिक कीमत किसानों को अपने-अपने स्थान पर मिलने लगेगी। अगर हमारी नीति का साइकोलोजीकल इफेक्ट हो जाता है और गल्ले की कीमतें बढ़ जाती हैं तो हम गल्ला खरीदना बन्द कर

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

देंगे। इसलिये इस बात की मांग करना कि हम कितना गल्ला खरीदेंगे, सदन का समय व्यर्थ करने की बात है। आज हमारी जो प्राइस सपोर्ट की पालिसी है, उसके अनुसार जिस स्थान पर हम इस विधेयक का उपयोग करेंगे और कितने गोदामों को हस्तगत करेंगे, मैं इस बेकार बहस के उत्तर में जाने की धृष्टता सदन के सामने नहीं कर सकता। प्राइस सपोर्ट के तहत में जो गल्ला खरीदा गया उसके आंकड़े इस प्रकार हैं—गेहूं ५२,७०४ टन, ज्वार १४,९९६ टन, चना ८३ टन। केन्द्रीय सरकार ने, जैसा कि सदन को विदित होगा चावलों के सिलसिले में भी प्राइस सपोर्ट की नीति को अपनाया है। खरीद में कीमत की क्य हालत होगी, जब वह हमारे सामने आयेगा तब ही चावल को खरीदने के सम्बन्ध में निर्णय दे सकेंगे। तो यह जो हमारा विधेयक सदन के सम्मुख है वह करीब-करीब सारे गल्लों से सम्बन्ध रखता है, केवल ज्वार या गेहूं से ही इसका सम्बन्ध नहीं है, इसमें मेज या पीज आदि सब आ सकते हैं, यह तो एक नीति है जिसके तहत में हम किसानों के गल्ले की कीमतों को नियंत्रित करना चाहते हैं। हमने गुड़ भी पिछले साल खरीदा था, लेकिन हमने उसे फूड एण्ड सिविल सप्लाईज के तहत में नहीं खरीदा था, वह कोआपरेटिव सोसाइटी की तहत में खरीदा गया था और हमने उसकी बिक्री भी की थी। इस सम्बन्ध में जो गोदाम हमारे पास थे उन्हीं का प्रयोग किया गया था और उसके सम्बन्ध में भी अगर हमें उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लेंगे। लेकिन साथ ही मैं सदन को यह विश्वास दिला देना आवश्यक समझता हूं कि अनावश्यक ढंग से न तो इस अधिनियम को लागू किया जायगा और न खामख्वाह किसी के मकान या जमींन पर कब्जा सरकार करेगी। पिछले ७ साल में या इससे पहले जो अधिनियम था उसके तहत में कोई नहीं कह सकता कि इस तरह की कोई बेउनमानी की गई हो या लोगों को खामख्वाह परेशान किया गया हो।

यहां जिलाधीश के सम्बन्ध में और इनको अधिक अधिकार देने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। इस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिलाधीश जब कभी इस तरह की कोई कार्यवाही करता है तो वह आंख मींच कर नहीं करता, बल्कि वह देखता है कि जनता के हित में कौन सी चीज ठीक है या नहीं है, इन तमाम बातों को देखकर वह फैसला करता है। आज के युग में वह ऐसा काम करने लगे तो क्या यह सम्भव हो सकता है और कोई समझ सकता है कि वह ऐसी चीज करता रहे, मैं समझता हूं कि ऐसा कहना केवल हवा में बात करना है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा खयाल करना कोई उचित बात नहीं है और न वह ऐसी बात है जो कभी पिछले ७–८ साल में हमारे सामने आई हो। मैं यह भी यहां कह देना चाहता हूं कि इस अधिनियम का इस्तेमाल उसी हालत में होगा जब हमें खरीदारी की आवश्यकता पड़ेगी और वह बढ़ेगी और वह भी ऐसे स्थानों के लिए जहां पर पहले से गल्ला रखने की जगह नहीं है। मैं उस तमाम लम्बी बहस में तो न जाऊंगा जो यहां की गई। जहां तक इस आलोचना का सम्बन्ध है के सन् ५४ में सरकार ने वेयरहाउसेज बनाने की बात कही थी या जुगल किशोर कमेटी के सुझावों पर इस सम्बन्ध में क्यों अमल नहीं किया गया। मैं इस समय उसके ब्योरे में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना में जो कुछ हम कर रहे थे उसमें कोई वेयरहाउसेज का प्राविजन नहीं था, लेकिन अब हम केन्द्रीय सरकार के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बेयरहाउसेज का निर्माण करने की बात सोच रहे हैं और आशा है कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के तत्वावधान में निर्मित हो जायंगे। प्रथम पंच-वर्षीय योजना में हमने क्या किया और द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में हम क्या करने जा रहे हैं यह मैं इस समय नहीं कहूंगा और इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के विषय में सदन में विवाद होने वाला है इसलिये उस पर मैं अधिक समय नहीं लूंगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सुझाव और आलोचनायें इसके सम्बन्ध में उपस्थित की

गईं, लेकिन जैसा कि मैंने प्रारम्भ में भी कहा था और फिर दोहराया भी था मैं समझता हूं उनका उत्तर देने की अब अधिक आवश्यकता है नहीं। यह बिल एक खास मतलब से और कुछ खास परिस्थितियों में सदन के विचार के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है और आशा है कि सदन इसकी आवश्यकता की गम्भीरता को देखते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा। कोई संशोधन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक में करने के लिये उपस्थित किये हैं, जहां तक कोई आवश्यकीय संशोधन है सरकार उसको मानने के लिये तैयार है, लेकिन अनावश्यक संशोधनों, जिनकी बुनियाद सिर्फ एक हवाई दुखड़े पर है, मैं उनके लिये सदन से निवेदन करूंगा कि उनको यहां रखने की आवश्यकता नहीं है। इन विचारों को सदन के सामने उपस्थित करता हुआ मैं सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि इन बातों पर विचार करते हुए अपनी स्वीकृति इस विधेयक के लिये प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष— प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

परिभाषाएं

२—विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "न्यायालय" से तात्पर्य है अधिक्षेत्र (jurisdiction) रखने वाले मुंसिफ या सिविल जज का न्यायालय,

(ख) "स्वामी" के अन्तर्गत भोग बन्ध की (mortgagee in possession) भी हैं,

(ग) "भांडारिक आवास" (storage accommodation) से तात्पर्य है भांडार के निमित्त प्रयुक्त अथवा उपयुक्त कोई भवन और इसके अन्तर्गत खत्ती भी है,

(घ) "कलेक्टर" के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कार्यों को सम्पादित करने के लिये सरकारी गजट में विज्ञप्ति करके राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारी (authority) भी है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)— माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ग) की पंक्ति ३ का शब्द "कोई" निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, यह शाब्दिक संशोधन है। इस शब्द के हटा देने से भी उसका अर्थ आ जाता है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मेरा शाब्दिक संशोधन यह है कि "कोई" के स्थान पर "किसी" रख दिया जाय।

श्री बलदेव सिंह आर्य—श्री रतनलाल जी जैन का जो संशोधन है वह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ग) की पंक्ति ३ का शब्द "कोई" निकाल दिया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

अधिग्रहण का अधिकार ।

३---(१) यदि कलेक्टर की राय में खाद्यान्नों को भांडार में रखने (storing) के लिये किसी भांडारिक आवास का अधिग्रहण (requisition) आवश्यक है तो वह लिखित आज्ञा देकर ऐसे भांडारिक आवास का अधिग्रहण कर सकता है और यह भी आज्ञा दे सकता है कि उसका कब्जा उसे ऐसी अवधि के भीतर (जो आज्ञा की तामील के दिनांक से तीन दिन से कम न होगी), जो निर्दिष्ट की जाय, दिया जाय ।

फिर भी प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा ।

(२) कोई भवन भांडार के लिये उपयुक्त है या नहीं, इस सम्बन्ध में कलेक्टर का निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा ।

श्री रामेश्वर लाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति १ के शब्द "खाद्यान्नों" के पश्चात् शब्द "एवं खाद्य सामग्रियों" बढ़ा दिये जायं ।

श्रीमन् अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो उसका रूप इस प्रकार होगा :—

"यदि कलेक्टर की राय में खाद्यान्नों एवं खाद्य सामग्रियों को भांडार में रखने के लिये किसी भांडारिक आवास का अधिग्रहण आवश्यक है तो वह लिखित आज्ञा देकर ऐसे भांडारिक आवास का अधिग्रहण कर सकता है ।"

श्रीमन्, अभी जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने स्वीकार किया था कि यदि आवश्यक हुआ तो वह अन्य अन्न भी खरीदेंगे और उसके लिये भी स्टोर की व्यवस्था करेंगे । तो फिर इस पर बहुत ज्यादा तर्क उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है और मुझे उम्मीद है मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--- जी हां, स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--- प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति १ के शब्द "खाद्यान्नों" के पश्चात् शब्द "एवं खाद्य सामग्रियों" बढ़ा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामेश्वर लाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की पंक्ति २ के शब्द "होता हो" के बाद शब्द "अथवा सार्वजनिक हित के लिये उपयोग होता हो" बढ़ा दिये जायं । फिर मेरा जो यह प्रतिबन्धात्मक वाक्य है वह इस प्रकार हो जायगा "फिर भी प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो अथवा सार्वजनिक हित के लिये उपयोग होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा ।"

मेरी मंशा इसके रखने से सिर्फ यह है कि यदि कोई भांडार रिक्वीजीशन करना आवश्यक हो लेकिन सार्वजनिक कार्य के लिये उपयोग में आता हो तो ऐसे भांडार को अधिगृहीत नहीं किया जायगा । इसलिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है ।

श्री बलदेव सिंह आर्य---यह संशोधन स्वीकार नहीं है। सरकार जो भी कार्य करेगी सोच समझ कर करेगी और सही कार्य होगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय मंत्री जी ने इस निर्दोष संशोधन को भी अस्वीकृत कर दिया। इसमें प्रतिबन्ध इस प्रकार है "प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा।" अंग्रेजी में जो इसका अर्थ लगाया गया है क्योंकि लीगल लैंगुवेज अंग्रेजी मानी गई है उसको देखते हुए अर्थ और भी स्पष्ट हो जाता है। कोई रहने का स्थान है या दूकान है और खत्ती के लिये प्रयुक्त न होती हो यह अर्थ निकलता है "साधारणतया भांडार के लिये प्रयुक्त न होता हो" से। "सार्वजनिक कार्य" का अर्थ "पब्लिक पर्पज" से है। पब्लिक पर्पज वह नहीं है जो सरकार माने। बल्कि जैसे धर्मशाला है या ऐसी सम्पत्ति हो जो मन्दिर या धार्मिक स्थान से सम्बन्ध रखती हो और कोई अन्य ऐसा स्थान हो जो सार्वजनिक कार्य के लिये प्रयुक्त होता हो, वह खाली पड़ा हो तो कलेक्टर महोदय या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को यह मालूम पड़े कि हमें उसे लेना है और वह पब्लिक इंस्टीटयूशन उसका विरोध करे तो इस मानी में यह आवश्यक है कि यह मामला सरकार के सामने आना चाहिये। तो केवल एक स्पष्टीकरण के लिये यह संशोधन रक्खा गया है और इसीलिये और अधिक निर्दोष यह संशोधन रक्खा गया है। इस भूमिका में माननीय मंत्री जी इसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मुझे दुःख है कि माननीय आर्य जी के कहने पर भी.....

श्री अध्यक्ष---अभी रामेश्वर लाल जी को उत्तर देना है। बाद में आप जवाब देंगे।

श्री रामेश्वर लाल---अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन सरकार को कुछ बल दे रहा था। इसमें साफ है "अथवा सार्वजनिक हित के लिये उपयोग होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा।" मैं यह चाहता था अपने संशोधन द्वारा कि कोई ऐसा गृह है जो सार्वजनिक कार्य में उपयोग होता हो उस गृह को वहां के स्थानीय प्राधिकारी या कलेक्टर अपने अधिकार में भांडार के लिये लेना चाहते हों तो उस घर के लिये जब तक सरकार की स्वीकृति न प्राप्त कर लें तब तक उसे वे अधिगृहीत न कर सकें। इस संशोधन से यही मेरी मंशा थी। मुझे दुःख है कि माननीय मंत्री जी इस पर क्या विचार रक्खेंगे लेकिन जैसा आर्य जी ने अपने विचार व्यक्त किये उन्हें सुनकर मुझे क्लेश हुआ। श्रीमन्, इस अपने संशोधन के पक्ष में जब आम बहस इस विधेयक पर चल रही थी तो बहुत से सम्मानित सदस्यों ने सदन में अपने अपने विचार प्रकट करते समय यह व्यक्त किया था कि कलेक्टर के हाथ में अधिक से अधिक अधिकारों का सौंपना लोकतन्त्र की हत्या करना है। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के अन्त में जवाब देते वक्त यह तर्क उपस्थित किया था कि इस तरह की माननीय सदस्यों ने कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की कि इस विधेयक के प्रचलित होने पर कोई शिकायत प्रस्तुत करने का मौका हुआ हो। जानबूझकर श्रीमन्, ऐसा नहीं किया गया था। क्योंकि इसकी मंशा के साथ सहमत होते हुए यह आवश्यक नहीं था कि माननीय मंत्री जी को यह कहा जाय कि किसी जिले में या किसी स्थान में क्या, और किस तरह की धांधली हुई। लेकिन यह कहा जा सकता है और इसके दो एक प्रमाण हैं कि जिलाधीश या अधिकारी ऐसा करने से कभी कभी पक्षपात कर जाते हैं। श्रीमन्, ऐसा देखा गया है कि एक ही शहर में दो मकान हैं। कलेक्टर दोनों को समझता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वर लाल]

है कि यह दोनों भांडार के लिये उपयुक्त हैं लेकिन दोनों में दो पार्टियां अवश्य होंगी। एक पार्टी यदि वहां पर स्थानीय कार्यकर्ताओं में या स्थानीय रहने वाले लोगों में ज्यादा प्रभावशाली है तो वह सिफारिश या अपने आप पहुंचकर वह कलेक्टर के कान में इस बात को रख देती है कि यह घर काम के लायक नहीं है, यह भांडार के लायक नहीं है और जो दूसरी पार्टी कमजोर होती है उसका घर ले लिया जाता है। श्रीमन्, इसलिए मैं यह चाहता था कि यदि सार्वजनिक हित का कोई जैसे पुस्तकालय है या ऐसा घर हो, जिसमें मनोरंजन वग़ैरह के काम होते हों या मंदिर या मस्जिद हो, सिनेमा हो, इस तरह के भी कोई घर हों जो सार्वजनिक काम के लिये इस्तेमाल होते हों या कोई डिस्पेंसरी हो, जिससे लोगों का भला होता हो और वह इस काम के लिये लेना चाहते हों, तो उसमें सरकार की पूर्व स्वीकृति ले लेना आवश्यक है। इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके औचित्य को देखते हुए इसको कबूल करेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि जो संशोधन माननीय सदस्य की ओर से उपस्थित किया गया है मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जिस संशोधन को वह रख रहे हैं वह एक हालत में बिलकुल बेमानी हो जाता है। अगर वह यह कहते हैं कि किसी हालत में किसी भी सार्वजनिक इमारत को जो कि सार्वजनिक कामों में इस्तेमाल होती है, कलेक्टर को लेना ही नहीं चाहिए तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक की तहत में ऐसी बात नहीं की जा सकती है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो यदि कोई लाइब्रेरी या धर्मशाला हो और उसके अधिकृत करने से वहां गल्ला रखा जा सकेगा और लोगों की जानें बचायी जा सकेंगी तो सरकार सारी परिस्थिति पर विचार करते हुए यह आदेश देगी कि यह सार्वजनिक कार्यों में लगी हुई संस्थाओं को अधिकृत किया जाय और इसलिए इस प्रकार का संशोधन इस सम्बन्ध में उपस्थित करके कोई बात सिद्ध नहीं होती है। जब सरकार के पास सारा मसला आयेगा तो सरकार सारी परिस्थिति पर विचार करके निर्णय देगी। उसमें सार्वजनिक संस्थाओं का भी सवाल हो सकता है, और प्रकार की इमारतों का भी सवाल हो सकता है, सब पर विचार करके सरकार निर्णय देगी। तो इसमें इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा देने से कोई मानी नहीं है। यह बात बिलकुल निरर्थक है। आवश्यकता पड़ने पर हर इमारत ली जा सकती है, जिसके सम्बन्ध में सरकार हर पहलू से विचार करेगी और तब निर्णय करेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन अनावश्यक है। सरकार को इस बात का अधिकार रहना चाहिए कि वह सारी परिस्थिति पर विचार करते हुए, जो इमारतें सम्बन्ध रखती हों सार्वजनिक संस्थाओं से या किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्ध रखती हों सब पर विचार करके न्यायपूर्वक और आवश्यकता के अनुसार वह निर्णय करेगी। इन कारणों से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१३ सितम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८ पर)

नत्थी

सिविल व सेशन्स जज, फतेहपुर की अदालत में ८ अगस्त, १९५५ तक अनिर्णीत पड़े मुकदमों व अपीलों का ब्यौरा—

सिविल मुकदमें और अपीलें

१—नियमित व्यवहार वाद (Regular Civil Suits)	..	२९
२—लघु वाद न्यायालय सम्बन्धी वाद (Small Cause Court Suits)		३६
३—सिविल अपीलें	.. ..	४१६
४—माल (Revenue) अपीलें	.. ..	१६
५—सिविल विविध (Miscellaneous) अपीलें	..	१७

क्रिमिनल मुकदमे और अपीलें

१—सेशन मुकदमे (Trials)	.. ..	६७
२—क्रिमिनल अपीलें	.. ..	८०
३—क्रिमिनल पुनरीक्षण (Criminal Revisions)	..	१८

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३ पर)

राज्य के प्रथम श्रेणी के म्युनिसिपल बोर्डों की सूची तथा उनकी वार्षिक आय (१९५४–५५)

म्युनिसिपल बोर्डों के नाम	प्रारम्भिक अवशेष के अतिरिक्त वास्तविक आय, १९५४–५५ में
	रु०
१—देहरादून ..	२१,८५,३७७
२—मसूरी ..	२९,१५,८९१
३—सहारनपुर ..	२०,१६,७२४
४—हरद्वार यूनियन ..	१७,०८,०७८
५—मेरठ ..	२४,६४,४१५
६—अलीगढ़ ..	१५,०२,८४२
७—मथुरा ..	१३,७७,४४२
८—आगरा ..	५६,४५,५६१
९—बरेली ..	३४,७७,२६०
१०—मुरादाबाद ..	१४,३४,०७७
११—शाहजहांपुर ..	१०,२८,३९७
१२—इलाहाबाद ..	६०,३७,८३५
१३—कानपुर ..	९५,०४,६७६
१४—झांसी ..	११,२५,७३८
१५—बनारस ..	७५,७६,७४६
१६—गोरखपुर ..	२२,०१,१८४
१७—नैनीताल ..	१२,००,११६
१८—लखनऊ ..	१,२६,२४,८५९
१९—फैजाबाद ..	१२,४१,९६७
२०—रामपुर ..	१०,०३,३१७

पी० एस० यू० पी०–ए० पी०—७७ एल० ए०—१९५५–७९६ ।